राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३५ वां दिवस [संख्या २३

सोमवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, आयूर्वेद, राजस्व, खनिज, वन, सिंचाई, एवं उद्योग–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशविहारी।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री हीराभाई !

हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी

२१७. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान में हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने सन् १९६१ में कितनी संख्या में मेट्रिक की परीक्षा दी और कितने विद्यार्थी पास हुए ?

(ख) किन-किन विषयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी फेल हुए हैं ? जिला बांसवाड़ा के परीक्षा-केन्द्रों से परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित विषय में फेल हुए हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के केन्द्रों पर अंग्रेजी और गणित विषयों में दो बार परीक्षा ली गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (क) सन् १९६१ में हाई स्कूल परीक्षा में ४१,२५० विद्यार्थी बैठे तथा इनमें से १७,३१२ विद्यार्थी पास हुए।

(ख) अंग्रेजी व गणित में विद्यार्थी

Page No 2

(श्री परसराम मदेरणा)

अधिक संख्या में फेल हुए । जिला बांसवाड़ा से निम्नलिखित प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की :—

(१) रेगुलर विद्यार्थी २६.६६ प्रतिशत

(२) प्राइवेट विद्यार्थी १३.३३ प्रतिशत

(३) जनरल विद्यार्थी २४.५८ प्रतिशत

(ग) अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए।

(घ) गणित की परीक्षा दुबारा ली गई तथा अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित की गई थी क्योंकि दोनों विषयों के पर्चे आउट हो गये थे।

श्री हीराभाई : फार्म पहले पेश किया उसमें वे पास हुए थे। जो परीक्षा पहले ली गई थी उसका फार्म बिल्कुल राइट था और दुबारा परीक्षा लेने से विद्यार्थी फेल हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : पर्चों के राइट और रोंग का सवाल नहीं है। पर्चे आउट हो गये थे इसलिए दुबारा पर्चे सेट किये गये और परीक्षा ली गई।

श्री हीराभाई : आपने फरमाया कि अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में ही फेल हुए तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी में फेल हो जाना मानना जरूरी है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि बांसवाड़ा सैन्टर से अधिकतर फेल हुए, बाकी पूरे राजस्थान का रिजल्ट ५५.६ प्रतिशत रहा। आपके सैन्टर से अंग्रेजी में अधिक लड़के फेल हुए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अभी आपने फरमाया कि गणित और अंग्रेजी में लड़के अधिक फेल हुए हैं, तो क्या सरकार ने यह जांच करने की कोशिश की है कि इन दो विषयों में ही अधिक क्यों फेल हुए हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जांच करने का तो प्रश्न नहीं उठता है। उनको नम्बर मिले उस हिसाब से फेल ज्यादा हुए हैं। अंग्रेजी के लिए यह बता रहा हूं। वैसे पूरे राजस्थान में अंग्रेजी और गणित में लड़के अधिक फेल नहीं हुए हैं। पर्टिक्यूलर सैंटर में ही लड़के कमजोर होंगे, इसलिए फेल हो गये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जो आपने संख्या बतायी है, १७ हजार के करीब स्टूडेन्ट्स हैं, इसमें सप्लीमेन्टरी एक्जामिनेशन वाले और प्राइवेट स्टूडेन्ट्स सब शामिल हैं या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट और सप्लीमेन्टरी सब शामिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह कितना परसेन्ट आता है कुल?

श्री परसराम मदेरणा : कुल विद्यार्थियों की संख्या ४१,२५० है जिनमें रेगुलर स्टूडेन्ट्स की संख्या २०,७६६ है। उनमें से ११,३१३ पास हैं। प्राइवेट स्टूडेन्ट्स की संख्या २०,४५२ है जिनमें से ५,६६६ पास हुए हैं।

Page No 3

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट स्टूडेन्ट्स का पर्सेन्टेज ज्यादा है या रेगुलर स्टूडेन्ट्स का ज्यादा है ?

श्री परसराम मदेरणा : पास होने के आंकड़े दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो आंकड़े आपने बताये हैं उनमें तो पर्सेन्टेज दोनों का समान है ।

श्री परसराम मदेरणा : पर्सेन्टेज बराबर नहीं है । कुल स्टूडेन्ट्स जो परीक्षा में बैठे हैं वे ४१,२५० हैं । रेगुलर स्टूडेन्ट्स २०,७६६ हैं उनमें से ११,३१३ पास हुए हैं । प्राइवेट स्टूडेन्ट्स २०,४५४ हैं उनमें से ५,६६६ पास हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इनमें जो रेगुलर स्टूडेन्ट्स थे उनमें से सप्लीमेन्टरी एक्जामिनेशन में कितने एपिअर हुए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिन विषयों में विद्यार्थी ज्यादा फेल होते हैं उन विषयों के बारे में सरकार ने यह जानकारी की है क्या कि इनमें विद्यार्थी ज्यादा फेल क्यों होते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हीराभाई : गणित में दुबारा परीक्षा ली गई थी, यह किस कारण ली गई थी ?

श्री अध्यक्ष : परचे आउट हो गये थे इसलिये ।

श्री भैरोंसिंह : परचे आउट होने का मतलब बता दीजिये ?

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष, यह जो परचे आउट हो गये थे उसके बारे में राजस्थान सरकार के आदेश न पहुंचने के कारण परीक्षा ली गई थी या आदेश पहुंचने के बाद परीक्षा ली गई ? वहां कोई कॉलेज नहीं है । बड़ी मुश्किल से विद्यार्थी हाई स्कूल में बैठते हैं । फिर इस तरह से हो जाता है तो उनको आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिये उनकी वह परीक्षा मान लेनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इसका बोर्ड से संबन्ध है- परचे जब आउट हो गये तो नये परचे दिये गये । आप चाहते हैं कि परचे आउट होगये तो कोई बात नहीं उनको पास कर देना चाहिये ?

श्री हीराभाई : यह तो सरकार की गलती के कारण आउट हुए थे, इसमें उनकी क्या गलती ? सरकार को इसका खमियाजा भुगतना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप तो चाहते हैं कि परचे भी आउट हो जायं और पास भी कर दिये जायें ।

श्री हीराभाई : जिसने परचे आउट किये उसको कड़क से कड़क सजा दी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़

२१८. **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करोली) : Will the Minister for

(महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल)

Ayurved Department be pleased to reply :—

(a) How many Ayurvedic dispensaries were sanctioned and established in Karauli Sub-Division in the year 1960 61 ?

(b) Is it a fact that many of these dispensaries are running short of proper medicines ? If so, why ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : वर्ष १९६०—६१ में करौली सब-डिविजन में कोई औषधालय स्वीकृत नहीं हुआ। अतः प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ब) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : इस वर्ष कोई नये औषधालय खोले गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : खोले जायेंगे तब देखा जायगा। आपने गत वर्ष के लिये पूछा था, मैंने बता दिया।

प्रश्न संख्या २१९

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित)

वृक्षों की कटाई

२२०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरी बाजार, जयपुर—श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सांगानेर के भूतपूर्व तहसीलदार श्री कुन्दनलाल ने अपने कार्यकाल में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की दफा ६७ के तहत किस-किस काम के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने पेड़ काटने की आज्ञा प्रदान की ?

(२) क्या इतनी भारी संख्या में पेड़ों को काटने की इजाजत देना तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि इन पेड़ों की लकड़ियां बेची गई थी और किसी कृषि व घरेलू कार्य में नहीं आई ?

(४) तहसीलदार द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति किस कार्य के लिये व किन सूरतों में दी जाती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ६७ के तहत नहीं, बल्कि उक्त एक्ट की धारा ८४ के तहत सांगानेर तहसील के भूतपूर्व तहसीलदार श्री कुन्दनलाल ने जिन—जिन व्यक्तियों को जिस—जिस कार्य के लिये पेड़ काटने की अनुमति दी उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तहसीलदार के २ वर्ष के कार्यकाल तथा सूची में अंकित पेड़ों के वजन को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(३) जी नहीं, सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई।

(४) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ८४ की उप-धारा ५ (६) में संशोधन हो जाने के कारण अब यह अधिकार तहसीलदार को न रह कर सब-डिवीजनल ऑफिसरान को प्रदान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कर दिये गये हैं जिनका विस्तृत विवरण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ८४ की उपधारा (४), (५) व (६) तथा उक्त उपधारा (५) के अन्तर्गत राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा बनाये गये रुल्स ३१-४० में वांछित विस्तृत विवरण उपलब्ध है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

पलाना कोयले की खान

२२१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Minister for Mines Department be pleased to state:-

1. When was the Committee for preparing open cast scheme for Palana lignite appointed ? Please also place a copy of the report of the said Committee on he Table of the House.

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : The Committee of experts to study all the available data on the Palana Lignite deposits with a view to finding out the technical feasibility and economic viability of mining the lignite at Palna in Rajasthan by open cast method was appointed by Government of India in consultation with the Government of Rajasthan on 17.5.58.

A copy of the report of the said committee has been placed on the table of the House.

(Report of the Committee of Experts on the Economic Production and Utilisation of PALANA Lignite Deposits विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि कमेटी ने जो सिफारिश की है इमीजियेट एक्शन लेने के लिए, उस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

खनिज मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : चीफ इन्जीनियर की नियुक्ति कर दी गई है और आगे इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भीमसेन : उसमें निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि ओपन कास्ट माइनिंग एक्सप्लोज़न १९६२ की अप्रेल तक हो जाना चाहिये । अभी तक उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबंध में जब इन्डस्ट्रीज की मांग पर बहस हुई थी उस समय मैं विस्तार से बता चुका हूं ।

वन विभाग, बारां में गबन

२२२. **श्री दयाचन्द** (बारां-सु): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि बारां वन विभागमें भेड़, बकरी चराई मद के राजकीय कोष में हजारों रूपयों का गबन हुआ है ?

(२) क्या यह सच है कि इस गबन की सूचना बारां के एक नागरिक द्वारा तार से राज्य सरकार को दी गई ?

(३) क्या यह सच है कि इस गबन की

Page No 6

(श्री दयाचन्द)

जांच सरकार द्वारा ऑडिट पार्टी भेज कर करवाई गई ?

(४) यदि हां, तो कितने रुपयों का गबन, किसके द्वारा, किस प्रकार से हुआ ? वन विभाग द्वारा जो जांच रिपोर्ट सरकार के पास भेजी गई उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी): (१) यह आंशिक रूप में सत्य है । अभी की जांच में रू० ८१०, ८० न० पै० का गबन पाया गया है । जांच जारी है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । वन विभागीय ऑडिट पार्टी द्वारा जांच कराई गई ।

(४) ता० ६ मार्च तक की रिपोर्ट के अनुसार ८१० रू०, ८० न० पै० का गबन पाया गया है । यह गबन अमला रेंज के द्वारा हुआ है, जिसमें श्री नन्दलाल हैड गार्ड और श्री शिवनारायन फोरेस्ट गार्ड का हाथ बतलाया गया है । वन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट सरकार के पास अभी तक भेजी गई है उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । अभी जांच जारी है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या कारण है कि उसे फिर अरेस्ट नहीं किया गया ? जब कि आप मानते हैं कि उसने फ्रॉड किया, तो फिर उसे गिरफ्तार करके चालान क्यों नहीं किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : एन्टी करप्शन के एस. पी. को खबर दे दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द ।

श्री दयाचन्द : क्या हैड गार्ड और फोरेस्ट गार्ड को वसूली करने का अधिकार है ?

श्री दिनेशराय डांगी : उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : वे यह पूछ रहे हैं कि उनको वसूली का अधिकार है या नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : उनको अधिकार नहीं है ।

श्री दयाचन्द : फिर वसूली क्यों की ?

श्री दिनेशराय डांगी : तभी तो सस्पेन्ड किया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब उसने गबन किया आप मानते हैं तो फिर उसको पुलिस के सुपुर्द क्यों नहीं किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : गबन तो इस तरह होते रहते हैं, भाई साहब ।

श्री भैरोंसिंह : आप जब तक विराजमान रहेंगे तब तक होते रहेंगे ।

(विराम)

आप कहते हैं अधिकार नहीं था वसूली करने का उनको और वसूल कर लिया तो इसके बाद में आपको मालूम हुआ तो आपने केस पुलिस में क्यों नहीं दिया ?

Page No 7

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने निवेदन किया न कि एन्टी-करप्शन विभाग को हमने इत्तला दे दी ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह एन्टी-करप्शन विभाग क्या कर रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : ये गबन कब तक होते रहेंगे आपके राज्य में ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादासमाथुर) : जब तक आप रहेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोई कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट थी गबन करने की ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजऋषि कॉलेज, अलवर

२२३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या यह सही है कि अलवर शहर में राजऋषि कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ (एम० ए० और एलएल०, बी०) खोले जाने के लिए अलवर के विद्यार्थियों तथा जनता की ओर से बार बार मांग की गई है ?

(ब) क्या यह सही है कि मत्स्य राज्य के शासन काल में इसी कॉलेज में एलएल., बी. की कक्षाएं चलती थी, जिनको राजस्थान सरकार ने बन्द कर दिया ?

(स) क्या सरकार राजऋषि कॉलेज में पुनः वहां की पोस्ट ग्रेजुएट श्रेणियों (एम. ए. तथा एलएल., बी.) को खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (अ) यह सही है कि अलवर शहर में राजऋषि कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोले जाने के लिए अलवर के छात्रों तथा जनता की ओर से मांग गत वर्ष की गई थी ।

(ब) जी हां ।

(स) राज्य सरकार राजऋषि कॉलेज, अलवर में इस समय पोस्ट ग्रेजुएट तथा एलएल.,-बी. कक्षाएं खोलने का कोई विचार नहीं रखती ।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और शिक्षा मंत्रालय तथा सभी शिक्षा-शास्त्रियों की मान्यता यह है कि स्नातकोत्तर शिक्षा का स्तर ऊंचा रखने के लिए जहां तक संभव हो, विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का केन्द्रीकरण करना चाहिये और जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं मौजूद हैं उनमें अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिए बहुत अच्छे पुस्तकालय, योग्य प्राध्यापक तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है । अतएव स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से सरकार ने यह नीति स्वीकार की है कि जिन कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं उनके स्तर को ऊंचा रखा जावे, किन्तु नये डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षायें न खोली जाएं । यह नीति शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है । यदि प्रत्येक बड़े डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोल दी जायें तो राज्य सरकार के सिमित साधनों का उचित उपयोग नहीं होगा और उन कक्षाओं का स्तर नीचा रहेगा । इस नीति का नातकोत्तर

(श्री परसराम मदेरणा)

शिक्षण की सुविधा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि साधारणतया योग्य और निर्धन छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं और वे उनकी सहायता से राज्य में उपयुक्त स्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को मालूम है कि वहां से इतनी दूर जयपुर, अजमेर, जोधपुर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में एक गरीब विद्यार्थी पर बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ता है, इसलिये बहुत से विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद एम. ए. और लॉ पढ़ नहीं सकते, आर्थिक दिक्कतों के कारण से ? तो इस बिना पर जब तक दूसरे कॉलेजों में इस तरह की क्लासें जारी हैं तो इसी तरह से अलवर के राजऋषि कॉलेज में भी जो कि बहुत पुराना और बहुत बड़ा कॉलेज है, ये क्लासें जारी की जावेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने नीति के तौर पर यह निश्चय किया है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जावे और इसके लिए किसी भी कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें चलाने की इजाजत नहीं दी जावे-यह सरकार ने तय किया है इसलिये अलवर में भी खोलने में सरकार असमर्थ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में तो पहले थीं ये क्लासें। नहीं खोलने का सवाल नहीं है। जो फेसीलिटी पहले थी उसको सरकार ने बन्द कर दिया है, उसी को पुनः चालू करने का प्रश्न है। कोई नई फेसीलिटी देने का प्रश्न नहीं है और जब और कॉलेजों में और जगह वे चलती हैं तो फिर अलवर में ही उनको फिर से चालू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत पहले थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन की निश्चित राय बनी कि नये कॉलेज में ये क्लासें नहीं खोल कर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत ही इनकी शिक्षा दी जावे। आपके वहां पर काफी लम्बे अरसे पहले ये क्लासें बन्द हो चुकी हैं और उनको दुबारा खोलना उपयुक्त और उचित नहीं समझती सरकार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसका उत्तर देते हुए शिक्षा सम्बन्धी मांग पर उस रोज यह आश्वासन दिया था कि यदि किसी भी जगह ये क्लासें खोली गई तो सबसे पहले अलवर में खोली जावेंगी। क्या अब मन्त्री महोदय का उत्तर उस आश्वासन के विपरीत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनफूलसिंह।

भूमि वितरण

२२४. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि गत वर्षों में वर्षा के बाद सूरतगढ तहसील में आरजी काश्त के लिये भूमि अलॉट की जाती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार आरजी काश्त के लिये भूमि बरसात से पहले यानि मई—जून में अलॉट करने का विचार रखती है ?

Page No 9

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान कैनाल व भाखरा प्रोजेक्ट में आरजी काश्त के लिये कोई नई जमीन अब अलॉट नहीं की जाती।

(२) सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मनफूलसिंह : मैंने तो भाखरा और राजस्थान कैनाल नहर से बाहर की भूमि के बारे में प्रश्न किया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : या तो यह जमीन भाखरा नहर में आती होगी, या गंग नहर में या राजस्थान नहर में।

श्री मनफूलसिंह : बरसात से पहले आरजी काश्त के लिये भूमि अलॉट की जावे, यह मेरा प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस एरिया में ?

श्री मनफूलसिंह : बारानी में !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर वह भी कॉलोनाइजेशन के अन्दर है।

श्री मनफूलसिंह : पर बाहर की जमीन कॉलोनाइजेशन में नहीं आती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अलॉटमेन्ट के तो रूल्स बने हुए हैं। टेम्परेरी अलॉटमेंट रूल्स, ५७ के तहत कलेक्टर को यह हिदायत दी हुई है कि ऐसी जमीन बरसात से पहले अलॉट करें ताकि बरसात में किसान जमीन को काश्त कर सकें। यह तो इस रूल में ही है।

श्री दयाचन्द (बारां सु.) : प्रोजेक्ट एरिया में पड़त जमीन का सवाल है।

श्री मनफूलसिंह : बारानी है वह अलॉट की जाती है वह बरसात से पहले नहीं की जाती। बरसात में किसान को तकलीफ होती है और फिर यह भी है कि ठीक समय पर निशान नहीं मिलते, जिससे तावान देना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर पर इस तरह की शिकायत आई नहीं है हमारे पास। फिर भी नॉन प्रोजेक्ट एरिया में रूल्स ५७ के तहत की जाने वाली अलॉटमेन्ट की कार्यवाही जल्दी हो, इसकी कोशिश की जावेगी।

श्री मनफूलसिंह : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि बरसात होने के बाद सरकार उनको जमीन अलॉट करती है और इससे जमीन सूख जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आपने कहा कि भाखरा, गंग और राजस्थान कैनाल की जमीन का सवाल पैदा नहीं होता तो फिर जो आप जमीन का अलॉटमेन्ट करते हैं तो वह क्या करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा में जो जमीन इस वक्त अवेलेबल है वह बाई ऑक्शन बेची जावेगी।

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि ऑक्शन में भी अगर कोई न ले तो वह पड़त रखी जाय ?

Page No 10

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिसाब से ऑक्शन किया जाता है और उचित समय देख कर किया जाता है और इसके लिये रिजर्व कर रखी है जमीन । इस एरिया में टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट हमने बन्द कर रखे हैं ।

श्री श्योपतसिंह : जब तक वह जमीन ऑक्शन नहीं हो जावे तब तक टेम्पोरेरी तौर पर लैंडलैस टीनेन्ट या आरजी काश्तकार को अगर वह दे दी जावे तो इसमें सरकार क्या नुकसान समझती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई सरकार को नीति नहीं है । ऐसा करने से कई तरह के कम्पलीकेशन्स खड़े हो जाते हैं ।

श्री मनफूलसिंह : क्या मन्त्रीजी इस बात का आश्वासन देंगे कि आरजी काश्त की जमीन जो राजस्थान कैनाल और भाखरा नहर एरिया से बाहर है वह बरसात से बहुत पहले अलॉट हो जाया करेगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल या भाखरा नहर एरिया में टेम्परेरी अलॉटमेन्ट करने का मेरा उत्तर नहीं था । मेरा उत्तर नॉन प्रोजेक्ट एरिया में पड़त सरकारी भूमि से सम्बन्धित है । इस सिलसिले में ऐसी व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार की जमीन को पड़त रखने की नीति देश के हित के प्रतिकूल नहीं है, जिस तरह के बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार लोग या राजा लोग पहले बहुत बड़ी बड़ी जमीनों को दबाये रखते थे और उनको काश्त नहीं करने देते थे ?

श्री रामप्रसाद लडढा : राजस्थान सरकार की जागीरदारों वाली नीति नहीं है ।

प्रश्न संख्या २२५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपत सिंह

हनुमानगढ़ मंडी का विस्तार

२२६. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि हनुमानगढ जंक्शन की नयी आबाद होने वाली मन्डी के सैकड़ों मजदूरों और गरीबों के मकानात को तोड़े जाने तथा उन्हें मंडी एरिया से बाहर बसाने का आदेश दिया गया है ?

(२) क्या सरकार ने भाखरा क्षेत्र की नयी मंडियों के मजदूरों और छोटे व्यापारियों को मकानात बनाने और प्लॉट्स खरीदने के लिये ऋण देने की भी योजना बनाई है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना अभी नहीं आई है, इसलिये इसे आइन्दा के लिये रखी जाय ।

श्री श्योपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल इस तरह टाले गये हैं आप यह निश्चित कर दीजिये कि फलां तारीख तक इसका जवाब आ जावेगा ।

Page No 11

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह इसका उत्तर आ जावेगा।

प्राथमिकशाला, गुमानपुरा (कोटा)

२२७. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेर-सु०): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गुमानपुरा कोटा प्राइमरी स्कूल के छात्रों के बैठने के लिये भवन की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भवन में वर्षाकाल में ५-५ इंच पानी भरा रहता है ?

(३) यदि यह सत्य है तो छात्र कक्षाओं में कैसे बैठ पाते हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) स्कूल एक किराये के मकान में चल रहा है।

(२) जी नहीं। ज्यादा वर्षा होने पर छत चूने लगती है।

(३) जब ज्यादा वर्षा होती है और छत चूने लगती है तो कक्षाएं मिला दी जाती हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो क्या वहां के अधिकारियों से अध्यापकों ने इस बात की शिकायत नहीं की कि यहां पांच-छः इन्च पानी भरा रहता है ?

श्री परसराम मदेरणा : आप और भी प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछ चुके हैं। हमने नई स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिये टेन्डर इन्वाइट कर लिये हैं और इस मकान की भी बरसात से पहले मरम्मत करने के लिये मकान मालिक को लिख दिया है। आशा यह करते हैं कि आने वाली बरसात से पहले वह मरम्मत करा देगा और थोड़े समय में ही स्कूल की नई बिल्डिंग भी बन कर तैयार हो जावेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : यह प्राइमरी स्कूल का प्रश्न है, मिडिल का नहीं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह नई इमारत कब तक बन जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील देवली एस. डी. ओ. मालपुरा के अन्तर्गत

२२८. **श्री दिग्विजयसिंह** [उनियारा-श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवली तहसील को एस. डी. ओ. मालपुरा के नीचे लगा रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि पहले यह तहसील टोंक, एस. डी. ओ. के नीचे लगती थी ? यदि हां, तो अब इसको बदलने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसील देवली व उसके ग्रामों के लोगों को अपने कार्य के लिये ६० मील दूर मालपुरा जाना पड़ता है जबकि टोंक सिर्फ ३० मील ही पड़ता है ?

(४) सरकार इस असुविधा को कब तक दूर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 12

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, दिनांक १ सितम्बर, सन् १९५८ से तहसील देवली मालपुरा सब-डिवीजन में आई है।

(२) जी नहीं।

(३) तहसील हैड क्वार्टर्स से मालपुरा ५४ मील व टोंक ३० मील है।

(४) इस सम्बन्ध में दिनांक १६.२.६२ को आदेश दिया जा चुका है कि एस. डी. ओ. मालपुरा प्रत्येक माह में दो दिन तहसील देवली हैडक्वार्टर्स पर अपनी कोर्ट किया करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : तहसील हैडक्वार्टर्स एस. डी. ओ. से कितनी दूर होना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये फासले का कोई नियम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ३० मील पर ही टोंक में एस०डी०एम० हैडक्वार्टर्स है तो मालपुरा में रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न यह नहीं है। यहां पर पहले दूनी तहसील थी और उसका जूरिस्डिक्शन पहले भी मालपुरा में था। अब अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ५ गांव हैं जिनमें एक गांव देवली भी है और देवली को तहसील हैडक्वार्टर्स बनाया इसलिए यह बात आई है कि इसके सारे गांव पहले ही इस तरफ थे और यह पांच गांव मिले तो यह भी उसमें मिला दिये और सुविधा को देखते हुए ऐसा किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अगर सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया गया है तो देवली तहसील को टोंक के एस०डी०एम० के क्षेत्र में दे दिया जाये तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी मसला अभी विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस विचाराधीन मसले के ऊपर जनता की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

जगर बांध, हिन्डौन

२२९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार ने वर्षा काल में विपुल मात्रा में बह कर जाने वाले पानी का पूरा उपयोग करने की दृष्टि से जगर बांध, तहसील हिन्डौन को ऊंचा उठाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होगी ?

(२) क्या सरकार ने जगर बांध के पानी को भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग में लाने की दृष्टि से करसोली खेड़ा तथा फतीकापुरा की तरफ नहर निकालने की योजना बनाई है ?

(३) यदि हां, तो वह कब तक बना दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जगर नदी में वर्तमान बांध को भरने के लिए भी पर्याप्त पानी हर साल नहीं आता है...........

श्री श्रवणलाल : जरा सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जग्गर नदी में वर्तमान बांध को भरने के लिए भी पर्याप्त पानी हर साल नहीं आता है इसलिए इसको ऊंचा करने की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती।

(२) इस बंध का पानी खेड़ा फलीकापुरा में नहीं जा सकता, चूंकि यह गांव जग्गर के कमांड से बहुत दूर पड़ता है। करसोली ग्राम का जो रकबा जग्गर नदी और कैनाल के बीच में पड़ता है उसको पानी दिया जाता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रवणलाल : ऐसा है कि जिस समय वर्षा काल चलता है तो पानी बांध में भर जाता है। उसमें से काफी पानी बाहर जाता है तो ऐसी हालत में अगर उसे और ऊंचा उठा दिया जाये और पानी को रोक दिया जाये तो पानी काफी उपलब्ध हो सकता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पांच सात फुट प्रति वर्ष खाली रहता है और पूरा नहीं भरता, इसलिए ऊंचा बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सवाल यह है कि बरसात में पानी भर जाता है और ओवरफ्लो होता है तो उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किया सरकार ने ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : वहां पानी ही नहीं भरता तो ओवरफ्लो कैसे हो सकता है ?

श्री अब्दुलजब्बार : इसके लिये क्या आधार है कि पानी बहुत कम आता है, क्या इसकी जांच आपने कभी कराई ?

श्री भीखाभाई : जी हां, हमारे पास ६ साल की बराबर रिपोर्ट रहती है और वहां केवल एक बार ही अभी तक ओवरफ्लो हुआ है।

प्रश्न संख्या २३०

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

माध्यमिक शालाओं की स्थापना, सांचोर

२३१. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) तहसील सांचोर में अभी कितने मिडिल स्कूल हैं तथा अगले साल कितने और मिडिल स्कूल खोले जाने की सम्भावना है ?

(२) सरकार का केरिया, झाब, डूंगरी व सरनाऊ स्थित प्राथमिक शालाओं को कब तक मिडिल स्कूलों में परिणित करने का विचार है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) अभी चार मिडिल स्कूल हैं। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि आगे कितने और मिडिल स्कूल खोले जायेंगे।

(२) अभी तक प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

लिया गया है। प्राथमिक शाला, केरिया, भाव, डूंगरी व सरनाऊ में माध्यमिक शाला खोलने के प्रश्न पर ऐसे ही दूसरे स्कूलों के साथ साथ, यदि ये भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो, विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो सांचोर में ४ मिडिल स्कूलों को बनाया है यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : ४ मिडिल स्कूल तो सांचोर में हैं। उनके नाम हैं : गोगा, गुड़ाहेमा की ढाणी, हटेट और बिश्नोइयों की ढाणी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गोगा नाम का कोई गांव ही नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है राणावास पंचायत समिति में गांव हो, यहां पर मिडिल स्कूल है यह मेरी जानकारी में है। शायद उस तहसील में ले लिया गया हो तो कह नहीं सकता। बाकी के ३ मिडिल स्कूल तो सांचोर तहसील में आते हैं, यह तो आपने माना ही है। गांवों में मिडिल स्कूल हैं तो यह बात बिल्कुल सच है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गांव को सांचोर तहसील में डाल दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मिडिल स्कूल है, यह तो सच है। गांव गलती से आ गया और जैसा कि आप कहते हैं कि ३ मिडिल स्कूल तो हैं ही।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिस अधिकारी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके खिलाफ कुछ करें। हाउस में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और इससे बड़ा मुगालता हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकिशन।

बरसाती पानी में डूबी हुई भूमि और पीड़ित किसानों को दी जाने वाली सहायता

२३२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील कांमा, बयाना, वैर तथा रूपवास में हजारों बीघा उपजाऊ भूमि बरसाती पानी में डूबी हुई है ?

(२) यदि हां, तो किस किस तहसील में कितनी कितनी ?

(३) क्या पानी में घिरे किसानों को कोई मदद पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या यह सच है कि डूब में आये खेतों पर भी सिंचाई कर और लगान वसूल किया जा रहा है ?

(५) डूब की इस समस्या के हल के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा उत्तर नहीं आया है इसलिए अगले टर्न पर इसे रखा जाये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक महीना तो हो गया है। अब तो आप जवाब दे देंगे कि पानी सूख गया। यह इतने महत्व का प्रश्न है कि जिसमें १८ हजार बीघा जमीन और ३ गांव डूब गये हैं। फिर तो जवाब में आप कह देंगे कि पानी सूख गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी पूरी जानकारी देना चाहता था। जवाब आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

चम्बल बेराज की नहरों से होनेवाला वाटर लॉगिंग

२३३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** [कोटा-श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि चम्बल बैराज की राईट व लेफ्ट केनाल के कारण ग्रामों में भयंकर रूप से वाटर लॉगिंग आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो प्रभावित भूमि के आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(२) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जहां कहीं निचले स्थान हैं या नेचुरल ड्रेनेज नहीं मिल सका है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी को समीपवर्ती नालों में डालने के लिए नालियों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : मंत्री महोदय कृपा कर यह बतलावें कि यह लॉगिंग से है या क्या कारण है ? पानी चारों तरफ घिरा रहता है और नुकसान होता है तो यह लॉगिंग के कारण है या सीपेज के कारण है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर कल भी दिया जा चुका है। कल भी दरअसल सप्लीमेन्टरी के साथ-साथ बहुत से प्रश्न उठाये गये थे कि वाटर लॉगिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। हमको एक्सपर्ट ओपीनियन मिली है उसके अनुसार वाटर लॉगिंग की सम्भावना चम्बल कमान्डेड एरिया में नहीं है। जो टोपोग्राफिकल कन्डीशन्स हैं, जो जोगराफिकल कन्डीशन्स हैं, जो सोइल की कन्डीशन है उसके अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है। ऊबड़-खाबड़ जमीन होने के कारण से कोई भी लेमैन समझ सकता है कि वहां पर वाटर लॉगिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां समतल जमीन, पंजाब में जैसे होती है वहाँ तो वाटर लॉगिंग हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह बात सही है कि कुछ दिनों पूर्व राजस्थान के कृषि मन्त्री ने यह कहा था कि कोटा को वाटर लॉगिंग की शिकायत आयी है और सरकार उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है ?

Page No 16

श्री भीखाभाई : मेरा खयाल है, उसमें कन्क्लूजन किया होगा कि जो वाटर लॉगिंग और सीपेज की बात है तो यह ऐसा ही समझ सकते हैं कि कोई पानी सीपेज से निकल कर जो नीचे की जमीन है उसमें भर जाता है, लोग समझते हैं कि वाटर लॉगिंग हो गया, पर एक्चुअली वह सीपेज था।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने सदन को जो बात बताई उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, लॉगिंग इन इन गांवों में होता है जैसी कि मेरी जानकारी है कोटरी, रामपुरा, कांकर, मदनगंज, नांटा, बलोत। यह इस प्रकार के गांव हैं कि जहां वाटर लॉगिंग बहुत काफी मात्रा में होता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब बराबर शिकायत आ रही है तो यह बात नहीं है कि वाटर लॉगिंग न हो।

श्री भैरोंसिंह : इस कैनाल एरिया में जिसकी यह शिकायत है उसमें पानी की सतह कितनी ऊपर आ चुकी है ?

श्री भीखाभाई : यह अलहदा प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह आपने लॉगिंग जैसी समस्या पर विचार किया होगा ?

श्री भीखाभाई : मैंने वाटर लॉगिंग के बारे में मना कर दिया है और सीपेज की जो कार्यवाही की जा सकती है वह की जा रही है। मैंने कहा कि कुछ ड्रेनेजेज खोले जा रहे हैं। और जो पानी सीपेज से आता है वह बरसाती नालों में चला जाता है और दूसरे, निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि २५ लाख रुपये का प्रावधान इस कमान्डेड एरिया में रखा है। आमतौर पर जहां गये साल हमने पानी दिया है तो जहां नीची नहरें होती हैं वहां हमेशा सीपेज होता है, उसका सोइल का स्ट्रेटा किसी प्रकार का हो।

श्री भैरोंसिंह : यह २५ लाख रुपया वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए है या सीपेज को रोकने के लिए है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि लाइनिंग करने के लिए है। सीपेज लाइनिंग से नहीं रोकी जा सकती है और कैनाल के लाइनिंग कराने से ही हो सकती है तो वहां लाइनिंग करा दी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या डिफेक्टिव एम्बेंकमेंट के कारण सीपेज या लॉगिंग नहीं हो सकता ? किनारें बेन्कस बराबर नहीं बनाये जायं जैसा कि शिड्यूल है तो उससे सीपेज या लॉगिंग हो सकता है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : लॉगिंग या सीपेज से नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में सरकार कम्पेन्सेशन की आवश्यकता महसूस करती है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : अगरचे नुकसान हुआ है तो कानून साफ है कि सीपेज के जरिये फसल नष्ट हो जाय, जमीन नष्ट हो जाय तो ड्रेनेज एक्ट मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो रेमिशन के लिए दर्ख्वास्त दे सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : जैसा कि आपने फर्माया कि ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि पानी का लेवल ऊंचा हो जाय ?

प्रश्न संख्या २३४

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज ।

(अनुपस्थित)

गन्ना-विक्रय

२३५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान के किसान मध्य प्रदेश के शुगर मिलों को गन्ना बेच सकते हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : जी हां । भूपाल सागर शुगर मिल की गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति के बाद गन्ना अधिक हो तो उसे किसान मध्य प्रदेश की शुगर मिलों को बेच सकें, ऐसी सुविधा दी जाती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह कैसे निर्णय दिया जा सकता है कि शुगर मिल करेड़ा ने जितना गन्ना चाहिए उतना ले लिया ? नवम्बर, दिसम्बर का महीना निकल जायगा और गन्ना सूख जायगा उसके बाद डिक्लेअर किया जायगा ?

श्री चंदनमल वैद : गन्ने की पैदावार के आंकड़े जो होते हैं उन आंकड़ों को देख कर कुछ स्टेशन्स भोपाल सागर शुगर मिल को अलॉट कर दिये जाते हैं और उससे ज्यादा होता है उसको मध्य प्रदेश को ले जाने की इजाजत दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एलॉटमेन्ट कब तक होता है ?

श्री चंदनमल वैद : क्रशिंग सीज़न शुरू होने से पहले ।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिन पहले ?

श्री चंदनमल वैद : इतने दिन पहले कि जिससे किसानों को बाहर भेजने में सुविधा हो सके ।

श्री भैरोंसिंह : क्या किसानों को सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जाती है कि अमुक-अमुक स्थानों से भोपाल सागर को जायगा और अमुक-अमुक स्थानों से बाहर जायगा ?

श्री चंदनमल वैद : जी हां, इसकी सूचना दे दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : किस कानून के अन्तर्गत आपने यह पाबन्दी इस पर लगा रखी है ?

श्री चंदनमल वैद : शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर के सिलसिले में ।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई आपने एरिया फिक्स कर रखा है शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत ?

श्री चंदनमल वैद : मैंने यह निवेदन किया है कि कुछ स्थान भोपाल सागर शुगर मिल्स को एलॉट कर दिये जाते हैं बाकी स्थानों से बाहर भेज देते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का डाटा राजस्थान में नहीं

(श्री अब्दुल जब्बार)

रखने दिया जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य व उद्योग मन्त्री) : राजस्थान की आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद अगर ज्यादा है तो ऐसी जगहों से मध्य प्रदेश को जाने दिया जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार : नवम्बर-दिसम्बर तक गन्ना नहीं लेते हैं इससे काश्तकारों का गन्ना सूख जाता है इसका क्या कारण है ? उनको बेकार में परेशान किया जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गन्ना सूखने की बात गलत है । इस साल कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। आपसे सुन रहा हूं ।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) प्रेस्क्राइब्ड एरिया जो है उसका गन्ना नहीं एलाँट होता है और २-२, ३-३ दिन तक गाड़ियां पड़ी रहती हैं और फैक्टरी आवश्यकता होते हुए भी नहीं लेती है और आवश्यकता से ज्यादा गन्ना हो जाय तो क्या करे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कारखाने में पड़ी रहें ऐसी बात नहीं। पहले स्लिप इश्यू होती है उसके मुताबिक गाड़ियां लाई जाती हैं ।

श्री विजयसिंह भाला : १०-१० दिन तक चिट्ठियों के लिए जाते हैं तो चिट्ठियां कटती हैं । इसमें बड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है । क्या ज्यादा चिट्ठी करने से, ज्यादा गन्ना होने की वजह से और उसको आवश्यकता नहीं होने की वजह से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह नहीं सोचते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मूल बात यह है कि किसान चाहता है कि उसका गन्ना जल्दी से जल्दी उठा लिया जाय, लेकिन गन्ना फैक्टरी की क्रशिंग केपेसिटी के अनुसार ही उठाया जा सकता है ।

श्री विजयसिंह भाला : और फैक्टरी वाले यह चाहते हैं कि गन्नों का रस सूखे उसके बाद गन्ना लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गन्ने का रस सूखे तो फैक्टरी के लोगों को उससे क्या फायदा होगा ?

श्री विजयसिंह भाला : उससे शुगर ज्यादा बैठती है, क्या कभी इसकी जानकारी की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, यह गलत बात है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आमतौर से फैक्टरी वालों की यह मेन्टेलिटी होती है कि गन्ना सूखे तो शुगर का कन्सेन्ट्रेशन हो जाता है । और फैक्टरी वालों को कम पैसा देना पड़ता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गन्ना सूख जाने से शुगर का कन्सेन्टेशन हो जाता है यह आवश्यक नहीं है । उसके लिए यह जरूरी होता है कि दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीने के अन्दर शुगर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है बमुकाबले नवम्बर के महीने या अर्ली दिसम्बर के अन्दर जो लिया जाता है उसमें ।

Page No 19

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि एलॉटेड एरिया में गन्ना होते हुए भी मिल नहीं लेता है और उसके पहले ही मिल बन्द कर देता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि गये साल मांडल तहसील को भोपाल सागर शुगर फैक्टरी को गन्ना देने के लिए एलॉट किया गया था लेकिन हजारों मन गन्ना रह गया था और फैक्टरी को बन्द कर दिया गया था जिससे किसानों को नुकसान हुआ और उन्होंने गन्ने को उठा कर फेंक दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उठा कर फेंक दिया हो ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा ही गंगानगर शुगर मिल में पिछले साल हुआ कि हजारों टन गन्ना रह गया और बहुत से किसानों को खेत के खेत जलाने पड़े, क्योंकि मिल पहले से ही बन्द कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : जिन किसानों को गन्ना मध्य प्रदेश में ले जाने की इजाजत दी जाती है तो क्या उन किसानों को उन क्षेत्रों के लिए शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत नोटीफिकेशन इश्यू किया जाता है ? इस तरह की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाती है और दी जाती है तो उस ऑर्डर के मातहत दी जाती है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में पहले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कितना गन्ना बोया गया है, कितना गन्ना है और गन्ने की आवश्यकता रीज़नेबल टाइम में फैक्टरी को कितनी होगी उसकी जानकारी करने के बाद रेलवे और दूसरे लोगों को सूचना दी जाती है कि किन-किन स्टेशनों से दूसरी जगह गन्ना दिया जा सकता है या ज्यादा पैदावार हुई है तो उसके अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्से का गन्ना दूसरी जगह भेजते रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अगर मिलें एलॉटेड गन्ना नहीं उठायें तो सरकार किसानों के गन्ने को बिकवाने का क्या इन्तजाम करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एलॉटेड गन्ना केपेसिटी के अलावा कोई उठा कैसे सकता है आम तौर पर ? मध्य प्रदेश में जहां देने की सुविधा दी जाती है यह दोनों मिलकर भी यदि गन्ना नहीं उठा पाये, उसके बारे में सरकार क्या करेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रश्न यह है कि जितना गन्ना एलॉटेड है, जो क्षेत्र एलॉट कर दिया है उस पर्टिक्यूलर शुगर मिल के लिए उसके बाहर नहीं ले जा सकता और वह पर्टिक्यूलर मिल उतना गन्ना खरीदता नहीं है उस हालत में किसानों को नुकसान होता है उसकी फरोख्तगी नहीं होने के कारण, तो क्या नीति है सरकार की उस नुकसान को रोकने के बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो एलॉट किया जाता है वह इन बातों का खयाल रख कर किया जाता है और मैं समझता हूं कि वह पूरा उठाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं उठाने की हालत में क्या नीति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं उठाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। गंगानगर में चूंकि एक ही फैक्टरी है वहां पर और एक फैक्टरी में जितना ले सकते हैं उतना ही लेते हैं एक सीज़न में। वहां अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो क्या करेंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या गये साल मांडल से कोई शिकायत सरकार के पास आई है कि गन्ना उनके पास है और मिल नहीं ले रही है ? ज्यादा गन्ना लोगों के पास है और खेत के खेत लोगों के पास गन्ने के खड़े हैं और मिल वाला नहीं ले रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। पहली बार सुन रहा हूँ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहली बार आई है तो उसका इन्तज़ाम करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर नहीं उठाया जा रहा है तो जानकारी करूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: क्या यह सही है कि गये साल इस बारे में शिकायत आई थी ? गये साल शिकायत आई तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए क्या इन्तज़ाम किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि हमारी जानकारी के अन्दर नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो जानकारी करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एक शिष्ट मंडल मांडल का आपसे मिला भी था इस सम्बन्ध में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई नहीं मिला।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा प्रबन्ध किस नियम के अन्दर किया गया कि वे नहीं ले जा सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रेलवे के ट्रांसपोर्ट के जरिये इन सारी बातों का फैसला किया जाता है और रेलवे के वैगन्स के लिए पहले से ही निर्देश करना पड़ता है कि किस स्टेशन से वैगन्स किस एरिया को एलॉट किये जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में सरकार ज्यादातर मिल मालिकों के हितों का ध्यान रखती है और किसानों का, अगर गन्ना नहीं उठाये तो उनको नुकसान होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिल मालिकों का हित इसी में ज्यादा से ज्यादा है कि वे ज्यादा से ज्यादा शुगर बनायें।

श्री विजयसिंह झाला : मध्य प्रदेश में इन तहसीलों का गन्ना जाय और भोपालसागर तहसील में नहीं आये और उदयपुर जिले से आये तो क्या ऐतराज हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि भोपालसागर शुगर मिल को उदयपुर जिले से देने के बजाय चित्तौड़ और भीलवाड़ा ज़िले से देना उपयुक्त है।

श्री विजयसिंह झाला : किसी को भी दें लेकिन मध्यप्रदेश के पास की तहसीलें हैं उनका गन्ना मध्यप्रदेश को दे दिया जाय।

Page No 21

(श्री विजयसिंह झाला)

उधर की जो शुगर मिल्स हैं उनके लिये दे दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको जानकारी होगी प्रतापगढ़ और केसरपुरा स्टेशन्स से आम तौर से मध्यप्रदेश के लिये गन्ना जाता है।

सरकारी दुकानों का विक्रय, बांदीकुई

२१६. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** [(बांदीकुई)—श्री मानसिंह महार (आमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या माधोगंज मंडी, बांदीकुई की सरकारी दुकानात के काबिज व्यापारियों को निर्धारित कीमत पर उन्हें बेचने के लिये कोई निर्णय लिया गया है व पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा असेसमेंट भी तैयार करवाया गया है ?

(२) यदि हां, तो इन दुकानात को बेचने का मामला कब से चल रहा है ? यदि निर्णय नहीं हुआ है, तो अब कब तक हो सकेगा ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) माधोगंज बांदीकुई की सरकारी दुकानात के काबिज व्यापारियों को निर्धारित कीमत पर दुकान बेचने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक उक्त दुकानों की कीमत का तखमीना लगाये जाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. के जरिये जरूरी कार्यवाही की जा रही है।

श्री मानसिंह महार : जरा जोर से साहब।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (२) यह मामला गत कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है किन्तु आशा है कि निर्णय यथासंभव शीघ्र लिया जा सकेगा।

श्री मानसिंह महार : 'शीघ्र' से आपका क्या मतलब है ? वर्षों से जो मामला विचाराधीन है उसके बारे में प्रश्न भी आ गया है विधान सभा में अब तो निश्चित तारीख दे दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यथासंभव जल्दी की जायगी।

श्री मानसिंह महार : आपका 'यथासंभव शीघ्र' भी वर्षों तक जायगा, लम्बा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्टेन्डर्ड है सरकार का शीघ्रता और यथासंभव का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी. डब्ल्यू. डी. से तखमीना बनाया है, उसके आने पर निर्णय किया जायगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगे, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२५ व २३०

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३४

श्री जीवराज ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

मांग संख्या १, भू-राजस्व

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) :अध्यक्ष महोदय, मैं परसों के रोज बतला रहा था कि राजस्थान में सैटिलमैन्ट की क्या स्थिति है। कई माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कट मोशन्स रखे थे और बहस के दौरान में बताया था कि राजस्थान में पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू अधिक है और इसके संबंध में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के कुछ एक्सट्रेक्ट्स और कुछ दूसरी पुस्तकों के एक्सट्रेक्ट्स बताकर साबित करने की कोशीश की कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यू पर कैपिटा अधिक है। अब मैं आपके समक्ष टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जो इस संबंध में सर्वे हुआ है वह पेश करना चाहता हूं जिससे राजस्थान की लैंड रेवेन्यू के बारे में पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू पर, पर एकड़ इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन का सही पता लगेगा। राजस्थान में पर एकड़ का जो लैंड रेवेन्यू है वह ८४ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What is the per capita ?

भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जैसलमेर और गंगानगर का सारा एरिया शामिल होगा। जैसलमेर में एरिया ज्यादा है, पोपुलेशन कम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लैंड अंडर कल्टीवेशन है ३२३ लाख एकड़ और राजस्थान में पर केपिटा कल्टीवेटेड लैंड है ३.२३ और लैंड रेवेन्यू है २.७१ पर कैपिटा, लैंड रैवेन्यू है २.७१ और पर एकड़ लैंड रेवेन्यू है. ८३ यानी ८३ नये पैसे। अब इसके मुकाबिले में सारे हिन्दुस्तान के जो फीगर्स हैं वे अधिक हैं। क्योंकि हमारे यहां पर लैंड ज्यादा है और आबादी कम है। दूसरी जगह लैंड कम है और आबादी ज्यादा है । ये फैक्टर्स अपको कंसीडर करने पड़ेंगे । सब जगह एसेसमेंट पर केपिटा लैंड रेवेन्यू से अन्दाज नहीं लग सकता कि एसेसमेन्ट कम है या ज्यादा है । सारे हिन्दुस्तान में जैसलमेर की मिसाल देकर कम नहीं कर सकते। यहां पर जमीन ज्यादा है, पोपुलेशन कम है। दूसरी जगह पोपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम है तो इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन कम पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे राजस्थान में पर एकड़ लैंड रेवेन्यू, least in India है।

श्री भैरोंसिंह : पर एकड़ प्रोडक्शन की तुलना करने के बाद देखिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके फीगर्स मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर युनिट प्रोडक्शन के फीगर्स तो होंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोडक्शन के फीगर्स नहीं है।

Page No 23

श्री हरिराम (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, फायदे फायदे के फिगर्स तो इनके पास हैं, जो खिलाफ में पड़ते हैं उनको नहीं बताते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आप कह देते । पर केपिटा लैंड रेवेन्यू क्या बैटता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का बता रहा हूं । पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू २.७१ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, sir.

श्री अध्यक्ष : आपने जो बजट स्टडी दी है उसमें और इसमें फर्क किस तरह से है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह १६५३-५४ की रिपोर्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We must have up-to-date information.

श्री अध्यक्ष : Order please ! Let him continue.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५३–५४ की रिपोर्ट है उसके आधार पर बता रहा हूँ। उसके बाद से स्थिति चेंज हो रही है। इन्टर–मीजियरीज गये हैं और इस वजह से डाइरैक्ट रिलेशनशिप कल्टीवेटर्स से होने से लैंड रेवेन्यू पर असर पड़ा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह रिपोर्ट आधार नहीं बन सकती। लेकिन इसमें जितना एरिया है, यदि हमारे एरिया का दूसरे स्टेट के एरिया से, मान लें थोड़ी देर के लिये, जो रेट इसमें दी है उससे केल्कुलेट करें तो हमसे कई गुना अधिक परकैपिटा लैंड रेवेन्यू उनके यहां होगा। इस लिये यह बताना कि कहीं पर १८ रु० है, कहीं पर १५ रू० है और कहीं पर १० रु० है तो इस बात को भूल जाना कि कहीं पर २ नये पैसे पर बीघा भी राजस्थान में लगान है, उचित नहीं है। इसका मतलब यह कि कुछ गांव और तहसीलें जिनका जिक्र फाइनैन्स इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में किया है, मैं भी उसका सदस्य था, मुझे मालूम है उसका बैक ग्राउन्ड। इस दृष्टि से किया था कि राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लैंड रेवेन्यू ज्यादा है इस वजह से, पर्टिकुलरली १०,१२ जगह ऐसी हैं और दूसरी बातों से कम्पैरेटिव स्टडी करावें तो लोएस्ट और हाइएस्ट बारानी और चाही की १५ जगह केल्कुलेट करने से राजस्थान की सही तस्वीर नहीं मिल सकती। राजस्थान की ओवरआल तस्वीर सब हिस्सों की जानकारी करने से मिल सकती है और इसी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एसेसमेन्ट पर कैपिटा या पर एकड़ दूसरों के मुकाबले में ज्यादा नहीं है, और उसकी ओर कदम उठाया गया है। कदम उठाने का मतलब यह है कि जब राजस्थान बना था, सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि उसी समय यहां पर जागीर एरिया ज्यादा था, और उसमें बंटाई सिस्टम था, कहीं उपज का १। २ भाग लिया जाता था, कहीं १। ३ लिया जाता था तो कहीं १। ४ लिया जाता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने १। ६ भाग लेने का कानून बनाया है उसके आधार पर इस हिस्से को सैटिल कर दिया और कीमत को ध्यान में रखते हुए सैटिलमेन्ट की रेट कायम कर दी। मिसाल के तौर पर सोचें कि यदि किसी का हिस्सा लेने पर २० सेर अनाज लिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जाता है तो १। ६ हिस्सा लेने पर ५ सेर या ४ सेर आया और उस अनाज की कीमत तय कर दी। आज नये रेट पर देता है तो इतना देना पड़ता है, यह कीमत पहले से दो ढाई गुना अधिक होती है। इस तरह से सैटिलमैन्ट के ज़रिये बर्डन कम किया और साथ ही साथ कितनी सैसेज़ थीं जो लैंड रेवेन्यू से अटैच्ड थीं वे खत्म हो गईं, सैटिलमैन्ट हो गया और सैटिलमैन्ट में कई जगह रेट्स कम हुई हैं। माननीय सदस्य कल बता रहे थे कि सैटिलमैंट से रेट्स ज्यादा बढ़ती हैं। यह बात ठीक है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है। लेकिन जो सैटिलमैंट के कन्सीडरेशन्स हैं उन कन्सीडरेशन्स के बाद में पच्चीस-तीस वर्ष के बाद जो सैटिलमैंट होता है, तो पहले के सैटिलमैंट में जो रेट थी वह बढ़ती है। लेकिन राजस्थान में जो सैटिलमैंट हुआ है, उसमें जहां कोटा में छः रुपया लगान था, वह नये सैटलिमैंट में साढ़े पांच हो गया है। जमुआ रामगढ़ में जहां साढ़े चौदह रुपये थे, वहां नये सैटिलमैंट में साढ़े ग्यारह या बारह हो गया हैं। इस तरह समानीकरण की तरफ सैटिलमैंट ने बहुत बड़ा काम किया है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : साढ़े ग्यारह, बारह को उचित समझते हैं आज के युग में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उचित नहीं, वह फार्मूला है, वह प्रिन्सिपल है, उस प्रिन्सिपल को एप्लाई किया जाता है। उसके आधार पर रेट निकलती है। वह वाज़िब है, उसमें गैर वाज़िब का प्रश्न नहीं है। तो प्रिन्सपल के आधार पर जो रेट निकलती है उसको लगा दिया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे यहां की रेट्स नेबरिंग स्टेट्स की रेट्स से ज्यादा हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहां से ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मध्य प्रदेश, पंजाब की उसी किस्म की जमीन की रेट्स से ऊंची रेट्स हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नहीं मानता कि सारे मामलों में ऐसी बात है। मध्य प्रदेश में कुछ जगह में रेट कम है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि सारे मध्य प्रदेश में रेट है वह कम है। यह बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ।

श्री मानसिंह महार : उदयपुर के मुकाबले में जयपुर की रेट कितनी हाई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर स्थान का तुलनात्मक स्टेटमैंट, कि कितनी हाई है या कितनी लो है, यह उपलब्ध नहीं है। आप और किसी तरह इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : जयपुर की रेट ऊंची है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था कि सैटिलमैंट के जरिये राजस्थान सरकार ने सैसेज़ को बन्द करके यह समानीकरण करने के लिए कार्यवाही की है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और कई माननीय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सदस्यों ने यह कहा कि यह डिफरैन्स करने के लिए यह कदम उठाया है। मैं निवेदन करूंगा कि सैटिलमैंट हो कर नये रेट्स हर स्थानों के इवाल्व हो कर किसानों के सामने आने वाले हैं, हर आदमी के सामने आने वाले हैं, लेकिन the difference is bound to be there. It is everywhere in all other States also.

सैटिलमैंट के बाद में कई माननीय सदस्यों ने कन्सोलिडेशन के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाये। कुछ सवाल ये उठाये गये कि कन्सोलिडेशन करने की फीस ली जाती है, यह नहीं ली जानी चाहिए और इसका निर्णय, वहां जो कन्सोलिडेशन करने के लिए गांव में कमेटी बनती है, वह करे। कन्सोलिडेशन की फीश कानून के अन्तर्गत, रूल्स के अन्तर्गत ली जाती है और कन्सोलिडेशन में क्या प्रोसीजर अपनाया जाय, किस तरह से सारे काम को राजी खुशी से निपटाया जाय, इसके लिए कमेटी बनती है, वह कमेटी आपस में बैठ कर क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख कर एडजस्टमेंट में मदद देती है। इसलिए जहां तक फीस लेने का प्रश्न है, वह समिति को सुपुर्द नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि फीस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए दूसरी स्टेट्स में क्या होता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए....

श्री केसरीसिंह (पाली) : जिस जमीन पर कन्सोलिडेशन नहीं किया जाता है उसकी फीस हमारी तहसील में क्यों ली जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी मेरी पूरी बात सुन लें, तो शायद आपका एतराज बाद में रहेगा नहीं।

दूसरे, कन्सोलिडेशन हो या नहीं हो, इस बारे में भी कहा गया। कन्सोलिडेशन का सैकिंड फाइव ईअर प्लान में टारगेट केवल ११ लाख एकड़ जमीन का कन्सोलिडेशन करने का था लेकिन इस सैकिंड फाइव ईअर प्लान में सरकार ने १४ लाख एकड़ के ऊपर कन्सोलिडेशन किया। १४ लाख एकड़ का कन्सोलिडेशन करना इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां कन्सोलिडेशन हुआ, वहां की जनता ने इसका स्वागत किया। उन्होंने यह महसूस किया कि कन्सोलिडेशन हमारे हित में है। इसलिए जबरदस्ती का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। सिर्फ राजीनामे का प्रश्न ऐसा पैदा होता है कि अगर कोई भी गांव म्युचुअल कन्सेन्ट से कन्सोलिडेशन कराये, तो कन्सोलिडेशन की फीस आधी ले लेंगे। इसलिए जबकि यह व्यवस्था काश्तकारों के हित में है और इसके तहत फीस ली जायगी, तो अगर गांव वाले म्युचुअल कन्सेन्ट से कन्सोलिडेशन कराते हैं तो फीस आधी ली जाती है। बाकी भिन्न भिन्न रेट्स हैं, इर्रिगेटेड की, बंजर के लिए और दूसरों के लिए। लेकिन कोई भी रेट तीन रुपये से ऊपर नहीं है और आठ आने से नीचे नहीं है। डेजर्ट एरिया के लिए आठ आने, फर्टाइल के लिए दो रुपये और प्रोजेक्ट एरिया के लिए तीन रुपये पर एकड़ लेते हैं। अब इस रेट का मुकाबला अगर आप दूसरी जगह, एडजोइनिंग एरिया से करेंगे, क्योंकि बार बार नज़दीकी प्रान्तों का हवाला देते हुए यहां बहस उठाते हैं, तो इसमें मेरी बहस है कि पंजाब से ले लीजिये, उत्तर प्रदेश से ले लीजिये,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आस पास के प्रान्तों से ले लीजिये....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : रेवैन्यू का मुकाबला कीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंजाब में चार रुपया एकड़ लिया जाता है, जब कि मेढ़-बन्दी कल्टीवेटर करता है और छः रुपया आठ आना दूसरे स्थनों पर लिया जाता है, लेकिन राजस्थान में प्रोजेक्ट एरिया में तीन रुपये, फर्टाइल में दो रुपये और डेजर्ट में आठ आना। उत्तर प्रदेश के अन्दर रुपीज थ्री पर एकड़ ऑन कल्टीवेटेड एरिया फ्लेट रेट है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है जमीन की किस्म के ऊपर। तो इस तरह से आपको मालूम होगा कि दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी यह ली जाती है और ली जाती है तो उनकी रेट्स हैं, उन रेट्स से हमारे यहां जो निर्धारित की हुई रेट्स हैं वे कम हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि म्युचअल कन्सेन्ट के ऊपर पचास परसेन्ट लेते हैं। ये जो मैंने फीगर्स बताये हैं, इनमें उन फीगर्स को नहीं गिनते, जैसे प्रोजेक्ट एरिया है, चाहे भाखरा एरिया हो, चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे चम्बल का हो, चाहे गंग कैनाल का हो, उसमें जो कन्सोलिडेशन के फिगर्स हैं, वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। अब इसमें केवल कन्सो-लिडेशन विभाग ने टारगेट को ही पूरा नहीं किया बल्कि कहीं आगे बढ़ा और इस प्रकार को कोई शिकायत कन्सोलिडेशन के सम्बन्ध में नहीं आई है जिससे कहा जा सकता हो कि जबरदस्ती की जा रही है।

इस सैटिलमैंट के साथ ही एक माननीय सदस्य ने यह भी एतराज किया कि जो नाप इस समय सेटलमेंट में नई हो रही है व जो ली जा रही है, उसमें उन्होंने इसको इस तरह एक्स्प्लेन करने की कोशिश की कि जिसके पास आज चार बीघा जमीन है, उसकी जमीन सवा पांच हो जायगी और आज जो लगान लिया जा रहा है, जो चार बीघा पर लगान लेते हैं, वह पर बीघा के हिसाब से साढ़े पांच बीघा पर लगान लेना शुरू कर रहे हैं, इससे सवाया या ड्योढ़ा लगान देना पड़ेगा! इस बात के भ्रम को दूर करने की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ नाप का तरीका अपनाया जा रहा है, वह केवल इसलिए अपनाया जा रहा है कि सब जगह समान रूप से नाप हो, नाप में यूनिफॉर्मिटी हो और उसको लाने की दृष्टि से यह नाप की पद्धति अपनाई जा रही है, लेकिन जब उसको केल्कुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एकड़ और फिर उस पर लगान होगा तो उस लगान में इस नाप से, जिसे कोई नाप कहा जाय, अगर पांच बीघा है, यदि पिछला लगान पांच बीघा पर है तो पांच बीघा पर लगान होगा; केवल नाप में फर्क होने की वज़ह से जो पर्टिक्युलर अमाउन्ट है वह नहीं बढ़ेगा। नाप अमाउन्ट के बढ़ने में कोई कारण नहीं बनेगा। कोई दूसरा कारण हो सकता है। जैसे सैटिलमैन्ट पच्चीस—तीस साल के बाद होता है, यह कारण हो तो दूसरी बात है, लेकिन नाप के कारण लगान बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता।

इसी सिलसिले में एक माननीय सदस्या ने सहरियों को जमीन देने के बारे में कहा था कि उनको जमीन नहीं मिल रही है, खातेदारी के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जब कि वे साठ साठ वर्ष से जमीन को बो रहे हैं और कोई

Page No 27

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सुविधा उनको जमीन के सम्बन्ध में नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जुलाई १९६१ तक सहरियों को २३६०७ बीघा जमीन २,१११ परिवारों को दी गई है और कम से कम कुछ नहीं तो दो लाख रुपये की तकावी दी गई है। इस तरह से मालूम होगा कि इनको जमीन देने के सम्बन्ध में

(१२ मध्याह्न)

सरकार शांत नहीं है। इसके साथ ही साथ कलक्टर कोटा को जरिये सरक्युलर हिदायत करदी गई है कि इन सहरियों को नियमानुसार जमीन अलॉट की जाय। इसलिए माननीय सदस्या को संतोष होगा कि उनको जमीन वितरण में सुविधा होगी...........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Are they landless tenants ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir.

विरोधी दल के माननीय नेता ने अपने भाषण में एक दो कोंटेशन्स देते हुए एक मिसाल दी। उसका जवाब देना मैं आवश्यक समझता हूं। उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूंगा उन्होंने कहा कि सोने की लकड़ी देंगे, ऐसा कांग्रेस वाले कहते थे, मगर उनको ऐसा लगा कि वे उनकी क़ब्र खोद रहे हैं। मेरी भूमि मेरी रहेगी या नहीं या जमीन उसकी होगी जो उसको खड़ेगा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि मुरारजी भाई देसाई ने कहा कि भूमि राज्य की है। इस बारे में मैं कुछ निवेदन करना नहीं चाहता क्योंकि इसके लिये पहले कह चुका हूँ, लेकिन यह मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि जमीन जो बोता है उसकी रहेगी या नहीं, उन्होंने यह कहा कि एक खेत है उस पर आम के पेड़ हैं या अंगूर के पेड़ हैं या फलदार वृक्ष हैं, काश्तकार की भूमि है और आपने दफा १५ और १६ में जो खातेदारी राइट्स दिये हैं वे ठीक नहीं दिये हैं। अगर उस जमीन पर खातेदारी राइट्स हो जाते हैं तो उस खेत में जो पेड़ हैं, उन पर उसका अधिकार होता है और हमने कानून बनाया है कि ये सब राइट्स उनको होंगे तो they go with the land जमीन के साथ वे भी राइट्स चले जाते हैं। आपका कहना यह है कि इन राइट्स की रक्षा होनी चाहिये और पेड़ उसके नहीं होने चाहिये। इसकी कानून में रक्षा नहीं की गई है। जमीन के सम्बन्ध के अधिकार उसको जाते हैं जिसकी जमीन खातेदारी में जाती है। मैं आपके साथ एग्री नहीं कर सकता। मैं इस बात को कहता हूं कि एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि फलदार वृक्ष तो हमारे ही रहने दें। यह चीज माननीय सदस्य को अच्छी नहीं लगती।

यहां पर बहस के दौरान में एक–दो बातें कही गईं, उनमें से एक तो यह कही गई कि राजस्व वसूल होता है उसको वसूल करने का अधिकार पंचायतों को दे दिया जावे। जहां तक राजस्व वसूली के अधिकार पंचायतों को दे दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इसका फैसला किया है कि हरएक जिले में एक पंचायत जिसको वह सब तरह से ठीक समझेगा, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट योग्य समझेगा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसका नाम भेजेगा और उसको लगान वसूली के अधिकार दिये जावेंगे। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग ने डेवलपमेंट विभाग को लिखा है कि आप हमको उन पंचायतों की लिस्ट दें जिनके जरिये लगान वसूली कराना चाहते हैं। उनका जवाब वहां से आया नहीं है। उनका जवाब आने पर जैसा मैंने कहा, दे दिया जावेगा। लेकिन इसका जवाब यह है कि अभी तक माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि पंचायत समितियों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाना चाहिये उनकी जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि पंचायत समितियों ने जो टैक्स लगाये हैं वे भी तहसीलदार द्वारा वसूल होते हैं। इसलिये अपने टैक्स वसूल करने की क्षमता तो पंचायतों में आनी चाहिये। आप सभी पंचायतों को लगान वसूली के अधिकार देने की बात कहते हैं। पहले खुद के लगाये हुए लगानों को वसूल करना चाहिये, उसके बाद में यह प्रश्न आता है। लेकिन इसके बारे में....

श्री मानसिंह महार : हर जगह क्या एक एक पंचायत ने लगान वसूल किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर जगह एक एक पंचायत ने लगान वसूल किया है। मैंने यह कहा कि हमने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप हर ज़िले में जिस पंचायत समिति के द्वारा लगान की वसूली चाहते हैं उसका नाम लिख कर भेजें। इसके लिये हमारे डिपार्टमेंट ने लिखा था। उनका जवाब आने के बाद उस पंचायत समिति को लगान वसूल करने का अधिकार दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य ने अपनी बहस के दौरान में यह भी कहा कि सरकारी इमारतें नहरें, सड़कें आदि बनाती हैं तो बहुत से व्यक्तिगत लोगों की जमीनें उसमें आ जाती हैं और उनकी जमीनें उसमें आ जाने के बाद और मकान और सड़कें बनने के बावजूद भी उस जमीन का लैंड रैवेन्यू उन लोगों से बदस्तूर वसूल किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी लैण्ड एक्वीजिशन से ली जाती है तो एक्वीजिशन एक्ट के नियमों के अनुसार जिस दिन वह जमीन ली जाती है उस तारीख से लगान बन्द हो जाता है। मगर कई जगह ऐसा भी होता है कि कोई झगड़ा नहीं होता और लोग म्युचुअली एग्रीमेंट करके बिना झगड़े के ले लेते हैं तो ऐसी भूमि का, जो नहरों और सड़कों के लिये ली गई है, उसका लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसे इन्सटेन्सेज हों तो सरकार उन पर विचार करेगी और लगान नहीं लेगी और ऐसे पर्सन्स को चाहिये कि वे दरख्वास्तें दे दें कि उनकी जमीन इस तरह से सड़क में या नहर में आ गई है, तो उनका लगान उसकी तसदीक हो जाने के बाद बन्द हो जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जिन लोगों से लगान कलेक्ट कर लिया गया है नाजायज़ तरीके से, उसको रिफन्ड करने की आपकी इच्छा है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो रिफन्ड के केसेज़ सामने आवेंगे उसके बाद मैं कहूंगा। अभी तो लैण्ड रैवेन्यू वसूल हो रही है उस

(श्री रामप्रसाद लडढ़ा)

प्रकार के केसैज़ आप सरकार के सामने लावेंगे तो लैण्ड रैवैन्यू रेकॉर्ड में उनको दर्ज कर दिया जावेगा ताकि उससे लगान वसूल कभी नहीं किया जावे ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह तो आप मानते हैं कि यह नाजायज़ तरीका है उनसे लगान वसूल करने का और जब उनसे नाजायज़ तरीके से लगान वसूल किया गया तो यह भी मान लेना चाहिये कि इस प्रकार नाजायज़ लगान वसूल किये हुए को उनको वापिस दे देना चाहिये । इस बारे में आपके क्या विचार है ?

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : इस बात की जानकारी मुझे नहीं है और आंकड़े भी मेरे पास नहीं हैं । आया ऐसा हुआ भी है या नहीं यह भी मैं नहीं कह सकता । मैं तो थोड़ी देर के लिये आपने जो बहस की है उस बहस को सही मानते हुए कहता हूं कि अगर कोई ऐसा लगान लिया जा रहा है तो नहीं लिया जाना चाहिये ।

श्री अब्दुलजब्बार : आप यह तो फरमायेंगे कि आपने जिनसे इस प्रकार का लगान वसूल किया है उसको वापिस कर देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सम्भवतः ऐसे आदेश हैं कि उनको आगे एडजस्ट कर लिया जाय । आप उसको देख लें ।

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : मैं इस संबन्ध में जानकारी कर लूंगा ।

बहस के दौरान में लगान वसूली में ब्याज लिया जाता है उसके बारे में भी कहा गया । मैंने जैसा आपको बताया कि फरवरी से जुलाई तक दूसरी फसल का लगान वसूल होता है । यह एक डेट इसके लिये निर्धारित कर दी गई है । इसके बाद भी कलैक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक महीने की अवधि और बढ़ा सकता है और उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है । अगर कोई रुपया नहीं देता है और सरकार से नहीं देने की माकूल वज़ह अपनी रिक्वेस्ट में बताता है और गवर्नमेंट उसको ठीक समझती है तो उसको ब्याज से मुक्त कर दिया जाता है अन्यथा ब्याज तो लगेगा । इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट लोगों से ब्याज लेगी तो उनको यह डर रहेगा कि सरकारी रकम की वसूली समय पर अदा कर दी जाए वरना ब्याज देना होगा । जब उनको ब्याज का डर रहेगा तो वे समय पर जमा करा देंगे । इसके अलावा उन पर कर्जे का वजन नहीं रहता है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और उसको सुविधा देते हुए यह ब्याज की दर रखी है इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । इसलिये ब्याज के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कहा है वह उचित नहीं समझता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्याज लेने के बावजूद सरकार वसूली की ओर कार्यवाही नहीं करती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार समय से पहले मांगपत्र उनको वितरण करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : मैं पहले

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

माननीय सदस्य ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया उसके लिये कहना चाहता हूँ । इस प्रकार लगान की रकम वसूल नहीं होनी चाहिये और अगर हुई है तो उनको रिजैक्ट करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि १) रु० ब्याज लगाया है उससे आपको लाभ होता है, ऐसी हालत में एक-दो साल आगे वसूली को बढ़ाते रहें तो कुर्की तो नहीं करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, हम नहीं चाहते कि ब्याज के लोभ में किसानों पर भार बढ़ने दें । ब्याज के लोभ में आगे बढ़ाते रहेंगे तो उन पर भार पड़ेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डबल पैनल्टी से क्या फायदा ; ब्याज भी लेते हैं और कुर्की भी करते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैंने निवेदन किया कि यह किसानों के हित में है कि उनको डर रहे कि हमें समय पर रकम देनी है, नहीं तो हम पर वजन बढ़ जायगा ।

श्री श्योपतसिंह : यह आपने ब्याज कमाने के लिये रखा है या किसानों को डराने के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर ब्याज ही कमाना होता तो फरवरी जुलाई तक डिमान्ड स्लिपें नहीं देते । ब्याज कमाने का तो सरकार का इरादा ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मांगपत्र समय पर तैयार नहीं होते हैं तो ब्याज की क्या व्यवस्था है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अर्ज़ करता हूँ । डिमान्ड स्लिप्स समय पर इश्यू नहीं होतीं, इसलिये रकम वसूली का समय ऐसा आ जाता है कि फसल बोने का समय है या फसल काटने का समय हो जाता है, उससे दिक्कत उनको रकम जमा कराने में हो सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ रैवैन्यू को यह स्पेसिफिक आदेश दे दिये गये हैं कि वह सब कलैक्टर्स को आदेश दे, हिदायत दे कि डिमान्ड स्लिप्स समय पर इश्यू हो जायं । ताकि लोगों को पेमैंट में देरी न हो और फसल का समय न आ जाय जिससे किसानों को जमा कराने में दिक्कत न हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि किसी प्रकार समय पर मांगपत्र वितरित नहीं हो सकें तो क्या सरकार ब्याज स्थगित करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि एक महीने की अवधि बढ़ाने का अधिकार कलैक्टर्स को दे रखा है तो इसमें किसान की असमर्थता होना भी कारण है और डिमान्ड स्लिप समय पर वितरित नहीं हुई हो, यह भी एक कारण है । एक महीने की अवधि के अलावा भी गवर्नमैंट को रैफर कर के और अवधि बढ़ाने का प्रोविजन रखा है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जमा नहीं करा सकते इस कारण रह जाता है तो फिर क्या उनको छूट दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स हैं इसके सम्बन्ध में, रूल्स के अनुसार कार्यवाही होती है।

कई माननीय सदस्यों ने लैंड कमिशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा और यह कहा कि इसको तो सरकारी अधिकारियों ने पढ़ा ही नहीं और एक प्रेस की गलती भी बताई कि अगर पढ़ते तो यह छापने में नहीं आता। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें जितनी रिकमन्डेशन्स थीं उनमें से दो तीन को छोड़ कर सबको इम्प्लीमैंट कर दिया है, या इम्प्लीमैंट करने के आदेश दे दिये गये हैं और कुछ विचाराधीन हैं। तो इसके सम्बन्ध में यह कहना कि इसको तो सरकारी अधिकारियों ने पढ़ा तक नहीं, लैंड कमिशन की रिपोर्ट को वेस्ट पेपर बास्केट की तरह फेंक रखा है, तो यह सर्वथा गलत है।

जमीनों की कीमत के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को जमीनें देते हैं तो बहुत ज्यादा कीमतें ली जाती हैं, सताईस, अठाईस हजार के फीगर्स बताये। तो इसके लिये सैक्शन ३१ है उसकी तरफ उन माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें प्रोवाइड किया हुआ है कि फ्री ऑफ चार्ज जमीन किसानों को किस हालत में दी जाय।

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्ष, कम से कम मंत्रीजी को तो यहां नहीं सोना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : गौर से सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस दफा को देखने से आपको मालूम हो जायगा कि क्या आधार हैं और किस तरह उन आधारों से इस समस्या को हल किया जा सकता है।

अब मैं यह विश्वास करते हुए....

श्री मानसिंह महार : चवन्नी रुपया पंचायतों को देने की बात कहें; इस पर तो मेरा कटौती प्रस्ताव था कि लैंड रेवैन्यू में से चवन्नी रुपया पंचायतों को देना चाहिये। इसके बारे में भी फरमा दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो डेवलपमेंट की डिमान्ड में मांगना।

श्री श्योपतसिंह : जमीन की कीमत के बारे में फरमा रहे थे न?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैक्शन ३१ को पढ़ लें। सैक्शन का इन्टरप्रिटेशन तो मैं क्या करूं। इसमें दिया हुआ है कि कल्टीवेटर्स को रहने के लिये जमीन किन सूरतों में किन शर्तों पर मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है। एरिया भी निर्धारित है।

श्री श्योपतसिंह : उस सैक्शन के बारे में मैं जानता हूँ, इसीलिये शिकायत की है कि कीमत बहुत ज्यादा ली जाती है और फिर भी नहीं दिया जाता है। आप बताइये कि किस किस किस्म की जमीन पर कितना कितना रुपया फी बीघा तय किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कितना रुपया बीघा का तय किया है यह मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन सैक्शन ३१ का लाभ मिल सकता है।

श्री श्योपतसिंह : मेरी मांग यह थी कटौती प्रस्ताव के दौरान कि वहां के किसानों से बहुत ज्यादा कीमत ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : किस बात की ?

श्री श्योपतसिंह : जमीन की। लैंड-लैस टीनेन्ट्स से और और आरज़ी काश्तकारों से। वे जमीन की कीमतें देने को तैयार हैं, हालांकि बहुत ज्यादा कीमतें हैं, फिर भी वे ज्यादा कीमतें देने को तैयार हैं, पर सरकार उनको जमीनें देती नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन ३१ के अन्दर आने वाले प्रावधानों के अनुसार दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब लैंडलैस टीनेन्ट्स की जमीनें कीमत पर दी जाती हैं उनसे है ?

श्री श्योपतसिंह : जितने लैंडलैस टीनेन्टस् हैं उनके लिए तय किया है कि १५ बीघा जमीन से ज्यादा नहीं देंगे और वह बहुत ज्यादा कीमत पर देते हैं। वहां के भूमिहीन किसान जब कीमत देते हैं तो उन जमीनों को ऑक्शन नहीं करके, उन भूमिहीन किसानों को मोल दे दी जायं। कीमतों के लिये मैंने निवेदन किया था कि कीमतें ज्यादा ली जाती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, वैसे इस मांग पर इस सदन में काफी बहस हो चुकी है और उप मंत्रीजी ने भी बहुत से प्रश्न जो यहां सामने आये उनका स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं बहुत विस्तार से बहुत से प्रश्नों के बारे में नहीं जाना चाहता, कुछ बातों के बारे में ही मैं अपनी बात यहां कहना चाहूँगा।

राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में इस सदन में एक तो लिफ्ट इर्रिगेशन के एरिया में जो इलाके आते हैं उनके सम्बन्ध में कहा गया कि जो इलाका लिफ्ट इर्रिगेशन में आता है वहां पर और इसके साथ-साथ जो इलाका फ्लो इर्रिगेशन में आता है उस इलाके में खातेदारी राइट्स किसी को नहीं दिये जा रहे हैं। यह सरकार की उचित नीति नहीं है और वहां खातेदारी राइट्स उनको प्राप्त होने चाहिये।

इस सदन में पहले भी इस बारे में स्पष्टीकरण किया गया है कि किन कारणों से यहां खातेदारी राइट्स नहीं देने का सरकार ने फैसला किया है, फिर भी मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की नीति यह नहीं है कि जो लोग वहां पर काफी पुराने समय से काश्त करते चले आ रहे हैं और बीकानेर के कानून की वजह से उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं हो पाये और उनका खेती का हक पहले से चला आ रहा है तो हम उनको अधिकार नहीं दें। राज्य सरकार की तरफ से मैं इस समय तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो बहस मैंने यहां सुनी और अब तक इस प्रश्न पर विचार मैं कर पाया हूँ, इस आधार पर हम सोच रहे हैं कि जिस समय इन एरियाज़ में पानी आना शुरू हो और वहां इन लोगों को और दूसरे लोगों को जमीनों का अलॉटमेंट किया जाय उस मौके पर जिन व्यक्तियों का इन जमीनों पर खेती का कब्जा गिरदावरी के द्वारा मालूम हो कि १९५५ में जो टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ था उसके ५ साल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पहले से इन जमीनों पर काश्त करते आ रहे हैं, तो सीलिंग की जो लिमिट उस एरिया के लिये होगी, उसकी हद तक जमीन पर उनको खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे, कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी उनको इस अनिश्चितता में रहने का कोई कारण नहीं है । उसके अधिक जमीने होंगी उसको खातेदारी में देकर ऐसी स्थिति पैदा कर लाभ प्राप्त करें, हम उसको एक्वायर करें और करप्शन का मौका दे दें मैं समझता हूं किसी भी माननीय सदस्य का परपज़ यह नहीं होगा । ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वे लोग वहां से उखाड़े न जांय और पहले से ही लिफ्ट और फ्लो इर्रिगेशन में आने वालों को यह प्रोटैक्शन दे देंगे जिससे किसी प्रकार की अनिश्चतता की बात न रहे । पानी नहीं आता है तब तक उनको वहां से बेदखल करने का प्रश्न नहीं आता है कि आज उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि किसी प्रकार को अनिश्चितता की उलझन उनके सामने नहीं आनी चाहिये ।

उसके बाद एक प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, जो मालकाना या कोई टैक्स कहिये वसूल किया जाता था, उसके सम्बन्ध में । बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी कब आवेगा, यह पता नहीं । लेकिन अभी से मालकाना लगान लेना शुरू कर दिया उससे किसानों को काफी तकलीफ होती है । उस संबंध में सारे प्रश्न को रिव्यू करना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि बहुत अर्से के बाद जहां पानी पहुंचने वाला है उस जगह उस किसान के लिए मालकाना के बारे में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है इससे अधिक मैं इस समय इस स्टेज पर कहूं तो उचित नहीं होगा।

लिफ्ट इर्रिगेशन का एरिया है उसमें मालकाना का प्रश्न उठा लिया गया । लिफ्ट इर्रिगेशन और दूसरे एरिया में जिनमें इयर टु इयर अलॉटमेन्ट करने का और तीन साल का हुआ था उसको बढ़ा कर पांच साल का अलॉटमेंट एक साथ कर देंगे जिससे किसान को बार बार एप्रोच करने की दिक्कत न आये और वहां कल्टीवेशन कर सके जहां पांच साल में पानी नहीं पहुँचने वाला है । जहां पहुंचने वाला है वहां पर उस सुविधा को देना आसान नहीं होगा ।

एक प्रश्न यह था कि रावतसर के पास जो नहर है, जो भाखरा के लैंडलैस टीनेन्ट्स और नोरंगदेसर और रावतसर से इर्रिगेशन होने वाला है उनको जमीन क्यों न दी जाय ? इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि यह भारत सरकार के सामने प्रश्न है और पंजाब वाले भी हैं । वहां एक मीटिंग हो रही है इस बात को देखने के लिए कि पाँच साल में क्या होगा, उस पर विचार करें । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से कन्सल्ट करके जहां तक हो सकेगा उसके और आस पास एरिया में दो हजार लैंडलैस माने गये थे, उनमें से ४५० को तो भाखरा एरिया में जमीन अलॉट कर दी गई है और बाकी के जो बचे हैं, आने वाले वर्षों में जहां पर पानी पहुंचेगा, उन वर्षों में इसी फाइव इयर प्लान में उनको बसाने के लिए जो कार्यवाहियां हो सकती हैं उनकी तरफ भी कदम उठाये जावेंगे ।

मैकैनाइज्ड फार्म के बारे में पहले भी स्पष्टीकरण किया गया है कि इसका निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया हो, ऐसा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं है । भारत सरकार के समक्ष है, उनके कारण मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं । सूरतगढ़ के नजदीक उस और दूसरे फैक्टर्स को निगाह में रखते हुए निर्णय दिया । हमारी ओर से प्रोपोज़ल हो कि हम जबरदस्ती उस एरिया में अलॉटमैन्ट करके बेदखल करना चाहते हों, ऐसा प्रश्न नहीं है । मैकेनाइज्ड फार्म के लिए भारत सरकार ने जो क्षेत्र पसन्द किया है यदि वह वहां पर कायम रहता है, तो वहां पर जिन व्यक्तियों को काश्तकारी करने का हक है उनको ऑल्टरनेटिव होल्डिंग न देकर उखाड़ देने की बात नहीं आवेगी, किन्तु उनको बसाने की बात आयगी । जिनके पास खातेदारी की जमीन है या जो दूसरी कैटैगरी वाले हैं और जमीन प्राप्त करने के अधिकारी हैं वे उस केटेगरी में आते होंगे।

माननीय अध्यक्षजी, एक सवाल यह भी आया कि भाखरा क्षेत्र में जो जमीन लैंडलैस टीनेन्ट्स को दी गई है उन जमीनों पर जहां पानी नहीं लगा है फिर भी उनसे किश्त वसूल की जा रही है । मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं और अगर उन जमीनों से किसानों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति है तो उनको क्या रियायत दी जा सकती है, उस पर सरकार विचार करके आवश्यक रियायत उनको मिल सके, उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

गंगनहर में परमानैन्ट अलॉटमैंट का सवाल है जैसा कि रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर साल अलॉटमैंट करने के कारण यहां पर करप्शन का मौका मिलता है और अनसर्टेन्टी का मौका मिलता है । मैं स्वयं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अलॉटमैन्ट फाइनैलाइज हो जाय । कलैक्टर गंगानगर को आदेश दे दिये गये हैं कि जहां तक हो सके इसको जल्दी जून के आखिर तक जो गवर्नमेंट के लैंड रूल्स हैं उनके मुताबिक अलॉटमैन्ट करके यह सवाल बार बार न उठने पाये और जो अनसर्टेन्टी है उसको तय करदें । एक सवाल यह भी आया था कि कुछ लोगों को जमीन नहीं मिली है इसलिए राइट नहीं समझा जाता है । हमने सुविधा करदी है कि अलॉटमैन्ट के दौरान में उस जमीन को एलॉट न किया हो और न ऑल्टर्नेटिव होल्डिंग किया हो, तो उसको कन्टीन्युअस मान लिया जावेगा और उस सुविधा जो में आवेंगे उनको जमीन ऑलट की जावेगी ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सामने रखा था कि वहां पर जो डी. पीज़. हैं, जमीनों के बारे में समस्या चला करती है । उसके सम्बन्ध में जहां तक प्रीपार्टीशन टीनेन्ट्स जिनको कहते हैं, जिन टीनेन्ट्स को जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट की वजह से अगर वहां के मेव्ज पाकिस्तान न गये होते और उनकी जमीन इवेक्युई प्रॉपर्टी न बनती उस हालत में दूसरी जगहों पर, दूसरे बिस्वेदारों की जमीन पर जिन लोगों को खातेदारी राइट्स प्राप्त हो चुके हैं इवेक्युई प्रोपर्टी है जिन लोगों की प्रीपार्टीशन टीनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं । जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, हमने बार बार सिद्धान्ततः माना है कि कानून का लाभ यहां के किसानों को प्राप्त हुआ, जमींदारी और बिस्वेदारी यहां थी । कोई यहां से चला गया और वह इवेक्युई प्रोपर्टी हो गई और गवर्नमेन्ट ऑफ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन्डिया आज उसकी कस्टोडियन है । इस वज़ह से वहां के किसानों को सफर करना पड़े, इसको हम उचित नहीं मानते हैं और इस राय को भारत सरकार के समक्ष स्पष्ट रखा गया है । आज भी जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, भारत सरकार को जहां तक ज्यादा से ज्यादा कहने का सवाल है हम कह सकते हैं कि वह हमारी लैंडरिफॉर्म्स पॉलिसी का पार्ट बन जाता है और दो तरफा ट्रीटमैन्ट का प्रश्न नहीं आता है ।

दूसरा उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है लोकल हरिजनों का । पार्टीशन के बाद जमीन का अलॉटमैन्ट किया गया, मत्स्य गवर्नमेंट के वक्त भी और बाद में भी हुआ । जो अलॉटमैन्ट किया गया उसकी स्थिति दूसरे प्रकार की है । जिस वक्त ऑलटमैन्ट किया गया उनका, वह इवेक्युई प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी थी और उन जमीनों के लिए जिनका अलॉटमैन्ट किया गया था उसके लिए पहले तो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमैन्ट का बराबर यह कहना था कि उन लोगों को बेदखल करना चाहिये और वह इर्रेगुलर कार्यवाही की है । इसके बाद राजस्थान सरकार ने काफी जोर डाला और यह कहा कि जिन किसानों का काफी अर्से से जमीनों पर कब्जा है, जो काश्त कर रहे हैं उनको उन जमीनों से बेदखल करने का मतलब एक बहुत बड़ा प्रोब्लम क्रीयेट करना होगा और यह वाजिब नहीं है और ज्यादा वाज़िब यह होगा कि चूंकि भारत सरकार का यह मानना कि इवेक्यूई प्रॉपर्टी अब कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है दूसरों को इस तरह से दे दें तो जो क्लेमैन्ट्स हैं उनको देने से दूसरों पर असर पड़ेगा । अन्त में जाकर यह तय हुआ कि ४५०) स्टैन्डर्ड एकड़ पर उन लोगों का कब्जा रखा जाय और इन्स्टालमैन्ट में बाद में जमीन पट्टे पर दी गई उस पर कब्जा रखने का अधिकार दिया जाय । अभी इस सम्बन्ध में और आगे क्या किया जा सकता है मैं तत्काल कहने की स्थिति में नहीं हूँ । यह उस पर निर्भर करता है कि भारत सरकार अगर उनको कुछ रियायतें दे सकती है तो इस बारे में जो कुछ भी संभव हो सकता है, आगे देखा जावेगा ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): गंगानगर के रिफ्यूजीज़, जो नोन क्लेमैंट्स हैं उनको भी अलवर के रिफ्यूजीज की तरह ट्रीट किया जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रश्न को एग्ज़ामिन नहीं किया गया है इसके क्या इम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं । इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता ।

दूसरा माननीय अध्यक्ष, जो डिसप्लेस्ड पर्सन्स हैं उनको पहले साढ़े चार करोड़ उस जमीन की कीमत के चुकाने के बारे में प्रश्न सामने आया था । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि इस प्रश्न पर काफी हाइ लैविल चर्चा हुई है उस अमाउन्ट को ४॥ करोड़ से घटाकर १ करोड़ रूपया लेने का तय किया है । उसके अन्दर मुझे यह भी बताया गया है कि अगर बिरादरी के तौर पर हम भारत सरकार को मान कर चलें, उनको कम्पैनसेशन देते तो भी पैसा देना पड़ता । वैसे उसमें से डिडक्ट करके बाकी के अमाउन्ट को बाद में दे दिया जाय यह उचित है इस बारे में आदेश में किसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रकार की खामी रहती है या इसके इम्प्लीमेन्टेशन में कुछ फर्क पड़ता होगा तो देख कर रेगुलेराइज कर दिया जायगा। इसके अलावा जिनको जहां जमीन प्राप्त हुई है और जिनको इस्तमरारी हक प्राप्त हो चुके हैं। सवाई भूमि का जो दे चुके हैं, उस बारे में उस वक्त यह फैसला हुआ था उन लोगों को जो इस्तमरारी पे करते हैं उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त हों। जो भी फैसला गवर्नमेन्ट के साथ किया गया है गवर्मेन्ट उससे पीछे जाने का इरादा नहीं रखती। जो फैसला किया गया उसको पहले इम्प्लीमेन्ट किया जायगा।

बहस के दौरान में सीलिंग के बारे में भी कई प्रश्न उठाये गये हैं, जो सीलिंग कानून है उसको तेजी के साथ इम्प्लीमेन्ट न करके काफी समय लगाया गया है। इससे बीच बीच में ट्रान्जेक्शन इधर उधर हो गये, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या पॉलिसी रखती है? मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि ट्रान्जेक्शन्स ६ दिसम्बर, १६५६ के बाद हुए, उसके बारे में नोटिफाइ कर चुके हैं कि उन ट्रान्जेक्शन्स को लीगल नहीं माना जायगा। इस प्रकार आगे जहां तक सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेन्ट करने का सवाल है, प्रिलिमिनिरी जानकारी प्राप्त की जा रही है। किस किस जगह सीलिंग की क्या लिमिट हो इसके लिये आवश्यक सूचनायें एकत्रित हो चुकी हैं, उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जायगा। हमारा सीलिंग को लागू करने में विलम्ब करने का कतई इरादा नहीं है। जितना जल्दी हो सके हम सीलिंग के कानून को लागू करना चाहते हैं ताकि इस बारे में किसी को अनसर्टेन्टी न रहे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आम इलेक्शन के पहले ही इसको लागू करने का आश्वासन दिया गया था?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जल्दी से जल्दी तो सुरसा की तरह बढ़ता जाता है। आज तो आपको इसके बारे में निश्चित तारीख की घोषणा करनी चाहिये थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज मैं फिक्स्ड डेट अनाउन्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इसके लिए प्रिलिमिनरी तयारी कर ली गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : आने वाले चुनावों के पहले तो लागू कर देंगे....

श्री श्योपतसिंह : उससे भी पहले कर दें तो बहुत अच्छा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य पूरा सहयोग दें तो हो सकता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सबसे पहले इन्हीं की जमीन लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रान्जेक्शन वाजिब भी हैं या गैर वाजिब यह भी चेक करना होगा।

एक प्रश्न यह भी आया था कि अलवर के अन्दर किसानों को बेदखल करके उनकी जमीन एक्वायर की जा रही है। जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है, जहां तक हो पाये, उनको इसकी एवज में जमीन दी

Page No 37

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाय, यह वाजिब बात है। साथ में यह भी कहा गया कि जो जमीन एक्वायर की जा रही है तत्काल उतनी की आवश्यकता नहीं। यह भी सुझाव दिया गया कि कुछ संभावनायें हैं जहां पर उन लोगों को ऑल्टरनेट जमीन दी जा सकती है, जिस पर वे बस सकते हैं। स्कूल वगैरह बनाई जा रही है उसके लिए गवर्नमेंट के पास जमीन है उसमें से अलॉटमेन्ट हो सकता है। यह माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर पैलेस है। उसके पास में जमीन लगी हुई है जो खेती की है। वह हिज हाईनेस की है। उसको एक्वायर करने के बारे में सरकार की तरफ से कार्यवाही की जा रही है। वह लिटिगेशन में जाने की वजह से उसको एक्वायर करने में दिक्कतें सामने आयी हैं! इस बीच में जहां तक सम्भव हो सकता है ऑल्टरनेटिव होल्डिंग हो तो ऑल्टरनेटिव जमीन मिलने पर ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है कि उनको बेदखल ही किया जाय। इस बारे में प्रयत्न किया जायगा जिससे ऑल्टरनेटिव होल्डिंग मिल सके।

मेवों के सम्बन्ध में इस सदन मे प्रश्न आया। मेवों को जमीन अलॉट नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि कुछ सदस्यों को जानकारी होगी कि मेव सेन्सस इस सम्बन्ध में किया गया। सेन्सस के वक्त जो मौजूद थे उनको उनकी खुद की होल्डिंग पर या ऑल्टरनेट होल्डिंग पर जमीन देने की कार्यवाही की गई। अब बाकी प्रश्न यह है कि अलवर और भरतपुर जिले के अन्दर इस प्रकार अलॉटमेंट करने की भूमि कम है। ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर जमीन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, जमीन उपलब्ध नहीं है। अगर हो तो उस जमीन के बारे में सरकार एग्जामिन करने के लिए तैयार है।

एक प्रश्न खास तौर से सदन में आया वह था लगान के बारे में। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात बार बार कही कि उदयपुर में लगान कम है और जयपुर में ज्यादा। मैं यह समझता हूँ कि राजस्थान के बनने के बाद, यानि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब राजस्थान बना उसके बाद कहीं का लगान बढ़ा दिया गया हो, ऐसा उदाहरण शायद ही सामने आया होगा। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जयपुर का शासन काफी सोच-समझ कर चलाया जाता था। आपके यहां के लगान उस समय के किये हुए हैं जो मैं समझता हूँ वाजिब समझ कर ही लगाये गये होंगे। उसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल करने का सवाल नहीं आना चाहिये। यह भी कहा गया कि उदयपुर में लगान कम है। हो सकता है कम हो। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी कह दूं कि राजस्थान में जो पहले सेटलमेन्ट होते थे उनमें रेट्स इतने वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगहों में, जैसे आसीन्द और कुम्भलगढ़ इलाका है उदयपुर का वहां पर १६ रुपये से १८ रुपये तक बीघा लगान का है। कुछ जगह ज्यादा भी है। कुछ सोइल के और दूसरे कारणों से यह वेरिएशन है। जब री-सेटिलमेन्ट कहीं हो तो इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है, कानून इसका मौजूद है उसके मुताबिक जहां जहां ऐसा मौका आता जाता है या आता जायेगा उसके हिसाब से कम या ज्यादा होने की स्थितियां पैदा होती जावेंगी। राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ जगह, बल्कि जयपुर के इलाके में तो कई जगह एडहॉक रिडक्शन किया गया है। वहां बहुत ज्यादा था।

श्री मानसिंह महार : शायद मालपुरा में था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां भी था, जमुवा रामगढ़ में था। और भी जगह जहां बहुत ज्यादा था, शायद धौलपुर के और उधर के इलाकों में, तो वहां भी कम किया गया। तो जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी मालूम हुआ वहां राजस्थान सरकार ने कार्यवाही की है और मैं साथ ही माननीय सदस्यों को और इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो बात वाजिब होगी उसको राज्य सरकार आम लोगों के हित के अन्दर, वित्तीय स्थिति को खयाल में रखते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जानी सम्भव है उसको करने के बारे तत्पर रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर जिले में काश्तकार को सबसे अधिक लगान देना पड़ता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उसके लिए पहले ही निवेदन किया था कि उसको एग्ज़ामिन करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं आशा करता हूं कि इस स्पष्टीकरण के बाद जिन्होंने अपने कट मोशन मूव किये हैं वैसे तो एक एक सामने आते नहीं, पर यह मान कर चलता हूँ कि उन सब को, मैंने जो उत्तर दिया है, उससे सन्तोष होगा।

श्री मानसिंह महार : मैं अपने कट मोशन को प्रेस न करूं, इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपकी प्रिय पंचायतें दिवाले में जा रही हैं, इसलिए उनकी सहायता के लिए लैंड रेवेन्यू में से देने के बारे में क्या विचार है आपका ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लैंड रेवेन्यू की डिमान्ड से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। अब इस पर विस्तार से विचार किया जावे तो किस तरह यह सहायता दी जावे, इसको ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। इस समय तो लैंड रेवेन्यू की परिस्थितियों को दिमाग में रख कर चल रहे हैं। अब पंचायतों के लिए पर कैपिटा के आधार पर या एडहॉक जो दिया जाता है अब कितना हो, कैसे हो, क्या हो तो इस सारी पिक्चर को देखा जाना चाहिये। जिन जगहों पर परसेन्टेज दिया जाता है वहां उसकी लाइबिलिटी वगैरह दूसरी चीजों को भी देखना होगा। तो इस डिमाण्ड के साथ इतने परसेन्टेज इनको दे दें, ऐसा फैसला अगर कर दें तो यह ठीक नहीं होगा। वह खुद में ऐसा प्रश्न है जिसे व्यापक रूप में देखने का प्रश्न आता है। इसलिये यह फैसला किया गया है कि कम्युनिटी डेवलपमेन्ट की डिमान्ड पर बहस हो तो वहां रिसोर्स बढ़ाने के पोइन्ट ऑफ व्यू से प्रश्न रखा जा सकता हैं। इस डिमान्ड में तो यह प्रश्न आया नहीं है कि पंचायत के रिसोर्सेज को बढाने के बारे में क्या तय किया जावे या लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन कर दिया जावे। आशा है इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्य अपने कट मोशन्स वापिस ले लेंगे।

(सर्वश्री हरिराम चौहान और भीमसेन के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जो भूमि सिंचित होगी नहरों से उससे बाहर की भूमि वाले गांवों को कॉलोनाइजेशन से बाहर निकालने में सरकार को क्या दिक्कत होती है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय मुख्य मन्त्रीजी............

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर और भरतपुर के शरणार्थियों से....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर वे दे चुके हैं। प्रश्न यह है कि मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०६,८४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १ स्वीकार की गई।

(१२.५० म. प.)

मांग संख्या १२–पुलिस

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या १२-पुलिस।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,३३,५७,००० रु० तक की धन राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० तक की कटौती की जाय (पुलिस की दमनकारी नीति पर बहस करने हेतु)।

(६३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस व्यवस्था के संचालन की नीति में आमूल परिवर्तन पर प्रकाश डालने के लिए)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्ष २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में पुलिस कस्टडी में होनेवाली मौत के कारणवश मृतक के वारिसों को मुआवजा दिलाने की बात पर प्रकाश डालने के लिये)।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १)रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के भाग ख–जिला कार्यकारी (पुलिस) दल के आइटम (४) में २,८१,०००) रु० की कटौती की जाय (भूतपूर्व राजाओं के महलों पर सरकारी खर्चे पर गार्ड रखने के अनौचित्य पर एवं इस खर्च को कम कराने पर बहस करने हेतु)।

(३२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

२३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (वायरलैस में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को वेतन ग्रेड संशोधित वेतन ग्रेडों के अनुसार न दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(३३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा धारा १०७ जाब्ता फौजदारी और १५१ जाब्ता फौजदारी के अनुचित प्रयोग पर बहस करने हेतु) ।

(४४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय। (पुलिस द्वारा धारा १०६ जाब्ता फौजदारी के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

(४५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस जन अधिकारों की रक्षा करने की बजाय जनता के सामान्य अधिकारों को कुचलती है, इससे उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(१००) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100/-(To discuss the mis-use of forms by the police in the name of investigation of crimes).

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): (५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में ४८,००,०००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सशस्त्र पुलिस के खर्चे को राज्य कोष से देने तथा उसके उपयोग के अनौचित्य पर बहस करने हेतु) ।

(६५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (डाकू जगमालसिंह को पकड़ने में पुलिस की नाकामयाबी पर बहस करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (शहरी आबादी पर पुलिस द्वारा किये गये आक्रमणों पर बहस करने हेतु) ।

(६७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर में निर्मित पुलिस लाइन्स (Police lines) पर बहस करने हेतु) ।

(६८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (उन डाकों और चोरियों पर बहस करने हेतु, जिन्हें पुलिस अब तक पकड़ नहीं सकी) ।

श्री भैरवलाल "काला बादल" (अकलेर-सु०) : (६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग द्वारा जनता के जान-माल की रक्षा करने में उदासीनता पर बहस करने के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में

(श्री भीमसेन)

१) रु० की कटौती की जाय (थाना भींवसर, वापेउ, धांधू, जिला चुरू को समाप्त करने पर बहस करने के लिये) ।

(१०) Demand. No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100/-(to discuss the appointment of a high power Commission for reorganisation of Police Department for increasing its efficiency and other ancillary matters).

(८८) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100 /-/ (To discuss Public conduct of P. C., R. A. C. of Post Bellar, District Bikaner).

(८९) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100 /-/ (To discuss expenditure on guards at Jai Garh Fort).

(९०) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100 /-/ (To discuss expenditure on Guards at Rulers' Palaces).

(९१) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Rs. 100 /- (To discuss Public conduct of present A.C., R.A.C. Anoop Garh, District Ganganagar).

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : (११) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर जिले में बढ़ते हुए अपराधों पर बहस करने हेतु) ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : (१३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला गंगानगर में पुलिस अफसरों व कर्मचारियों में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे न्याय व्यवस्था को भारी खतरा हो गया है, उस पर बहस करने हेतु) ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़) : (१५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, इस पर बहस करने के लिये) ।

श्री रावतराम (सादुलपुर सु.): (१६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (चुरू जिले में पिछले कुछ अरसे से काफी चोरियां एवं डकेतियां हुई हैं, उनको रोकने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (१७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पर विचार करने हेतु) ।

(१८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (अश्रु गैस के प्रयोग पर विचार करने हेतु) ।

(१९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (डकेती निरोधक नीति पर विचार करने हेतु) ।

(२३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय

Page No 42

(श्री बिजयसिंह झाला)

(नरेशों के प्रसादों पर नियुक्त रखी की नीति पर विचार करने हेतु) ।

(२४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (जिला कार्यकारी पुलिस दल की सेवा कार्य नीति पर विचार करने हेतु) ।

श्री सम्पतलाल (मावली) : (२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार उन्मूलन में पुलिस असफलता पर विचार करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (२१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर विचार करने हेतु) ।

(२२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (अपराधों की बढ़ोत्तरी पर विचार हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (२५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (थानों की अव्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिये) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : (२६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में बहस करने के लिये) ।

श्री रामकिशन (वैर) : (३१) मांग, संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १)रु० तक की कटौती की जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार पर विवाद करने हेतु) ।

(३६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस को पंचायतों के अधीन देने की नीति पर विवाद करने हेतु ।

(४०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (जनूथर, भरतपुर ग्राम के लोगों को इनाम देने में बरती गई पक्षपात पूर्ण नीति पर विवाद करने हेतु ।

(४१) मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस के छोटे कर्मचारियों को संगठन, वेतन तथा अन्य सुविधायें देने के लिये बहस करने हेतु ।

श्री देवीलाल मीणा(सराड़ा-सु०) : (३४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील खैरवाड़ा, सराड़ा में कत्ल के मामलों में पुलिस की नाकामयाबी व उनके द्वारा मामलों को बिगाड़े जाने पर बहस करने हेतु)

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु०) : (३५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (लक्ष्मणगढ़ सर्किल में पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्तर-दायित्व को निभाने में असमर्थ रहने के प्रश्न पर बहस करने हेतु) ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : (३७) Demand No. 12, Major Head 23-Police be reduced by Re./- (to discuss the in-efficiency of Police Department in dealing with registered cases).

श्री फतेहसिंह (चोहटन) : (३८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सीमान्त प्रदेश में कार्य करनेवाले सिपाहियों को अतिरिक्त भत्ता देने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने हेतु) ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : (४२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (मालिक और मजदूरों के Collective bargaining के विवादों में पुलिस द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(४३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राज–समन्द) : (४८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रुपये की कटौती की जाय (to discuss the possibilities of organising cultural activities, youth activities, and proper publicity of progress in order to enthuse the Police personnel through Police magazine and to provide proper facilities therefor).

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : (४६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय कर्मचारियों द्वारा आम जनता को आतंकित करने सम्बन्धी विषय पर बहस करने हेतु) ।

(५०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय गड़बड़ियों पर बहस करने हेतु) ।]

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आज कटौती के प्रस्ताव बहुत हैं । तो आज ही इसे खत्म किया जावेगा या कल भी कन्टीन्यू किया जावेगा ? पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है ।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की इच्छा हुई तो आधा घंटा बढ़ा देंगे । पर उचित तो यह है कि आज ही इसे समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि आगे भी ऐसे विषय हैं जिन पर माननीय सदस्यगण काफी बोलना चाहेंगे । तो कल होगा सरकार की तरफ से उत्तर और इस पर बहस आज ही समाप्त करने की कोशिश की जावे तो अच्छा है ।

श्री हरिराम ।

श्री हरिराम चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

श्री अध्यक्ष : टाइम तो फिक्स हो चुका है । माननीय सदस्य पांच, दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे ।

श्री हरिराम चौहान : यह पुलिस जनवादी अधिकारों पर काफी दमन करती है और कुछ भ्रष्टाचार भी इस महकमे में बहुत ही जबर्दस्त फैला हुआ है। इसके लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

(१.० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

पुलिस की किसलिये जरूरत पड़ी, यह हमें थोड़ा देखना है। पुलिस के क्या काम हों और किस तरह से वह किन लोगों की मदद करे, किन लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, यह भी सवाल-देखने का काम हमारे सामने है।

इसके विपरीत जिस तरह की हमारी राजस्थान की पुलिस है उसके सम्बन्ध में, कहने के लिये भले ही यह बात हो कि यह पुलिस शान्ति और अमन कायम रखने के लिये है या कि जो समाज में असमाजवादी तत्व हैं उनको पकड़ने और दबाने के लिये है। हकीकत यह है कि इस पुलिस का आज उपयोग बुनियादी अधिकारों का हनन करने के लिये किया जाता है। जनता के जो जनवादी अधिकार हैं उनको हनन करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे संविधान में बोलने की, लिखने की, हड़ताल करने की, जुलूस और जलसों के करने की, और कोई भी आन्दोलन करने की आजादी दे रखी है। पर हमारे उन अधिकारों का हनन जो होता है, उन सब चीजों का दमन जो होता है इसके लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो वह राजस्थान की पुलिस है। जो कभी भी मजदूरों की हड़ताल हो तो उस पर लाठी चलाने के लिये पहुंच जावेगी, कोई भी किसान आन्दोलन हो तो यह पुलिस उनके खिलाफ इस्तेमाल की जावेगी, कोई भी आन्दोलन, चाहे वह विद्यार्थियों का हो, केन्द्रीय कर्मचारियों का हो, मजदूरों का हो, चाहे मेहतरों की हड़ताल का हो, चाहे कपड़ा-मजदूरों का हो, उन तमाम हड़तालों या आन्दोलनों को कुचलने के लिये, मालिकों के हकों की रक्षा करने के लिये यह पुलिस चली जावेगी और कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ अपनी आर्थिक मांगों के लिये अगर विद्यार्थी आन्दोलन करते हैं या किसान आन्दोलन करते हैं या पट्टेदार आन्दोलन करते हैं तो तमाम लोगों के आन्दोलनों को कुचलने के लिये यह पुलिस वहीं धमक जाती है और जो ताकत उसके हाथों में आज दी गई है वह बहुत भारी और जरूरी तौर पर दी गई है। अंग्रेजों के जमाने में जितने भी कानून बने हुए थे, उन कानूनों का मकसद था कि किसी भी तरीके से जा-बेजा तरीके से, मेहनतकश लोगों को दबा कर रखा जाये, उनकी आवाज को कुचला जाये, मेहनतकश लोगों के संगठन को तोड़ा जाये, उन लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किये जायें और अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिए तमाम के तमाम जितने भी बड़े बड़े पोथे पुलिस के कानूनों के हैं उनकी इसलिए उनको जरूरत महसूस हुई कि हम अगर जिन्दा रह सकते हैं, हम अगर हिन्दुस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, हम हिन्दुस्तान की जनता को काबू में कर सकते हैं तो वह एक ही तरीका हो सकता है कि हमें पुलिस के लिए ऐसे कानून बनाने चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा

(श्री हरिराम चौहान)

जनता को जकड़ सकें ।

मुझे अफसोस है कि १५ साल के बाद भी आज तरह तरह के नये कानून आये, तरह तरह के संशोधन आये, चाहे टीनेन्सी एक्ट हो, जागीरदारी कानून हो और किसी तरह के भी कानून हों, किरायेदारों के लिए कानून हों या तनख्वाहों के लिए कानून हों और तरह तरह के नये कानून बनें, नये नये संशोधन आयें लेकिन मुझे यह पता नहीं कि हमारी सरकार ने जो अंग्रेजों के जमाने से पुलिस के लिए कानून थे, इस पुलिस को जो ताकत दी हुई थी इस १५ साल के बाद उस ताकत के अन्दर क्या बुनियादी परिवर्तन किया है, उनके अधिकारों में और क्या बुनियादी परिवर्तन हुआ है। उनके हाथ में जो ताकत थी उसे भी इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर सके । मैं यह समझता हूँ कि जितने भी कानून हैं उनके द्वारा जो भी पुलिस दमन कर सकती है उसने किये । कानून के अन्दर कई दफायें हो सकती हैं कि जिनको पूरी तरह से सस्पेण्ड कर दिया जावे तो हमारी सरकार का कोई काम बिगड़ नहीं सकता । जैसे दफा १४४ है । उसकी हमको कभी जरूरत पड़ती है तो जिस वक्त हमारी सरकार कह देती है कि कोई भी आंदोलन, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता उसके लिए एक सिपाही जाकर सी० आई० डी० को रिपोर्ट दे देता है तो मजिस्ट्रेट से ऐलान करा दिया जाता है कि दफा १४४ लगा दो । इसी तरह से कोई भी आदमी किसी के भी खिलाफ यह शिकायत करे कि फलां आदमी से नुक्सेअमन को खतरा है इसलिए १०७ के अन्दर इसकी जमानत लो और अगर जमानत नहीं दे तो उसको जेल में बन्द कर दो । इसी तरह से १०९ दफा है और इसी तरस से १४७ वगैरह के ऐसे बहुत से कानून हैं कि उस कानून के पीछे को गहराई से देखें तो इतनी ताकत दी हुई है पुलिस को कि वह जितना जी चाहे जुल्म कर सकती है । यहां हमारे नेता बैठ कर यह कहें, कांग्रेस के माननीय सदस्य जो चुन कर आये हैं वे यह कहें कि अभी हमारा प्रजातन्त्र एक बालक है, वह अभी १५ साल का है उसको अभी बड़ा करना है, उसको अभी पालना है, उसके लिए अभी हमको बहुत कुछ काम करने पड़ेंगे और यह एक साल में ठीक नहीं होगा, दो साल में नहीं होगा; इसके लिए लगातार प्रयत्न करने पड़ेंगे । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस पुलिस को आपने पूरी तरह से, जिस तरह से १५ साल से पालते रहे हैं बराबर हमसे बढ़ाचढ़ा कर खर्चा मांगते रहे हैं और यह पुलिस जितने भी दमन करती रही है इसको आप उसी तरह से पालते रहे हैं जैसे आप प्रजातन्त्र को पाल रहे हैं तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस प्रजातन्त्र के बालक को पुलिस, जो आपने शक्ति उसके हाथों में दे रखी है, कभी भी उस बालक को नहीं पनपने देगी और अगर जरूरत पड़ी या कोई आवश्यकता महसूस हुई तो उस बालक को बिल्कुल खा जायगी और इससे न तो आपका प्रजातन्त्र ही पनपेगा और न जनता ही । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो जनवादी अधिकारों का हनन होता है और जो कुछ पावर्स पुलिस को दी गयी हैं उन तमाम की जांच होनी चाहिए । इस किस्म की और भी कई दफायें हो सकती हैं। उन तमाम दफाओं के बारे में यह ऐलान करें कि हम इनका उपयोग नहीं करेंगे । जैसा कि केरल के

(श्री हरिराम चौहान)

अन्दर कॉम्युनिस्ट सरकार ने कहा कि हम दफा १४४ का, दफा १०७ का और कभी भी मालिक और मजदूर के बीच में किसी किस्म के आन्दोलन हुए, वे अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे तो हम कभी भी मालिक के पक्ष में पुलिस को नहीं भेजेंगे। इस किस्म के कुछ सिद्धांत तय करने पड़ेंगे और जनवादी शक्तियों को बल मिले, इस किस्म के कुछ काम करने पड़ेंगे....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : केरल में तो गोलियां भी चलीं थीं।

श्री हरिराम चौहान : वह तो मजबूर किया गया था। वहां तो एक दफा की बात है, बाकी जगह की सरकार के अन्दर तो कितनी ही बार चली हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक तो बात मैं कहना चाहता था वह मैंने कही। अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां समाज विरोधी तत्व हैं इनको दबाने के लिए ऐसा ही होता है, ऐसा कहते हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं और हमारे मन्त्री महोदय पूरी तसल्ली के साथ इसका जवाब देंगे कि समाज विरोधी तत्वों को दबाने के लिए पुलिस काम नहीं कर रही है, बल्कि समाज विरोधी तत्वों को पालने के लिए पुलिस काम कर रही है। आपकी पुलिस का एक भी थानेदार, मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि एक भी थानेदार, ऐसा नहीं होगा जो कि चोरों से मिला हुआ न हो, एक भी थानेदार ऐसा नहीं होगा जो मिल कर शराब नहीं निकलवाता हो, एक भी थानेदार ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरी नजर में रह गया हो तो वह आप गिन कर बता दें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोई भी थानेदार ऐसा नहीं होगा जो रिश्वत न खाता हो, कोई थानेदार ऐसा नहीं मिलेगा जो गलत एलीमेन्ट्स हों और समाज विरोधी तत्व हों उनको किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन न देता हो। ऐसा एक भी आपको थानेदार नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी आपको इन्सपेक्टर नहीं मिलेगा और ऊपर के हों तो नहीं कह सकता। लेकिन देखने के अन्दर ऐसा आया है कि नीचे से ऊपर तक एक ऐसी कड़ी बंधी हुई है कि कोई भी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराओ, कोई भी केस आप पकड़ाओ उसके यह तसल्ली नहीं हो सकती कि इसके अन्दर अन्दर कुछ सजा हो जायेगी।

मैं इस किस्म के कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। तहसील तिजारा के अन्दर नाजायज़ शराब निकलती है और उसके लिए वहां के थानेदार साहब बहुत ही ठाट से वहां पर जाते हैं और उन्होंने किश्तें मुकर्रर कर रखी थीं और जब किश्तें वसूल करने के लिए जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि किश्तें उनके पास थी नहीं या वे ज्यादा मांगते थे या कम मांगते थे लेकिन किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो झगड़ा यहां तक पहुँचा कि थानेदार साहब को गोली चलानी पड़ी और थानेदार साहब ने, मैं नहीं समझता कि क्या कारण था लेकिन वहां गोली चलाई। इस झगड़े में थानेदार साहब को भी चोटें आई और वह एक दलाल साथ लेकर आये थे उसको भी चोटें लगीं। तो इस तरह की हरकत वहां पर हुई और वहां पर गोली चली। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार ने गोली

Page No 47

(श्री हरिराम चौहान)

चलाने के बारे में कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस के पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। आत्मरक्षा के लिए गोली चलायें और भी बड़े से बड़ा काम करने की जरूरत पड़े तो वह तमाम काम करें। आज बन्द कमरे के अन्दर लोगों को पीटा जाता है। कोई भी थाना नहीं होगा कि जहां बाकायदा अन्दर बंद कोठारी में लोगों को न पीटा जाता हो और कानून इस किस्म के हैं कि अगर वह आवाज उठायें, एस० पी० के पास जायें या अदालत के अन्दर जायें तो वहां पर पूछा जायेगा कि गवाह लाइये कि आपको कहां पीटा। गवाह लाइये कि किसने आंखों से देखा। उनको पता नहीं कि अन्दर कोठरी में पीटते हैं। मन्त्री महोदय खुद भी जानते हैं और जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वे जानते हैं कि पुलिस बन्द कमरे में पीटती है, किसी को दिखता नहीं है। पुलिस की चोटें दिख सकती हैं लेकिन कानून यह कहता है, एस० पी० साहब यह कहते हैं और मन्त्री महोदय भी अगर जरूरत पड़े तो यह कहें कि देखनेवाला ही कोई नहीं था तो कैसे मालूम पड़ सकता है। तो इस तरह के कानून हैं। जितने भी कानून हैं वे जनता को दुख दे सकते हैं, जो जुल्म करनेवाले लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। उन कानूनों के अन्दर हम संशोधन नहीं लायें, उन कानूनों को बदलें नहीं तो इस तरह की घटनायें भी होती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देखिये मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। कम से कम दूसरा भी इसमें समझ लीजिये।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर दें। अभी व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री हरिराम चौहान : ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री सभापति : अभी व्यवस्था दी जा चुकी है कि १० मिनट अधिक से अधिक लें तो आपका सहयोग इतना ही चाहिये कि दूसरे और भी बोल सकें।

श्री हरिराम चौहान : तो इस प्रकार चोरियों का यह हाल है, कत्ल इस कदर हो रहे हैं कि हमारे जिले के अन्दर कई कत्ल हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय यह नहीं बता सकेंगे। दो, दो सालों से कत्लों का पता नहीं चलता है। माननीय मंत्रीजी नये आये हैं, कुछ नये सुझाव दे रहे हैं और नये सुझावों का पालन कराने में टाइम लगेगा। यह मंत्री महोदय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि कत्लों का पता नहीं चलता है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो कत्ल आपके नोटिस में हों और जिसका आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, वह बतलायें। खाली यह कहना कि कत्ल हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, यह भाषण तो प्लेटफॉर्म का हो रहा है।

श्री हरिराम चौहान : अभी नोट करलें बता रहा हूँ अभी देर हो जायगी। बाद में नोट करवा दूंगा। अभी तिजारा तहसील में भौंसा ग्राम में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 48

श्री सभापति : एक मिनट में ही समाप्त कर दें। आप १५ मिनट ले चुके हैं।

श्री हरिराम चौहान : चोरियों का यह हाल है कि दूसरों की हिफाजत तो क्या करें, अलवर का म्यूज़ियम है उसके अन्दर से सोना और चांदी के हुक्के और पता नहीं क्या क्या चीजें चोरी हो गई हैं और उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।

(समय-समापप्ति-सूचक घंटी)

जो सरकारी जगह है उस सरकारी जगह का यह हाल है तो औरों का क्या हाल होगा? ये सारी चीजें जो हैं वे काफी बड़ी तादाद में हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि घंटी कई दफा हो गई है इसलिये इतना ही कहना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनके ५ मिनट मुझे मिल जायं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं ज्यादा ले लूंगा। माननीय सभापतिजी, मैंने ३ कटौती-प्रस्ताव रखे हैं पुलिस की डिमाण्ड पर। मुझे खुशी है कि अभी जैसा कि मेरे सम्माननीय सदस्य ने कहा माननीय मंत्री महोदय कुछ ध्यान देंगे। पुराने ५ वर्षों का समय जहां तक पुलिस विभाग का था मैं समझता हूं नहीं रहता तो ठीक रहता। उस अर्से में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैं उसका खास श्रेय भैरोंसिंहजी को देता हूं कि कम से कम उन्होंने एक नया रास्ता तो प्रशस्त किया कि आगे अच्छी व्यवस्था हो सकेगी।

मेरा जो कटौती प्रस्ताव है सबसे पहला वह हमारे पुलिस के संगठन में आमूल परिवर्तन करने का है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं इस पुलिस के विभाग को ऐसा विभाग समझता हूँ कि यह विभाग एक बहुत जिम्मेदारी का विभाग है और लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी विभाग पर है। कानून तो बनाते हैं पर कानून का पालन कराने की जिम्मेवारी किसकी है? कानून का दूसरा अगर कोई अर्थ निकल सकता है तो मैं उसका आचरण समझता हूँ और आचरण के विपरीत काम करने वाले जो लोग हैं वे गुनाहगार होते हैं और जो गुनाहगार होते हैं उनको पकड़ने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। यह एक परस्पर ऐसी संबंधित चीज है कि जिन लोगों की तरफ ज्यादा जिम्मेवारी है गुनाहगार को पकड़ने की, जिनके ऊपर सारा उत्तरदायित्व है एक लफ्ज में यह कह दूं कि जिन लोगों की तरफ यह जिम्मेवारी है कि जो गुनाहगारों को पकड़ा करे वे ही सही मायने में सारे क्राइम्स होते हैं उनको कौन करता है, इसको गहराई से देखा जाय तो अधिकांश क्राइम्स करने वाली पुलिस स्वयं बन गई है। जब गुनाहगार को पकड़नेवाला ही गुनाहगार हो गया तो उसकी रक्षा करनेवाला कौन होगा? आज पुलिस के कारण आप कहीं पर चले जायं और किसी से कहें कि पुलिस के पास जाओ तो वह हाथ जोड़ता है और कहता है कि उससे पाला नहीं पड़े। क्या आजादी के

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाद भी इस विभाग के दरवाजे पर यह लगाकर रखा है कि 'हम सेवा के लिये खड़े हैं' और जनता वाले उससे घबरायें कि उससे पाला नहीं पड़े तो अन्दाजा लगाइये कि विभाग क्या है ? अगर यह स्थिति है मुल्क की आजादी के बाद भी तो मुल्क को सोचना पड़ेगा, मुल्क के जिम्मेवार लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस ढांचे में परिवर्तन किया जाय या नहीं । मैं इस चीज को मानने वाला हूँ कि पुलिस के ढांचे में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है । इसके संबंध में आने वाले गृह मंत्रीजी कुछ सोच रहे हैं । कुछ सुझाव रखे हैं जो कि पत्रों में छपे हैं । परन्तु जो कुछ है आने-वाला समय उसका जवाब देगा । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विभाग के अन्दर आमूल परिवर्तन की जिम्मेदारी आज पुलिस विभाग और सरकार के ऊपर है ।

पुलिस विभाग के अन्तर्गत नई चीज ही देख रहे हैं कि इसका खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है । ५०–५१ का जो बजट है वह २,१७,००,०००) रु० का पुलिस विभाग का था और आज जो बजट रखा गया है वही १२ साल के बाद में हो गया है ५,३२,६७,०००-रु० का । तो बजट तो ढाई गुना हो गया है । पुलिस इसलिए बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि जुर्म बहुत होते हैं । तो जुर्मों को दूर करने के लिए सिपाही रखने पड़ रहे हैं, ज्यादा आदमी रखने पड़ रहे हैं, खर्च करना पड़ता है और ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं कि खर्च बढ़ रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे खर्च बढ़ रहा है और सिपाही बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से लोगों पर प्रहार भी हो रहा है और पुलिस नाकाम साबित होती चली जा रही है और यह होता चला जा रहा है कि एक ठाकुर साहब थे उनको दूध पिलाने वाला एक आदमी था वह सेर भर दूध उनको रोज रात को पिलाता था । उसमें धीरे धीरे पानी मिलना शुरु हो गया तो दूध उनको तीन पाव मिलने लगा । फिर एक आदमी और रखा तो आधा सेर दूध मिलने लगा और आधा पानी मिलने लगा । जब तीसरा आदमी रखा तो ठाकुर साहब को केवल पानी मिलने लगा । जब ठाकुर साहब ने यह कहा कि मुझको पानी मिला तो उनको बतला दिया कि साहब आपकी मूछों पर तो मलाई लगी हुई है और रात को लगा दी थी मूंछों पर मलाई । इसी तरह से जनता को उसका लाभ नहीं मिला । खर्चे को देखते हुए किस प्रकार से कोई परिवर्तन किया जाय ?

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अन्दर कई सुझाव बार बार रखे चले जा रहे हैं, पर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं सोचती, इस बारे में । आज राजस्थान के बजट के, अन्दर ५,३२,००,०००) का जो खर्चा रखा गया है इसमें एस्टीमेट्स कमेटी ने सुझाव दिये हैं कि आर०ए०सी० का विभाग है उसमें ८० लाख रुपये के करीब खर्च होते हैं । आर० ए० सी० हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए है तो सीमा की जिम्मेवारी हमारी केन्द्रीय सरकार को है । आज ८० लाख रुपये हमारे खजाने से खर्च करते हैं, राजस्थान की जनता पर इतना भार पड़ता है ।

रेलवे पुलिस विभाग है, उस पर आपके लाखों रुपये खर्च होते हैं, करीब १५–२०

Page No 50

(श्री मुरलीधर व्यास)

लाख रुपये खर्च होते हैं। आपको चाहिये कि आप इस विभाग को केन्द्रीय सरकार को दें और १ करोड़ की बचत कर सकें, राजस्थान की जनता पर से भार कम कर सकें।

इसी प्रकार से नये ढांचे में परिवर्तन करना चाहिये, जैसा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया, कमिश्नर के कार्यालय को हटाया। उसी तरह से आज डी. आई. जी. पी. की क्या आवश्यकता है ? डी. आई. जी. के हैड क्वार्टर्स को आप घटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरे विभाग हैं, जैसे सी. आई. डी. का विभाग है। क्या काम करता है आपका सी. आई. डी. का विभाग ? इसी तरह से आपका एन्टी करपशन का विभाग है। इन पर आप २५–३० लाख रुपये खर्च करते हैं। ये दोनों विभाग निकम्मे हैं। इनमें से सी. आई. डी. विभाग को तो पी. आई. डी. कह दिया जाय। सी. आई. डी. का मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से है, जो क्रिमिनल्स की खोजबीन करे लेकिन आज इस विभाग को पी. आई. डी. विभाग कहना चाहिये। पोलिटिकल आदमी, राजनैतिक काम करनेवाले जितने भी आदमी हैं उनकी जानकारी यह विभाग सरकार को देगा कि फलां आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसने किस प्रकार का भाषण दिया। इस प्रकार से इसको पी.–आई. डी. विभाग बना दिया है। आज इस विभाग को सही तरीके से काम करना है। सरकार नये ढांचे से काम कर रही है, विकास के लिए पैसे लगा रही है तो इस विभाग को देखना चाहिये कि किस विकास का काम वास्तव में हो रहा है या नहीं, किसी ने इन्डस्ट्री के लिये और दूसरे काम के लिये लोन लिया तो उसको उसने सही तौर पर लगाया या नहीं, पैसा लेकर उसका मिसयूज़ तो नहीं किया है। कौन ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, कहां मिलावट हो रही है, आदि ये जो चीजें आदमी के जीवन से सम्बन्धित हैं उनकी ओर इस विभाग को देखना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौनसी शिकायत इस विभाग ने आपके पास की है इस तरह की ? आपका जो पुलिस का ढांचा चल रहा है वह पुराने आधार पर चल रहा है और उसी आधार पर काम चल रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको राजस्थान के पुलिस के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन नीचे से ऊपर तक करना चाहिये। कहीं कहीं पर एस. पी., डिप्टी एस. पी. बहुत ज्यादा होते हैं और जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। थाने अनावश्यक रूप से बना रखे है, जिनका उपयोग नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में दूसरे प्रांतों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति पुलिस का खर्चा ज्यादा है। राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो नये तरीके से परिवर्तन करना चाहिये और पैसा विकास के काम में अधिक से अधिक लगाना चाहिये। जो आदमी भ्रष्टाचार या अनैतिकता का काम करते हैं उनको रास्ते पर लगाना चाहिये। आज की पुलिस पर यदि इतना खर्चा होता है तो यह ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें परिवर्तन करना चाहिये।

दूसरी बात, जिसे मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज पुलिस विभाग स्वयं क्राइम

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थल बन गया है। ज्यादा से ज्यादा क्राइम यदि कोई करता है तो वह पुलिस का कर्मचारी है। जो विभाग गुनाहगारों को पकड़ कर सज़ा दिलाने के लिये जिम्मेदार है वह खुद गुनाह करता है तो उसको सुधारने के लिये क्या सुझाव होना चाहिये ? मंत्रीजी के सुझाव मैंने पढ़े हैं। वे कहते हैं कि हम जिलों में जनता की नामजद कमेटी बनाना चाहते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट ले, सुझाव दे जिससे कि क्राइम कम किये जा सकें। ठीक बात है, अच्छा सुझाव है। मैं भी अच्छा सुझाव समझता हूं, उन अच्छे सुझावों में से एक सुझाव समझता हूं। आज के इस डेमोक्रेटिक सेट-अप में एम. एल. एज. हैं, पंचायत और पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद् के अंतर्गत हैं। जिला परिषद् की बैठक में जिस प्रकार दूसरे ऑफिसर्स बैठते है उसी प्रकार से यदि उनमें एस. पी. भी बैठें और हर पंचायत और हर गांव की शिकायत मौजूद हो, ओफिसर्स से डिसकस किया जा सके और वह रिपोर्ट जिला परिषद् से यदि गृह मंत्रीजी के पास भेजी जाय और गृह मंत्रीजी उस पर ध्यान दें तो नीचे से ऊपर तक पुलिस की रिपोर्ट आपके पास पहुंच सकती है और आप उसे कागज का केवल रद्दी टुकड़ा न समझें, बल्कि लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्चा समझें तो मैं समझता हूँ आपके पुलिस विभाग में जो गुनाह का गढ़ बन गया है, उसमें सुधार आ सकता है, यह सुझाव देना चाहता हूं।

दूसरा यह सुझाव देना चाहता हूं कि नीचे के स्तर पर जो थाने हैं, यदि थाने के आस-पास की शिकायत हो तो वहां की पंचायत के सरपंच के पास शिकायत है तो थानेदार और सरपंच मिल कर बातचीत करें........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सभापति महोदय से कहूँगा ५ मिनट हुए हैं, ३ कट मोशन्स हैं, मैं आमूलचूल परिवर्तन की बात कह रहा हूँ जो दो, चार मिनट में नहीं कह सकता, फिर भी थोड़े में खत्म कर दूंगा।

यह जो आमूलचूल परिवर्तन की बात है और जो सुधार आ सकते हैं, आयेंगे। हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं कि आज चोरी पकड़ने के लिये नया ढांचा होना चाहिये। मंत्री महोदय ने खुद ने कहा कि चोरी पकड़ने के लिये इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये। आज उन्होंने कहा कि मारपीट नहीं होनी चाहिये, आज कहा और दूसरे दिन चोरी हुई तो मारपीट की गई। मुझे मालूम है सुजानगढ़ के पोस्टमास्टर के यहां चोरी हुई, इधर घोषणा हुई कि मारपीट नहीं होनी चाहिये और उधर लोगों को पकड़ कर मारपीट की गई, जिसमें से तीन, चार आदमी अस्पताल में पड़े हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि क्या किस्सा है, आप स्वयं जांच करें लेकिन एक मिसल को लेकर मारपीट करके दबाव से कहलाने की कोशिश करें तो यह अच्छी बात नहीं है। जहां तक मालूम हुआ रामचन्द्र के यहां कोई सो गया तो उसको पकड़ कर पीटेंगे और उससे कहेंगे कि यह कह दो कि उसके यहां सोया था। तो यह जो तरीका है मारपीट से कबूल कराने का उसको आज बदलना चाहिये और जब नया ढांचा लाना चाहते हैं तो इसमें नया परिवर्तन होना चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आर.ए.सी. और दूसरी बातें कहीं । इस बारे में अगर नहीं सम्भल सकता है या संभल भी सकता है तो भी इसे केन्द्र को दे देना चाहिये । आपके खुद के पास शिकायत आई होगी कि आर.ए.सी. वाले लॉ एण्ड ऑर्डर अपने हाथ में रखते हैं, मनमाने ढंग से पीट देना, पैसे की मांग करना ये पुराने जमाने की बातें होती हैं, ५००) रु० निकालो, नहीं तो पोटेंगे तो जो बातें पूगल के इलाके में हो रही है, जिनके बारे में कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ से भी शिकायत आई है तो मैं समझता हूं लॉ एण्ड ऑर्डर की रक्षा करना जिसका काम है वह खुद ला एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर किसीको मारे-पीटे, किसी से पैसा ले तो यह गृह मन्त्रीजी के लिये भी कलंक की बात है, इसमें परिवर्तन आना चाहिये, चाहे कोई भी हो ।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की कही । सी.आई.-डी. के बारे में कह रहा था, किस प्रकार काम करना चाहिये । भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट के लिये कहा, मैंने यह भी कहा कि पुलिस विभाग क्राइम का स्थल बन गया है । खुद जो क्राइम करते हैं उनकी रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है । कोई भी यदि थाने में एफ. आई. आर. लिखाने जावे कि इस थानेदार ने मार दिया है तो आप बता दीजिये आज तक कोई ऐसी शिकायत आई हो ? तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास किस तरीके से सही रिपोर्ट आ सकती है । मुझे मालूम पड़ा कि सिरोही में के. एन. गुप्ता जो भ्रष्टाचार करने में नामी आदमी है, भीलवाड़ा में भी रहा, उसके बारे में पुलिस ने रिपोर्ट दी कि यह डीवाई. एस.-पी. भ्रष्टाचार और व्यभिचार करता है, पुलिस के पास रिपोर्ट है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार करता है, किस प्रकार वेश्याओं को घर में रखा, चंदा और गोरी को, इसकी रिपोर्ट की जाने के बावजूद भी इस डिप्टी एस. पी. के खिलाफ, चाहे सी. आई. डी. की रिपोर्ट है, कोई कार्यवाही नहीं की गई । तारीफ यह कि खुद भ्रष्टाचार करें और सी. आई. डी. द्वारा रिपोर्ट की जाय तो भी आप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करें, तो कौन करेगा ? पुलिस कितना भ्रष्टाचार करती है उसकी सीमा नहीं है । अभी हमारे शहर में जीवराज नाम के व्यक्ति को ले गये, स्टेशन से पकड़ करके । उसके पास से थैली ले ली जिसमें उसका जमा किया हुआ रुपया था । पुलिस ने चोर कह कर उसका रुपया रख लिया । उस थैली में ग्यारह सौ रुपये थे । वह बेचारा आठ दिन तक शहर में पागल सरीखा फिरता रहा । किसी ने मेरा नाम बताया तो वह मेरे पास आया । मैंने थानेदार से कहा-इसे चोर बताते हैं, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे पास भेज दो । मैंने उसे वहां भेज दिया । वह चक्कर खाकर वापिस आया । फिर मैं उसके साथ गया और मैंने कहा-कि इसका रुपया लिया है या नहीं ? तो मुझे मना कर दिया । बाद में पुलिस के जरिये मालूम पड़ा कि रुपया लिया है और बताया कि उसमें ग्यारह सौ रुपया रखे हैं । उस थैली में इकन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी थीं । वह ऐसा आदमी था जो जिन्दगी भर की कमाई को जमा करता रहा और थैली में लेकर घूमता था । उसकी जिन्दगी का जो सहारा था उसको लेकर पुलिस ने रख लिया । बड़ी मुश्किल से उसे ग्यारह सौ रुपये मिले । मुझे उन रुपयों को गिनने में दो घंटे लग गये । जिस समय

(श्री मुरलीधर व्यास)

उससे वह थैली ली तो उसने कहा कि इतना पैसा रखते हो, इस पैसे के लिए रसीद दे दो, तो उसको एक रुक्का दे दिया गया। रुक्का चाय की होटल वाले का था, जिसमें लिखा था चाय के पैसे दे देंगे। उस आदमी को चाय की होटलवाले का रुक्का दे दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि पैसे की रसीद मांगी तो उसको रुक्का दे दिया और वह भी होटल वाले का रुक्का दे दिया। यह भ्रष्टाचार है। तो पुलिस का महकमा भ्रष्टाचार का स्थान हो गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं दो, तीन मिनट और लूंगा। मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है, उस पर बहुत थोड़े में मैं बोल देता हूं। मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है वह मृत्यु के बारे में है जो पुलिस कस्टडी में मौत होती हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में मौत हुई है, अभी इन्द्रदत्त सुनार की मौत हुई, वह पुलिस कस्टडी में हुई थी। पुलिस का थानेदार उसकी गर्दन पर बैठ गया और उसे मारा जिससे उसकी पीछे की हड्डी टूट गई। वह आदमी होस्पीटल में भी चिल्लाता रहा, इस पुलिस का सत्यानाश हो, मुझे मार डाला, बाद में वह आदमी मर गया। आप बयान देख लीजिये। वह इक्कीस साल का नौजवान था। उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उसके पीछे एक विधवा पत्नी है, जिसकी छः महीने पहले शादी हुई थी। एक बूढ़ी मां है। उनका कोई है नहीं। आप इस मामले में जांच करें कि उसकी मृत्यु का कारण कौन था? उसमें आप गहराई के अन्दर जायेंगे तो पता लग जायगा।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, दूसरा केस रामकिशन का है। रामकिशन पारीक को पुलिस ने मारा। उसके केस में सी.आई.डी. की रिपोर्ट है कि वह आदमी पुलिस कस्टडी में मरा। पुलिस के थानेदार ने इस आदमी को मारा, इसलिए इसकी मौत हुई है। अब किसने मारा है, यह पता नहीं है। अगर आप इसकी इन्क्वायरी करेंगे तो पता चल जायगा। किसने मारा है, यह मैं नहीं कहता। इसी तरह शंकरलाल मोदी का है। हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। मैं कहता हूं लॉ एण्ड ऑर्डर सब के लिए हैं। वे चित्तौड़ से उदयपुर जा रहे थे। उनकी गाड़ी तेजी से चली आ रही थी। एक किसान रास्ते में आ गया और मर गया। वह मर गया, लेकिन मुझे दुःख है कि उनकी गाड़ी वहां से आगे चली गई। पुलिस की जीप थी, उसने आगे जाकर जीप रोक ली और चीफ मिनिस्टर से आगे जाकर मिले, जिनकी गाड़ी दस मील दूर चली गई थी। पुलिस ने किसान को, जहां वह मरा था, वहां से उठाया और उसको ले गये उदयपुर के हॉस्पिटल में। वहां जाकर कहा कि इसको एडमिट करो। वहां पर जो डॉक्टर था, उसने कहा कि इसको क्या एडमिट करूं, यह तो मर गया है। इसको निकाल दो। उसके बाद कलेक्टर साहब का फोन आया, उनने कहा कि यह एक्सीडेंट चीफ मिनिस्टर के ड्राइवर से हुआ है, इसलिए इसको ठीक ढंग से करो। मुझे मालूम नहीं कि आगे क्या हुआ। लेकिन कानून की

(श्री मुरलीधर व्यास)

दृष्टि से चीफ मिनिस्टर हो या साधारण आदमी हो, ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि ड्राइवर को गिरफ्तार करती और एफ. आई. आर. दर्ज करती और उस पर कार्यवाही करती

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि चीफ मिनिस्टर की गाड़ी थी, इस लिये उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक आदमी मर गया लेकिन आज तक उसके अन्दर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि जो राज्य की व्यवस्था है, उसमें चाहे साधारण आदमी हो या चीफ मिनिस्टर हो लेकिन जहां तक गरीब आदमी के हक का सवाल है, उससे वह वंचित नहीं होना चाहिए। इसी तरह कालूलाल मोदी बीकानेर में मर चुका है। उसकी मेरे पास फोटो मौजूद है। उसकी क्यों मौत हुई थी, डी. आई. जी. की गाड़ी का ड्राइवर शराब पिए हुए था और इस कारण उसकी मौत हो गई। कालूराम एक रिटायर्ड आदमी था। उसके दस बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। उनको कोई खिलाने वाला नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। जब कि सारे सुबूत मौजूद हैं, फोटो मौजूद है लेकिन क्योंकि एक ऊंचे आदमी से सम्बन्धित इसलिए इस मामले में कोई देख-रेख नहीं होती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि कटौती प्रस्ताव हैं, इन पर थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे तो आप विचार करेंगे, इसलिए मैंने फैक्ट्स रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री महोदय इन सारे मामलात को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सहानुभूति का भाव रख कर दूसरों को बोलने का अवकाश दें और दस मिनट से अधिक न बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं और पांच पांच मिनट हरेक के लिये देते हैं।

श्री सभापति : व्यवस्था यह नहीं दी है। अगर आप पचास मिनट बोलेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : दो दिन चलाइये साहब, इसको।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस के विभाग के सम्बन्ध में जो नीति हमारी मौजूदा सरकार द्वारा आज भी अपनाई जा रही है वह उस नीति से भिन्न नहीं है जो इस शासन से पहले अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में कायम की थी। अंग्रेजों ने यहां हुकूमत हमारे देश की जनता की बहबूदी या तरक्की के लिए नहीं कायम की, बल्कि वे इस देश में इस प्रकार की शासन–व्यवस्था को कायम रखते थे कि वे अपने देश को यहां की जनता को लूट–खसोट कर मालामाल कर सकें और यहां की जनता उस शासन के खिलाफ विद्रोह न कर सके, खड़ी होकर उनके खिलाफ बगावत न कर सके। इसके लिए पुलिस को कायम रखा जाता था और इसलिए पुलिस का मुख्य काम आम जनता को दबाये रखना, शासन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही हो, जुल्म के खिलाफ कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता उठने का साहस करती हो तो उसको दबाने की कोशिश करने का था । हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जब हमारे देश की हुकूमत कायम हुई है तो मौजूदा सरकार का रवैया इस पुलिस को इस तरीके से इस्तेमाल करने का है; बजाय इसके कि इस पुलिस को आम जनता के हितों में इस्तेमाल किया जाय, आम जनता की रक्षा में इस्तेमाल किया जाय, आम जनता के साधारण अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाय । यह कोई नई बात नहीं है, आज आम जनता के अधिकारों के हनन में इस पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है और अफसोस तो इस बात का है कि जिस कांग्रेस का संगठन खुद अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजिहाद के जिस दौर से गुजरा है, पुलिस के जिस तरह के कारनामों का तजुर्बा है, जिस तरह सियासी लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती अपने कानून के शिकंजों में कसा है, नाजायज तौर से लोगों को सियासी मुकदमों में फंसाया है, आज भी वह सरकार अंग्रेजों के नक्श–ए–कदम पर चल रही है और राजनैतिक विरोधियों का पुलिस के द्वारा दमन करवाने की कोशिश करती है, पुलिस के द्वारा उन पर मुकदमे–झूठे मुकदमे बनवाने में विश्वास रखती है । इस तरीके का कानून, दफा १०७ जाब्ता फौजदारी, दफा १५१, दफा १०६ हैं, इनका इस्तेमाल आम राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ किया जाता है, जब कि पार्लियामेंट में इस बात का विश्वास दिलाया गया था कि इन धाराओं का इस्तेमाल वास्तविक रूप से और क्राइम्स को रोकने के लिए, शांति भंग न होने देने के लिए किया जायगा, जब कि इस बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया था कि शांति भंग न होने देने के नाम पर सरकार इसका अपने राजनैतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल करेगी । यह वाकया है, आज इस सरकार ने उन राजनैतिक विरोधियों का दमन करने के लिए उन पर कितने मुकदमे चलाये हैं, झूठे मुकदमे चलाये हैं । पिछले साल अलवर के पट्टेदारों का आन्दोलन चला । पट्टेदार, जो दस वर्ष से अपनी जमीन पर काबिज हैं, यह यह सरकार कहती है कि जमीन से किसानों को बेदखल नहीं करती है, इस सरकार ने हुक्म दिया कि इन किसानों से जमीन को ले लो और किसानों को नोटिस दे दिये कि तुम अपनी जमीन पर नहीं रह सकोगे । उसके खिलाफ अलवर के पट्टेदारों ने इकट्ठे होकर जिद्दोजिहाद शुरू की । जो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, इस सरकार ने उन्हें १०७ के तहत गिरफ्तार करके उनको जेल के सिकंजों में डाल दिया । इस सदन में जो तिजारा से आये हुए माननीय सदस्य हैं, इनसे दस हजार रुपये की जमानत मांगी गई । इनका गुनाह इस बात का था कि सरकार से कहते थे कि पट्टेदार, जो इस जमीन पर इतने अर्से से काबिज हैं, इन्हें बेदखल न करें। आप ताज्जुब करेंगे कि जब यह मामला फैसल हो गया, जब सरकार ने मान लिया कि इनको बेदखल नहीं किया जायगा तब भी पुलिस बराबर अदालत के अन्दर उस मुकदमे को चलाती रही । अदालत में बार बार पुलिस से पूछा गया कि अब कौनसे आदेश रह गये हैं, अब बेदखली का प्रश्न नहीं रहा और मामला हल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुलिस ने और सरकार ने केस को वापिस नहीं लिया और बिना सुबूत के अदालत से खारिज हुआ।

सभापति महोदय, अभी अभी का जिक्र है, भीलवाड़ा जिले में एक कोटड़ी नाम की तहसील है वहां अम्बा गांव के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। गांव के लोगों की उनके खिलाफ बहुत शिकायत थी। सरपंच महोदय ने पुलिस में उनके खिलाफ झूठे इलजाम लगाये। क्योंकि सरपंच कांग्रेसी थे, इसलिये उन्होंने पुलिस में झूटा केस कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के खिलाफ शांति भंग करने का लगाया। मैं यह कहूँगा कि क्या इस सरकार में कम्युनिस्टों की पार्टी बनाना भी गुनाह है? जो सरकार यह कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं हम सभी को बराबर का अधिकार देते हैं तो क्या कम्युनिस्टों को पार्टी बनाने का भी अधिकार नहीं ? उन्होंने ७ आदमियों पर झूटा जुल्म लगा कर केस किया। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से आपने राजनैतिक मामलों में पुलिस को इस्तेमाल किया तो यह आपके हित में उचित नहीं होगा। मैं अपने दृष्टिकोण से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो जैसा अंग्रेजों ने किया तो आप भी याद रखिये कि जिस रास्ते से अंग्रेजों को जाना पड़ा उसी रास्ते से आपको भी जाना पड़ेगा। आपको अपने उन उसूलों का खयाल करना चाहिये जो राष्ट्रीय आन्दोलन में रखते थे। अगर आप इसका ध्यान रखें तो इन दकियानूसी कानूनों को पसन्द नहीं करेंगे, जिसने आपकी लाडली पुलिस को पूरा पूरा जुल्म करने का अधिकार दिया है। आपको बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिये। मगर हमारी सरकार की यह औक़ात नहीं कि वह बेरोजगारों को रोजगार दे सके। और जब आपकी यह औकात नहीं कि आप उनको रोजगार दे सकें तो उन गरीबों के जख्मों पर नमक तो न छिड़कें। आप उन गरीबों को १०६ दफा में गिरफ्तार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जरिया पैसा कौनसा है? आप उनको रोजगार नहीं दे सकते और बेचारों को तंग करते है और उनको १०६ में जेल में बैठा देते हैं और उनकी जेब में जो होता है उसको ऐंठ लेते हैं। यह महात्मा गांधी की नीति के अनुसार ठीक नहीं है। आपको महात्मा गांधी की नीति पर चलना चाहिये। आप उनको नौकरियें या काम तो नहीं दिला सकते उल्टा उनको परेशान करते हैं।

सभापति महोदय, पुलिस इन्वेस्टीगेशन के दौरान में जो उनको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का वे किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, लोगों को इन्क्वायरी के नाम पर, भले आदमियों को बुला लेते हैं और उनको तीन, तीन और चार, चार दिन तक रात और दिन थानों में रखते हैं। मैं समझता हूं कि ट्रेजरी बेंच में बैठनेवालों को भी मालूम है कि उन लोगों पर जुर्म लगाया जाता है, जिनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता। केवल हेरेस करने के लिये रात और दिन पुलिस थाने में बैठाये रखते हैं। यह भी मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि लोगों को इन्वेस्टीगेशन में बुला कर पुलिस-वाले बुरी तरह से पीटते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कौनसा ऐसा कानून है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो इसकी इजाजत देता है ? आप लोगों से यह चाहते हैं कि अच्छा प्रबंध हो और कानून के मुताबिक चले लेकिन आपकी पुलिस जो कानूनों को पाबन्द करने के लिए है, यदि वह भी कानून का पालन नहीं करती और लोगों पर जुल्म करती है तो आप याद रखिये कि पब्लिक कभी आपके कानूनों की इज्जत नहीं करेगी और ऐसी पुलिस की इज्जत नहीं करेगी और यही वजह है कि कई बार पब्लिक और पुलिस में टक्कर होती है और आपस में टक्कर लेनी पड़ती है और मुठभेड़ करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी पुलिस कानून को अपनी जेब में रखती है। वह कानून को कुछ नहीं समझती है और चाहे जैसी मनमानी करती है। सभापति महोदय, पुलिस केसों की तफतीस करने के लिए रखी जाती है। मगर यह होता है कि उनकी मर्जी आई तो तफ्तीस कर ली। जैसा मेरे से पहले वक्ता महोदय ने कहा है, यह एक आम रिवाज है कि जो १० नम्बर के लोग होते हैं उनका परिचय जिस समय वहां के थानेदार का तबादला होता है और नया थानेदार आता है उससे करा दिया जाता है। हमारे अलवर जिले में गोविन्दगढ़ में एक व्यक्ति मेव इलाके का माना हुआ छटेल है—चोर है और खुले तौर पर पुलिस थानेदारों के साथ चाय पीता है। मैं यह कहूँगा कि जब राज्य सरकार-हुकूमत चलानेवाली पार्टी इस प्रकार के लोगों से राजनैतिक फायदा उठाने को उम्मीद करे तो किस तरह से ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊं कि हमारे यहां एक जोरावरसिंह नाम का एक व्यक्ति है, शहर में जो कोतवाल लगा है। उसको पहले नौकरी से बर्खास्त किया था। जब म्युनिसिपल चुनावों में एक वोट का प्रश्न था, एक वोट इधर हो जाता तो कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटी नहीं बनती, उस कोतवाल को जिसको नौकरी से हटा दिया गया था उससे इस्तीफा लिया गया और म्युनिसिपल कमिश्नर से उसको पुरानी नौकरी का मुआवजा दिलाया गया और वापिस नौकरी में लिया गया। वह बिल्कुल अनपढ़ है और उसको अलवर शहर की कोतवाली में रखा जाता है, क्योंकि वह हर चुनाव में कांग्रेस को पूरी मदद करता है। कांग्रेस ने राजनैतिक मतलब के लिए उसको खरीद किया है और यह एक खुली बात है कि अलवर में यह जुए का अड्डा चलाता है और कोतवाल सभी तरह के अड्डे चलाता है और मशहूर है। यह अपना हिस्सा लेता है और पांती लेता है, सरकार के संरक्षण में यह चलता है। हम जानते हैं कि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मंत्रिमंडल का बनानेवाला भी रहा है। वह कुछ मंत्रियों को वोट दिलाने और किसी को नाकामयाब बनाने और किसी को कामयाब बनाने में रहा है।

सभापति महोदय, अगर इस तरह से सरकार करने लगेगी तो हम सर्विस क्लास के लोगों से क्या उम्मीद करें कि वे कैरेक्टर या इन्टीग्रिटी को कायम रख सकेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हमारे यहां भंवरीलाल की लड़की एक नदी में मरी हुई पाई गई।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मगर आज तक कोई उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई । कत्ल बहुत ही रहस्यमय हुआ । मगर आज तक इसका कोई पता नहीं लगा । कॉमरेड ज्ञानचन्द ! उसको गुन्डों ने कत्ल किया और उसको थांसोली के पास कुंए में डाल दिया । हमने इसके लिए बार बार एस. पी. को कहा है, सरकार को लिखा है । लेकिन अभी तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई है । क्या सरकार यह समझती है कि हमारे कार्यकर्त्ताओं को खत्म कराने से कॉम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो जावेगी ? हमें आप इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते कि हम अपनी जान–माल की सुरक्षा भी कर सकें । मैं बतला देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ताकत पर जिन्दा रहना चाहती है, आपकी महरबानियों पर जिन्दा नहीं रहना चाहती । इस इलाके में आपने इतने जुल्म किये हैं कम्युनिस्ट पार्टी पर और वहां की जनता ने ठोकर मार कर निकाल दिया है मिनिस्टर को और १२ हजार वोटों से हराया है । आज अलवर जिले में २५० कार्यकर्त्ताओं पर किशनगढ एजिटेशन के केस चल रहे हैं, सवाई जमा के हम पर १० वर्ष के केस चल रहे हैं । हम लोगों को कहा जाता है कि तुम डकैत हो, हम लोगों पर इस तरह के संगीन जुर्म वे लगाते हैं जो किसी दिन हमारे साथ काम करते थे और आज कुर्सियों पर आकर बैठ गये ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें पुलिस का सुधार करना है तो शासक दल को अपनी नीति में सुधार करना पड़ेगा, आपको अपने नजरिये में सुधार करना पड़ेगा, तभी तब्दीली आ सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव, राजाओं के लिये सरकार ने गार्ड्स मुकर्रर कर रखी है, २,८१,०००) रु० इसके लिये प्रोवाइड किये हुए हैं, इसका पूरा इकोनोमी कट का कट मोशन मैंने दिया है । मैं समझता हूँ, एक तरफ इस प्रकार की हमारे पास फंड्स की कमी है, १२८ लाख के नये टैक्स लगाते हैं वहां हमारी सरकार इस तरह की दोस्ती निभाती है राजाओं के साथ, उनके महलों पर सजावट के लिये अपनी गार्ड सरकारी खजाने से खर्च करके भेजती है । हम कहना चाहते हैं ट्रेजरी बैंचेज से कि आपको दोस्ती निभानी है तो अपनी तनख्वाह में से दे सकते हैं, अपने भत्तों में से दे सकते हैं, और कितनी ही आमदनियां हो सकती हैं, उनमें से दे सकते हैं पर राजस्थान की जनता के खजाने को इस तरह से नहीं लुटाने दिया जायगा । हो सकता है कि आज आप यहां ज्यादा तादाद में हैं, हो सकता है कि आज आपका बहुमत हो और उस बहुमत के आधार पर आप सरकार को बनाये बैठे हैं । पर यदि इस तरह जनता के धन का दुरुपयोग किया तो याद रखिये अब जनता समझने लग गई है, आप से हिसाब किताब मांगने लग गई है । इस तरह से नये नये टैक्स जनता से वसूल करना चाहते हैं और उधर राजाओं की गार्ड्स पर खर्चा करते हैं, यह जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ।

अन्त में माननीय सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है कि पुलिस में सुधार की आवश्यकता है । इनमें सुधार तभी

Page No 59

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आ सकता है जब कि इनके वेतन में तरक्की करें, ग्रेड में तरक्की करें। मामूली सिपाही और थानेदार की तनख्वाहें बहुत कम रखी गई हैं, इनमें सुधार करने की आवश्यकता है।

एक मेरा कट मोशन वायरलैस में आपके पुलिस कर्मचारी हैं उनका नूतन ग्रेड में अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है, इसके बारे में है। उनके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जब आपकी सर्विस में वायरलैस सुपरवाइजर्स की तौर पर सब-इन्सपेक्टर की रेंक रखी हुई है अब उन्हें डिग्रेड करके असिस्टेन्ट वायरलैस सुपरवाइजर्स करना चाहते हैं। आप यों न ग्रेड घटा सकते हैं और न एमोल्यूमेंट्स घटा सकते हैं। २८६ आदमी हैं अपने हकूक के लिये लड़ते हैं और ये लोग अपने हकों के लिये लड़ते हैं तो उनको जैसलमेर, बाड़मेर भेजते हैं और चाहते हैं कि घबरा कर यह मांग नहीं करें। यह न्याय का दृष्टिकोण नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों की वेतन दर को रिवाइज करके नये पे स्केल में इनको फिक्स किया जाय।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मन्त्री के सम्मुख और जनता के सम्मुख, इस सदन के सम्मुख जनता की वक्ष पर उभरे हुए कुछ छाले पेश किया चाहता हूँ। वे बूटों की ठोकरें और वे मुकदमों के जाल जो राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर बने हैं वे आपके द्वारा गृह मन्त्रीजी के सम्मुख उपस्थित किया चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एस० पीज़० की कॉन्फ्रेन्स में जो वहां फैसले लिये हैं वे मेरे सम्मुख हैं। माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजों के शासन-काल में ये थाने और कोतवालियां एक बदनाम दाग की तरह हमारे समाज पर आयद थे और आज भी वे स्थान जहां लिखा रहता है कि हम सदा जनता की सेवा के लिये प्रस्तुत हैं, वहां जिस प्रकार की जनता को सेवा की जाती है, यह इस देश का बच्चा बच्चा जनता है। जिस कार्य के लिये अंग्रेज सरकार और रियासतों की सरकारें पुलिस का प्रयोग जनता के विरुद्ध किया करती थी, उन कारनामों में, तरीकों में कोई विशेष परिवर्तन हमें नजर नहीं आता। जिस जिले से मैं आया हूँ, सभापति महोदय, उस जिले में बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि किसी की जिन्दगी का चिराग बुझा दो, किसी मां की गोद सूनी कर दो, किसी की मांग का सिन्दूर मिटा दो और अगर जेब में १० हजार रुपया है तो उस कत्ल को आसानी से छिपाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कट मोशन्स आपके सम्मुख रखे हैं, एक एक कट मोशन पर मैं इस सदन के सम्मुख केसेज उपस्थित करने जा रहा हूं। उन केसेज की स्पेशल कमेटी बना कर जांच कराई जाय तो वह सरकार के मस्तिष्क पर काल के रूप में विराजमान हो जाय। आज भी थानों में पिटाई के जरिये मौतें होती हैं, राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार मुकदमे दायर किये जाते हैं। हनुमानगढ़ तहसील में भूमि नीलामी के बारे में आन्दोलन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हुआ, शान्तिपूर्ण सत्याग्रह हुआ, उसमें हम लोगों पर वहां के मोअज्जिज समाज पर, एम० एल० ए० पर-हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पर डाके का संगीन केस बनाया। २३ से २५ तक भूमिहीनों के शान्तिपूर्ण सत्याग्रह को कुचलने के लिये जिस तरह के अत्याचार पुलिस ने किये वे कांग्रेस के इतिहास में कलंक की बात है। २२ मई, १६६० को कोलोनाइजेशन के ऑफिस के सामने एकत्रित किसानों को डंडों पर तार लपेट कर पुलिसवालों ने पीटा। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ की दूकानों पर से किसानों को निकाल निकाल कर बेरहमी से पीटा गया। इसके अतिरिक्त लगातार अश्रु गैस चलाई गई। कई लोगों पर झूठे मुकदमे चलाये गये। इसका नतीजा सामने है। आज जो माननीय सदस्य हनुमानगढ़ से चुन कर आये हैं उन्होंने वहां के कांग्रेस मन्त्री को १३ हजार वोटों से हराया है। यह निश्चित बात है कि आज जनता इन सब बातों को महसूस करने लग गई है और आपकी कार्यवाहियों को अच्छी तरह वाच कर रही है।

मैं आपके सामने वैगन फैक्ट्री, भरतपुर की मिसाल पेश करूं। फैक्ट्री में मजदूरों के हकूक कुचलने के लिये बिड़ला ने राजस्थान की पुलिस का उपयोग किया, वह निन्दनीय है। इस फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल के सिलसिले में बैलट ले रहे थे तो सेठ के गुण्डों ने मजदूरों पर प्रहार किया और जब वहां के मैनेजमेंट के पास पहुंचे तो आश्वासन दिया कि अगले दिन लेबर ऑफिसर से मामले को सैटल कराया जायेगा। पर दूसरे दिन कांग्रेस के नेता लोग, डी० एस० पी०, थानेदार और सिपाही सब वहां फैक्ट्री में पहुंचे और कई मजदूरों के कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले गये, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाये गये और इसके बाद मजदूरों को धक्के देकर फैक्ट्री के बाहर निकाल दिया।

(२. ० म. प)

और उस फैक्ट्री को लोकआउट कर दिया गया। तीन दिन के बाद १५० मजदूरों पर मुकदमा बनाया। उन लोगों की जीपें शहर में घूमीं। जहां कोई मजदूर दिखाई दिया कि उसको पकड़ लिया गया और उनको बन्दूकों की नोक पर कारखाने में काम करने के लिए लेजाया गया। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का तांडव नृत्य वहां की वैगन फैक्ट्री के अन्दर वहां के शासन ने खेला था।

इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने बीकानेर को स्ट्राइक का केस रखूंगा। म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक फरवरी, १६६२ में बीकानेर में हुई। उसमें भी जो दृश्य उपस्थित हुए वे बड़े करुण थे। ३२ हरिजनों को मय उनकी स्त्रियों के इस हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार करके लाया गया जिसमें बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट मिट्ठनलालजी उपस्थित थे। उनको सिम्पल इम्प्रिजनमेंट कर दी गई और उसके बाद में जेल के अन्दर बेरहमी से उनको पीटा गया और एक स्त्री को भी कूटा गया जो कि गर्भवती थी।

इसके अतिरिक्त शार्दूल टैक्स्टाइल मिल्स, गंगानगर में मजदूरों की मांगों को कुचलने के लिये वहां के सेठ श्रीवास्तव के साथ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सांठगांठ करके वहां की पुलिस ने मजदूरों के खिलाफ झूठे केस बनाये, मजदूरों और वर्कर्स पर झूठे केस बनाये और मजदूर युनियन के सेक्रेटरी रामसिंह, जो कचहरी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे, को जबरदस्ती उठा लिया गया और जेल में ले जाकर उसको केनिंग किया गया और उस पर ३२६ का झूठा केस बनाया गया और वहां का बार एसोशियेशन कहता है कि दफा १०७ का स्वच्छंद प्रयोग किया गया। सारे बार एसोशियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है। यह है स्वतन्त्रता। यह है पुलिस का आतंक जो कांग्रेस सरकार की पुलिस है।

भीलवाड़ा और ब्यावर की मिलों में वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिस प्रकार से पुलिस का प्रयोग किया है, माननीय सदस्यों ने उसको इस सदन में रखा है, मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। पुलिस के इन थानों में जिस कदर लोगों की पिटाई उनके द्वारा की जाती है, जिस तरह की बेरहमी से पिटाई की जाती है उसके सम्बन्ध में बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनमें थानों में पुलिस के द्वारा पिटाई करने के कारण कइयों की मृत्यु हो गई है। हनुमानगढ़ थाने में एक केस हुआ। ७० साल के बूढे सोहनसिंह को वहां का थानेदार महावीर मुद्गल लाया और उसको आंगन में गिरा दिया, ठोकरों से मारते हुए उस ७० साल ठे बूढे को सारे रास्ते थानेदार लाया। जिस दिन का वाकया है, लोग मौजूद थे, उस ७० साल के बूढे को आंगन में गिरा दिया। थानेदार महावीर ने उसके बाल पकड़े और उस बूढे को इस बेरहमी से पीटा कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सारा शहर वहां पर एकत्रित हो गया। लाश फौरन डाक्टर के पास भेजी गई। शहरियों की मांग थी कि शव हमको दे दें, उसको शहरियों को नहीं दिया गया और धक्के से हटा दिया गया और उस शव को जला दिया गया। उसके बाद शहरियों ने एस. एच. ओ. को तुरन्त एप्लीकेशन दी, लोगों के बयान लिये गये, लोगों ने उसमें स्पष्ट कहा है कि हमारे सामने थानेदार महावीर द्वारा सोहनसिंह को इस तरह से मारा गया है। यह एक लज्जा का विषय है माननीय सभापति महोदय कि उस केस को दबा दिया गया। थानेदार महावीर मोत्तिल होकर खुले आम गंगानगर में खड़े होकर छाती पर हाथ रख कर कहता है, ८० हजार रुपया मैंने खर्च किया है और इसलिए मैं स्वतन्त्र हूं। वह व्यक्ति थानेदार महावीर द्वारा थाने के अन्दर मारा गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप एक दफा यह मान लें कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी सही है, सब कुछ सही है लेकिन उस व्यक्ति को जिसको ठोकरों से मारा गया है, जिसके लिए इस प्रकार की मैडिकल रिपोर्ट है, आखिर किसी ने उसको मारा है यह निश्चित है। थाने में या संसार में उसको मारा है, देहिक शक्ति ने मारा है। कौन व्यक्ति है आखिर जिसके ऊपर ३०२ का केस चल रहा है ?

बीकानेर कोटगेट के बाहर थाना है उसका थानेदार मोती खां है। उसने एक शंकर मोदी नाम के व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से कोटगेट के बाहर के थाने में लाकर पीटा और मार दिया। दो दिन से यह मोतीखां मोत्तिल है। इस प्रकार के मामले कई दफा होते हैं। सही होते

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हुए भी किस प्रकार महावीर थानेदार सरीखे कहते हैं, छाती बजाकर कि मैं इन्सपेक्टर बनूंगा ? इस मोतीखां ने डाक्टरों से सांठ गांठ कर ली है और मामला किसी दिन रफा-दफा हो जायगा। विजयनगर के रूपलाल सुनार को इसी तरह से थाने में ले जाकर मार दिया गया। दौलतपुरा के थाने में मोती भील को ले जाकर वहां के थानेदार ने पीट कर मार दिया। मैं बताऊं कि पुलिस आपकी किस तरह है। छाती ठोक कर सदन में आपके पुलिस के अत्याचारों और आंतक की बातें आयी हैं और राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त में रखी गई हैं कि राजस्थान में इतनी डकैतियां हुई हैं, इतनी चोरियां हुई हैं। कहा गया कि काबू पाया है, क्या काबू पाया है ?

अनूपगढ़ तहसील में धांधड़ गांव है। वहां पर दोपहर को डाका पड़ा। डेढ़ वर्ष हो गया। गांव की स्त्रियों को खींच कर चौक में लाकर डाल दिया गया। डकैतों ने कुल्हाड़ियां हाथों में पकड़ लीं और कड़ियां निकालने लगे कुल्हाड़ियों से पैर काट कर। गांव वालों ने कहा कि आरियां लाकर देते हैं, इस प्रकार कुल्हाड़ी से पैर न काटने की कृपा कीजिये। आरियां लाई गई। तेज नहीं थी, जेवरों को नहीं काट सकीं। उन स्त्रियों के कानों से उन डाकुओं ने बालियां खींच लीं, नाकों से नथें खींच लीं और बड़ी बेरहमी से पैरों से कड़ियां निकालीं। आज डेढ़ वर्ष हो गया, उन डाकुओं का कोई पता नहीं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, पच्चीसवीं चक में दिन दहाड़े जगमालसिंह डाकू फिरता है। खुले आम फिरता है। इसके लिए लोगों ने एस. पी. गंगानगर को सूचना दी, इसको पकड़ने के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : पर्टिकुलर केस रख रहे हैं और गृह मंत्रीजी चाहते थे कि पर्टीकुलर केस रखें। इनको पांच मिनिट का समय और दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करूं कि जिस व्यक्ति को पकड़ कर डाकू ले गये थे उस व्यक्ति ने उस समय के एस. पी. ललित नारायण को सूचना दी। किसी व्यक्ति को पंजाब से उठा कर लाये। जिस सरपंच को लाना था उसके एवज में किसी दूसरे को ले आये और उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया और अनूपगढ़ के बेरों में रखा गया। यह सही सूचना दी। उसने यह भी सूचना दी कि ऐसा स्थान बना हुआ है जो अन्डर-ग्राउन्ड था, जीप बाहर जा सकती थी और निकल सकती थी, सब तरह का प्रबन्ध था वहां पर। पानी आता है, अखबार आते हैं। एक स्थान की यह एक सूचना थी। गंगानगर में जिला प्रमुख रामनाथजी थे उनको किसी ने उड़ा लिया था। उनकी तलाश के लिए गंगा-नगर की पुलिस ही नहीं किन्तु सेन्टर की पुलिस भी लगी हुई थी। उस सम्बन्ध में एक सूचना इस प्रकार पुलिस को दी गई और उस समय के एस. पी. ललित नारायणजी ने एक दफा भी वहां जाना उचित नहीं समझा। जगमालसिंह डाकू आज भी खुले आम फिरता है वह आज बिल्कुल ही स्वतन्त्र है। लूणकर-णसर तहसील में डाका डाला, ऊंट ले गया, नकदी ले गया, जेवर ले गया। बेरहमी से लोगों को लूटा। बहुत सी पार्टियां डाकू

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जगमालसिंह को सहायता देती हैं। महाजन के, ठाकुर के यहां शरण लेते हैं और राजनैतिक पार्टियां उनसे फायदा उठाती हैं और लोगों को धमकाना, दबाना तो रोज के काम हैं। हुक्मा नाम के एक कर्यकर्त्ता हैं। उसने उनको खुली चुनौती दी है। कांग्रेस का वर्कर है, खुले आम फटे चिथड़ों में निडर होकर फिरता है। दिन दहाड़े जगमालसिंह डाका डालता है लेकिन उसको सरकार पकड़ने की कोशिश नहीं करती।

छोटी मोटी चोरियां तो पुलिस खुद करवाती है। पदमपुर तहसील में रायसिंहनगर में एक तहसीलदार थे माथुर। कुछ समय पहले थे; वह एक ही तहसीलदार था जिसका जनता बड़ी इज्जत करती है। पुलिस केस में रिमांड नहीं देता था। वहां के थानेदार ने उस तहसीलदार के घर पर चोरी करवाई और जो चोर था उसको खुले आम छोड़ दिया गया। आज यह बात पदमपुर का बच्चा २ जानता है।

चूडावतां का थाना मशहूर थाना है, उस थाने में चोरी हो गई। वहां से एक हजार रुपया निकाला लिया गया।

(घंटी)

इसी तरह के करणपुर क्षेत्र में चोरियें हुई। आखिर मैं कहां तक निवेदन करूं? गृह मंत्रीजी, समय बहुत कम है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आपने एस० पीज़० की कॉन्फ्रेन्स बुला कर इस बात की घोषणा की है कि जनता के लोगों की एक कमेटी बनायी जायगी जिसमें एम० एल० एज़० भी होंगे, सरपंच होंगे और यह आश्वासन दिया था कि थाने के अन्दर इस प्रकार से कोई आदमी मर जाता है उसके बारे में वे जांच करेंगे। अगर आपने यह कदम उठाया तो मैं समझूंगा कि यह आपका सराहनीय कदम होगा। अगर समय हुआ तो एक क्या हजारों उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। गंगानगर वह जिला है, आप किसी थानेदार को कह दीजिये कि तुम्हें गंगानगर जिले में जाना है तो इतना सुनते ही उसका दस सेर खून बढ़ जायगा। यह स्पष्ट बात है कि वहां का एक एक थाना दो दो लाख की कमाई देता है। आप वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट, थानेदार आदि की जांच करवाइये; उन्होंने वहां रह कर कितनी जायदाद बना ली है। आज आपको गंगानगर के एक एक थानेदार की आलीशान कोठियां, इमारतें बनी हुई दिखाई देंगी जो जनता का लहू चूसकर बनाई हैं, वहां के लोगों की इज्जत आबरू लूटकर बनायी गई हैं। मैं आपको प्रगतिशील तब मानूंगा जब कि इस संबन्ध में सक्रिय कदम उठायेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है : "इस विभाग द्वारा जनता के जान माल की रक्षा करने में उदासीनता पर बहस करने के लिये।"

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में बहुत कुछ बातें बता दीं। जो सारी बातें बताई गई हैं वे भूतपूर्व गृह मन्त्री महोदय

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के समय की थीं, आज हमारे सामने ये गृह मन्त्री....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भूतों और प्रेतों की बातें हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नये गृह मन्त्री महोदय ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग की उसमें तीन चार बातें तय की थीं जनता की हित की दृष्टि से। उन बातों को देखते हुए मुझे आशा है कि पहले पुलिस कैसी भी रही हो लेकिन भविष्य में पुलिस सच्चे मायने में जनता के जान माल की रक्षा करने वाली साबित होगी। इन सब बातों के लिये मुझे प्रसन्नता है। मगर जब भूतपूर्व गृह मन्त्री विदा हो गये और उनका चार्ज नये गृह मन्त्री महोदय ने लिया है तो पुराने जितने भी कांड हो गये उनकी तो इन्क्वायरी वे करायेंगे ही, यह तो उनको अधिकार है ही। सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय की साक्षी पर कुछ दिनों पहले पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों का विवरण सदन के सामने रखा था। पुलिस ने जो चोर विरोधी अभियान चालू किया था उसके सम्बन्ध में पुलिस ने पांच छः जगह कैम्प लगाये थे। अजीतगढ में भी एक कैम्प था। वहां पर कम से कम तीन हजार निरपराध लोगों पर अत्याचार किया गया। सात आठ महिलाओं पर बलात्कार किया गया। उनकी बेइज्जती की गई। यह सारी रिपोर्ट मैंने हाउस के सामने रखी थी। उस समय मैंने यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपके विश्वास पर गृह मन्त्री जी के सामने यह रिपोर्ट रखता हूं। मैंने यह रिपोर्ट तीन चार महीने घूम कर इकट्ठी की थी ताकि अगले आने वाले असेम्बली के सेशन तक उस बारे में कुछ कार्यवाही हो जाय। मैंने उस समय भी यह कहा था कि यह इन्क्वायरी आई० जी० पी० न करें और न डी० आई.जी. करें। क्योंकि उसमें आई. जी. शामिल थे डी. आई. जी. शामिल थे और थानेदार और एस. पी. तक शामिल थे और इसके अलावा करीब ७०० पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे। इतना बड़ा चोर विरोधी अभियान चालू किया गया। उसमें १२६ आदमियों पर केस चलाये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन १२६ आदमियों में कितनों पर वह साबित हुआ ? तीन हजार आदमी पकड़े गये लेकिन एक पर भी केस लागू नहीं हुआ। अखबारों में आ गया कि डेढ लाख का माल बरामद हुआ और इतने हथियार बरामद हुए। लेकिन बरामद हुए माल का कहीं पता नहीं। हां यह बात सही है कि कुछ माल बरामद जरूर हुआ होगा लेकिन वह सब माल पुलिस वाले खा गये। यदि अखबार वालों ने झूठ लिखा है तो आप अखबार वालों पर केस चलावें। यह भी अखबार में खबर थी, डेढ़ लाख का माल पहचान भी लिया गया लेकिन आखिर वह माल गया कहां ? वे हथियार कहां गये ? आज हुआ क्या कि जो चोर थे उनको तो बरी कर दिया गया और बड़े बड़े आदमियों की इज्जत लूटी। मुझे कहा गया कि इन्क्वायरी करेंगे। चोरी जो कोई दर्ज करवाना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है चोरों के नाम तो दर्ज करवा दिये अब इसके साथ साथ दो चार गांव की अच्छी बहन-बेटियों के नाम भी लिखा दो तब कहीं जाकर

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

चोरी बरामद होगी। यह हालचाल है पुलिस का। मैंने जो रिपोर्ट की उसकी बात पुरानी बतलाई। मैंने उसके लिए कहा था कि आई०-जी० और हाउस का एक सदस्य और एक आदिवासी इस तरह से तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई जाय जो चोरी विरोधी अभियान चलाया था उसके बारे में जांच करे। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आई० जी० साहब जून के महीने में उधर गये और वहां के लोगों से कहा गया कि तुम लिख दो कि हमारे यहां इस तरह की वारदातें नहीं हुईं। वहां के लोगों को डरा धमका कर यह लिखवा लिया गया कि कुछ नहीं हुआ। आई०-जी० के जाने के थोड़े दिन ही बाद मैं वहां पहुंचा तो लोगों ने कहा कि हम से तो किसी ने पूछा ही नहीं। इस तरह की रिपोर्ट हमारी सरकार देती है। मैंने उसके लिए इन्क्वायरी कमेटी बनाने का सुझाव दिया था लेकिन उसको माना नहीं गया। मैं यह बता सकता हूँ कि चोर कौन है, क्योंकि मैं बहुत अरसे तक चोरों के बीच में रहा हूँ। चोरों की रिपोर्ट मेरे पास है। आज चोरों को पकड़ा नहीं जाता और दूसरे लोगों की इज्जत ली जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कोटा के पास पाइका एक स्कूल है। वहां का हरिजन चौकीदार है। उस चौकीदार को बुरी तरह से पीटा गया। वह बेचारा मरते मरते बचा। भाग्य ने जोर मारा, चौकीदार का अपराध नहीं था फिर भी पुलिस ने उसे मारा। मैं नये गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पुलिस को इस तरह की बनावें जो सच्चे मायने में जनता के जान माल की रक्षा कर सके।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे सात कटौती प्रस्ताव हैं। मैं सबसे पहले कटौती प्रस्ताव संख्या १० पर बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान में इस पुलिस विभाग पर प्रति वर्ष करीब साढ़े पांच करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस विभाग में बहुत से कर्मचारी आज भी ऐसे हैं जो जनता की मांगों के अनुसार अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पाये हैं। जन भावना के प्रति उनमें कोई आदर नहीं है। ऐसे लोगों की मैं चाहता हूं कि छंटनी होनी चाहिये। और भी कई विभागों में ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक सेट-अप में अपने आपको अभी तक फिट नहीं कर पाये हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों के लिये एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिये कि जो इन-एफीशियेन्ट हों उसके मुताबिक, स्टेन्डर्ड वर्क जिनका ठीक न हो, आउट-पुट ऑफ वर्क जिनका पूरा नहीं हो और जो जनता की आधुनिक आकांक्षाओं के प्रति अपने आपको एडजस्ट न कर पाये हों उनकी छंटनी होनी चाहिये।

सरकार आज पशुओं की नस्ल सुधार के लिये भी कार्य कर रही है। नये बुल्स देती है, पुराने हटाती है। तो इस तरह से इन कर्मचारियों में से भी जो आज की जनतन्त्र की भावना का आदर करते हों, उसके अनुकूल अपने आपको ढाल चुके हों, उनको रहने दें, बाकी को कम्पलसरी रिटायरमेंट तक दे दें, अगर जरूरत हो तो। २० साल की किसी की सर्विस हो गई, इनएफीशियेन्ट है, जन भावना का आदर नहीं कर पाया है, अपने को जनतंत्र की प्रणाली में नहीं ढाल पाया है तो उसको

(श्री भीमसेन)

आप कम्पलसरी रिटायर कर दीजिये। उनकी जगह फ्रेश ब्लड, न्यू ब्लड, जिनका आउट-लुक जनतन्त्रीय हो, लोगों की भावनाओं का जो आदर करते हों, सेवा की जिनमें लगन हो, ईमानदार हों, ईमानदारी से जनतन्त्र में विश्वास करते हों उनको आप लावें।

फिर इन्वेस्टिगेशन के आज के आपके मैथड भी बदले नहीं हैं, वही पुराने क्रूर मैथड आज भी प्रचलित हैं। आपको इसके लिए आज के नये वैज्ञानिक साधनों को लाना होगा और इसके लिये एफीशियेन्ट व्यक्तियों को भी लाना होगा। इनके अनुकूल जो अपने आपको फिट न कर सकते हों, इनएफीशियेन्ट हों उनको आप जब तक कम्पलसरिली रिटायर नहीं करेंगे तब तक ऐसे आदमियों को आप लावेंगे कैसे।

इसी तरह प्रासीक्यूशन ब्रांच के बारे में भी मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी बहुत खामियां हैं। इन्हें आप ठीक करिये। आप अपना परसेन्टेज निकालिये कि कितने केस जो आपकी पुलिस ने चलाये, फेल हुए। जो केस बरी होते हैं वे सारे आपकी इस ब्रांच की इन-एफीशियेन्सी से बरी होते हैं। आप यह भी देखिये की सीरियस मर्डर केस, डेकोयटी केसों में भी कितने परसेन्टेज आपकी यह ब्रांच सफल हुई है। आप इसको ठीक करिये। वहां अगर एफीशियेन्ट आदमी नहीं हैं तो अच्छा रेमूनेरेशन देकर रखिये। आज लॉ ग्रेजुएट जो पी. एस. आई. होता है, उसको और जो एस. आई. होता है जिसकी क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिकुलेशन रखी है, दोनों की एक तनख्वाह रख कर आप अच्छे आउट पुट की कैसे आशा रख सकते हैं ? तो आप इन बातों को देख कर ठीक करें, इस प्रासीक्यूशन ब्रान्च को।

इन सब के लिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार एक कमीशन नियुक्त करे जो इन सारी बातों के डिटेल में जाकर देखे और जो इनएफीशियेन्ट हैं, आज की मांग के अनुकूल अपने को नहीं बना पाये हैं, उनकी छंटनी वह कर सके।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्थान में कुछ ऐसे थाने हैं जो पुरानी स्टेटों के वक्त बोर्डर थाने कहलाते थे। पर राजस्थान एक हो जाने के बाद और सारी स्टेटों के मर्जर हो जाने के बाद इन थानों की क्या उपयोगिता रह जाती है ? आप उनको बन्द कर दीजिये। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं। एक भींवसर थाना है, जो सुजानगढ़ थाने से बहुत करीब है। बम्बोई है, धनेऊ है, बहुत पास पास हैं। तो आज के समय इनकी आवश्यकता नहीं है।

राजाओं के गार्ड्स का खर्चा सरकार जो वहन करती है, आप कह सकते हैं कि कॉवेनैन्ट में शर्त हुई है, इसलिए हम राजाओं की डिग्निटी मेन्टेन करने के लिए इन्हें रखते हैं। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूं कि पुलिस गार्ड रहने से डिग्निटी मेन्टेन नहीं रह सकती। जनतन्त्र की भावना को और जनता की गरीबी को समझ कर वे भी इसे फालतू खर्च मानने लगे हैं। इस आधार पर अगर राजाओं को सरकार एप्रोच करेगी तो वे राजी हो सकेंगे। इसके अलावा भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिजली पानी के लिए जो रियायतें उनको

(श्री भीमसेन)

हैं, जैसे उदयपुर के महाराणा को आप देते हैं और दान देने के लिए भी उनको एक लाख देते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : It has been made clear more than once that the amount allotted to the Udaipur Maharana is not for giving away any sort of charity but it is in consideration of the services of the staff attached with the Udaipur Maharana.

श्री भीमसेन : However, it may be, it is in the budget itself. तो इस तरह ये खर्चे अगर बिल्कुल समाप्त नहीं किये जा सकते तो इनको मिनिमम तक रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ घंटों के लिए उनके यहां गार्ड पहरा दे दे । बाकी कम कर दें । इससे उनकी डिग्निटी में भी फर्क नहीं आवेगा और हमारा खर्चा भी बच सकेगा ।

जयगढ़ फोर्ट है । उस पर ५६-६० में केवल थोड़ा खर्च हुआ है, जब कि ६१-६२ में ३० हजार खर्च किया गया । किन कारणों से यह खर्चा बढा, इस बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि सरकार इस बारे में उचित कदम उठावे ।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है, आर.-ए.सी. के एस. पी. के बारे में, बेलर और अनूपगढ के बारे में । वहां की जनता ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे उसके बारे में उचित आश्वासन भी मिला है, सरकार की ओर से । दोनों अफ़सरों के कान्डक्ट की पब्लिक इन्क्वायरी की जावे ।

यह बेलर का एरिया इतना पिछड़ा है कि वहां के लोग, रेवेन्यू, पुलिस और आर.-ए. सी. के तिहरे जुल्म में दब रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी आवाज नहीं उठाई । इस बार बहुत भारी आवाज उठाई है । इसके बावजूद भी सरकार जल्दी से जांच नहीं करवा रही है । जिस अफ़सर की शिकायत की गई है, उल्टे उसने उनको डराया है, धमकाया है और उसने यहां तक कहा है कि हमारे खिलाफ बयान आदि दोगे, तो देख लेंगे । तो इन दोनों अफ़सरों को वहां से फौरन हटा कर आप इन्क्वायरी करें । जो जनता की शिकायत है, वह जायज़ है । आशा है सरकार उस पर ध्यान देगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव मूव करता हूँ ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है गंगानगर जिले में बढते हुए अपराधों पर बहस करने हेतु ।

इस प्रस्ताव से मेरी मंशा यह नहीं है कि वहां पर चोरियां बहुत होती हैं, वहां पर डकैतियां बहुत होती हैं या इस तरह के लोगों की संख्या वहां अपराध करने वालों की बहुत है । इससे मेरी मंशा है पुलिस के द्वारा बढ़ते हुए अपराधों पर बहस करने हेतु ।

मेरे इस प्रस्ताव को रखने का आशय गंगानगर जिले में पुलिस के द्वारा अपराधों की बढ़ती हुई संख्या पर बहस करने हेतु है ।

(श्री श्योपतसिंह)

माननीय सदस्यों को अचम्भा होगा और हमारे गृह मन्त्रीजी को भी इससे अचम्भा होगा कि पुलिस के द्वारा अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि यह कोई अचम्भे जैसी बात नहीं है। सभी इसे जानते हैं, आप से भी यह छिपी नहीं है। गृह मन्त्री स्वयं इससे वाकिफ हैं।

मैं यह भी मानता हूँ कि जो इल्ज़ाम मैं लगाऊंगा, सही होते हुए भी जिस किसी के बारे में बात कहूँगा उसके बारे में, मन में जानते हुए भी, ऊपर से आज तक, जैसी परम्परा रही है, न किसी गृह मन्त्री महोदय ने उसे स्वीकार किया है, न ऐसी उम्मीद इन गृह मन्त्रीजी से और इस सरकार से करता हूँ कि वे स्वीकार करेंगे। उनका दिमाग हमारे ऊपर नहीं बनता है। हमारे गृह मन्त्री महोदय का दिमाग जो बनेगा वह बनेगा उनके ऑफिसरों की रिपोर्ट के आधार पर। हमारे प्रति कोई भी ईमानदारी या हमारे प्रति कोई बात कही हो उसकी सचाई को लेते हुए नहीं आंकेंगे। माननीय गृह मन्त्री महोदय उस वक्त को याद करें जिस वक्त हमारे देश में हजारों नौजवान जन संगठन के जरिये देश की आजादी की लड़ाई में लड़े और अपना हिस्सा अदा किया, उन्होंने कुर्बानियां दी और इसी पुलिस ने उन आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ जो जुल्म व ज्यादतियां कीं। मैं नहीं देखता कि राजस्थान के सदन में उस जुल्म के पीड़ित कुछ लोग होंगे। मैं इसको लेकर नहीं सोचता। मगर हमारे देश में बहुत से उन नेताओं ने अपनी किताबों में या दूसरे डॉक्यूमेन्ट्स के जरिये लोगों के सामने उस वक्त के पुलिस के जुर्मों के बारे में कुछ लिखा है। अब हमें एक बात देखनी है कि आजादी के बाद उस रवैये में जब कि हमारे देश के उन नेताओं के हाथ में हुकूमत आई, उस समाजवादी समाज की विचारधारा में विश्वास रखनेवाले लोगों के हाथ में हुकूमत आई तो हमारी उस पुलिस में, जिसके कि हमारे नेता भुक्तभोगी हैं, कितनी तब्दीलियां हुई, उसमें कितने सुधार हुए। पर मैं उसमें कुछ ऐसे सुधार नहीं देखता, उल्टे उन लोगों ने उस जुल्म से कुछ तजुर्बा हासिल करके उसको प्रोत्साहन दिया है। सन् १९४७ के बाद, हमारे देश के आजाद होने के बाद, आज जिस तरह से मिलों के मजदूरों को दबाया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं, जिस तरह से आज किसानों के आंदोलनों को रौंदा जाता है, उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता रायसिंहनगर से आये साथी श्री हांडा ने भी कहा था। एक बड़ा अजीब सीन (Scene) था। मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय को इनवाइट करता हूँ इस बात के लिए कि आप मालूम करें। मैं मानता हूं कि यह जिम्मेदारी हमारे मौजूदा गृह मन्त्री महोदय की नहीं है लेकिन मैं कुछ सबक लेने के लिए उनको इनवाइट करता हूँ। हनुमानगढ़ के बाजार में जाकर किसी भी दूकानदार से पूछिये कि २४ मई, १९६० को पुलिस के लोगों ने वहां के किसानों

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

के ऊपर कितनी ज्यादतियां कीं? आपकी थोड़ी सी तफतीश करने के बाद जो आप निर्णय लेंगे मैं उनका कायल होऊंगा और जो आप कहेंगे, मैं उसको सही मानूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री श्योपतसिंह)

माननीय सभापति महोदय, बहुत थोड़ा समय है....

श्री सभापति : जल्दी ही समाप्त कर दें ।

श्री श्योपतसिंह : झूठे मुकदमे हमारे २५ साथियों के ऊपर बनाये गये और २५ लोगों के खिलाफ बनाये गये । मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर कहीं ईमानदारी है तो उन लोगों के बारे में तफतीश की जाय और लोगों से पूछा जाय तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह बूढ़े बुजुर्ग जो अपने काम के लिए आये थे, एक आदमी अपनी रकम जमा कराने के लिए आया था, एक आदमी रजिस्ट्री कराने आया था, उन लोगों के खिलाफ भी डाके का मुकदमा बनाया गया । यही आपका न्याय है, यही आपकी पुलिस है । इसलिए हम पुलिस के बज़ट को बढ़ाने की कोशिश करें ? जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में एक टोडी दल था पूंजीपतियों का, जो उस समय में इस देश के मजदूरों के बच्चों के ऊपर, इस देश के किसानों के बच्चों पर ही जुल्म कराया करता था । वही आज परिपाटी है ।

मैं गंगानगर जिले के बारे में थोड़ी सी तस्वीर पेश करना चाहूंगा । मुझे अफसोस है, मैं नहीं देखता कि कैसे सुधार होगा । मैं नहीं समझता कि अपने क्षेत्र की कोई रिपोर्ट दूं क्योंकि आज ऐसे चेहरे सदन में देखता हूं जो गंगानगर में रहते रहे हैं, जिन्होंने वहां का तजुर्बा हासिल किया है । मैं कोई बात नहीं कहते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय ! पुलिस डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स जो सदन में बैठे हैं ईमानदारी से उनसे ही पूछ लीजिए कि गंगानगर की क्या हालत है । मैं कहता हूं कि आप एक गंगानगर जिले को सुधार दीजिए सारा राजस्थान सुधर जायेगा ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वहां आठ, आठ और दस दस, कत्ल होते हैं और मुल्ज़िम छूट जाते हैं । कभी आपने महसूस किया कि क्यों छूट जाते हैं ? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन केसेज़ में पुलिस की साज़िश होती है । आप हमसे बज़ट के लिए पैसा मांगते हैं । यह बात सही है हम किसलिए देते हैं, इसलिए कि अपनी तरक्की है । जरूर तरक्की की है, मैं मानता हूँ अंग्रेजों के जमाने में और राजाओं के जमाने में पुलिस एक तरफ से ही रिश्वत लिया करती थी और वह भी केवल मुल्ज़िम से । मगर अब दोनों तरफ से रिश्वत लेना शुरू कर दिया है । चोरों से भी रिश्वत और जिसके चोरी हो जाय उससे भी रिश्वत ! एफ०आई० आर० तब तक दर्ज नहीं की जायगी जब तक कि आप पैसे न दे दें । जिसकी टांग तोड़ दी जाये और जो तोड़नेवाला है उन दोनों से रिश्वत ले ली जाती है । टांग तोड़ने वाले से तो यह कह कर रिश्वत ले ली जाती है कि हम तुम्हें बचायेंगे और जो टांग तुड़वाकर आता है उससे एफ० आई० आर० दर्ज कराने के लिए पैसा ले लेते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस तरक्की को देखते हुए मैं नहीं समझता कि हम लोग राजस्थान की असेम्बली में बैठ कर उन लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा पुलिसवालों को दे दें जिनके

(श्री श्योपतसिंह)

पास ऑलरेडी बहुत साधन हैं। मैं आखिर में आप से कहना चाहूँगा कि हमारे मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम फैक्ट्स पेश करें। मगर मुझे उनके कुछ उतावलेपन ने मजबूर किया है कि मैं कोई केस आपके सामने रखूं। ५ फरवरी को इन्हीं चुनावों के कोई १५ दिन पूर्व लालवाली गांव में मेरे सपोर्टर्स पर और वह भी एक पर नहीं ६ पर झूठा मुकदमा बनाया गया ! मैं दूसरे दिन एस० पी० के पास गया अपने सारे कार्यों को छोड़ कर और मैंने एस०-पी० साहब से कहा कि वहां पर सी० आई० साहब मिस्टर मिश्रा—मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मुझे खेद है—वहां के सी० आई० हैं वह तफतीश कर रहे थे। वह माननीय भूतपूर्व मन्त्री के लाडले थे।

वहां एस० पी० महोदय ने डी० एस० पी० के पास इन्क्वायरी के लिए भेजा। लेकिन आज तक इन्क्वायरी नहीं हुई। उन लोगों को हेरेस किया गया। होली के त्यौहार पर उनके घरों पर छापा मारा गया। उन्हीं मिश्रा साहब ने जब कि एस० पी० ने कहा था कि वे इन्क्वायरी नहीं करेंगे लेकिन वे दुबारा छापा मारने के लिए गये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी दफा इस सम्बन्ध में मिश्रा साहब से बात करता हूँ तो वे शराब के नशे में मस्त थे। ६ फरवरी को मुझे बुला कर पूछते हैं। मैं कन्वेसिंग के लिए हनुमानगढ़ शहर गया हुआ था। वहां से आया तो मुझको बुलाया और पूछा कि आपने मेरे खिलाफ दर्ख्वास्त दी है ? मैंने कहा कि दी है। उन मुल्ज़िमों के बारे में तकाजा किया गया कि आप मुल्ज़िमों को पेश करो। मैंने कहा कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो वह मिश्रा महोदय फरमाते हैं कि आपने तो यह दर्ख्वास्त चुनाव पिटीशन ग्राउन्ड तैयार करने के लिए दी है। इस तरह से वे मेरे से तकाजा करते हुए मुझे यह वार्निंग देते हैं कि आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ, अगर आप उन मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करायेंगे तो। उसके बाद मैंने टेलीग्राम दिया। यहां से इन्क्वायरी के लिए एक इन्सपेक्टर पहुंचे। मैं इस बात को मानता हूं कि जब ४-५ रोज चुनाव में बाकी थे तब मुझे बुला कर पूछा, बताइये साहब ! क्या शिकायत है आपको ? चुनाव के दौरानमें मैं गवाह इकट्ठे करता फिरूं ? मिश्रा साहब उन इन्सपेक्टर साहब, की इन्क्वायरी कराऊं, यह मेरे लिए असम्भव बात थी। मैंने कहा कि चुनाव के बाद गवाह पेश करना चाहूँगा। माननीय गृह मन्त्रीजी से अर्ज करना चाहूंगा कि मिश्रा साहब के वहां रहते हुए इन्सपेक्टर के खिलाफ गवाही देंगे, मैं नहीं समझता इस बात को। मैंने डी० एस० पी० महोदय से बार बार इस इन्क्वायरी के लिए कहा, इन मुल्ज़िमों पर झूठे मुकदमों के लिए बार बार कहा, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि वहां के डी० एस० पी० मुझे बड़े प्रेम का जवाब देते हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कि मैं किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि क्या कारण है ? तो उन्होंने कहा कि उधर तो चौधरी रामचन्द्र-जी हैं और इधर आप हैं। मैंने कहा कि ईमानदारी की बात करिये, जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

(श्री श्योपतसिंह)

अगर यह हालत है और इस हालत में आप हम से कहें कि राजस्थान की जनता मेहनत और मजदूरी करके खून-पसीने की कमाई से जो पैसा देती है, उसको आप पुलिस के लिए मंजूर करें, उसको तरक्की के लिए, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यह तरक्की उनको दी जाय जो ५०) रु० की छोटी छोटी तनख्वाह पाते हैं और आपके हुक्म को मान कर अपने बन्धुओं, अपने चाचा-ताऊओं पर लाठी बरसाते हैं। मैं मानता हूं और सोचता भी हूं कि पुलिस को तरक्की देनी हो तो थोड़ी बहुत तरक्की आप दीजिए। उन लोगों को जो बेचारे अपने भाई बन्धुओं पर आपके हुक्म की तामील करने के लिए, आपके प्रति वफादारी दिखाने के लिए अपने ही तबके पर टांगें मारते हैं। बाकी तो लूटा-खसोटी के लिए ऑफिसर हैं वे तो यों भी खायेंगे तो उनको तो आप इजाजत दे दीजिये कि जिस तरह से चाहें, वे करें और खायें।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मैंने इस मांग के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव जिला गंगानगर में पुलिस आफिसरों एवं कर्मचारियों में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के बारे में बहस करने के लिए मूव किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले इसी सदन में हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह फर्माया था कि अलवर और भरतपुर में आबादी का प्रेशर सारे राजस्थान से ज्यादा है। इसके साथ ही इसी तरह की बात मैं यह कहता हूँ कि गंगानगर जिले में रिश्वतखोरी का दबाव सारे राजस्थान से ज्यादा है। गंगानगर को रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसरों का स्वर्ग माना जाता है। जिस तरह से पुराने जमाने में चीन में पैदा होने वाले दुआएं करते थे कि भगवान् मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म हिन्दुस्तान में हो, इसी तरह राजस्थान का हर भ्रष्टाचारी ऑफिसर यह ख्वाहिश करता है, खास कोशिश करता है कि उसका तबादला गंगानगर में हो ताकि लूट-खसोट कर जल्दी मालदार बन सके। इस बारे में मैं तो यहां तक माननीय गृह मन्त्री महोदय से आपके द्वारा अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे सामने ऐसी चीजें आई हैं कि जिनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गंगानगर जिले में पुलिस के थानों का ऑक्शन होता है, जिस तरह से कि शराब के ठेकों का ऑक्शन होता है। मुझे बेरानी के भूतपूर्व थानेदार ने यह कहा था कि एस० पी० साहब से जाकर समझाइये कि बेरानी का थाना ५००) रु० की आमदनी नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा १००) रु० दे सकता है। मैंने कहा कि यह मेरे बल-बूते की बात नहीं है। इस तरह को चीजें मेरे सामने आई हैं और मौका मिलने पर मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब को....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौन से एस. पी. की बात है ?

श्री हरदत्तसिंह : पहले की बात है अब शायद ही मौका आये। नये होम मिनिस्टर साहब आये हैं। उम्मीद है कि

(श्री हरदत्तसिंह)

उनके वक्त में यह बीमारी मिट जाय।

इसके बारे में आपको बुढ़िया की बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक बुढ़िया एक कलेक्टर साहब के पास गई और कलेक्टर साहब ने उसकी सुनवाई की, उससे बात की तो उसने खुश होकर कहा कि 'रब्ब करदां तू थानेदार बण'। तो गंगानगर जिले में कलेक्टर से भी बढ़कर थानेदार की हैसियत मानी जाती है। वह ज्यादा काम वाला माना जाता है। यह हालत है हमारे जिले की।

इसके बारे में मैं दो-एक बातें सदन के सामने रखूंगा। पुलिस का जनता के साथ सबसे पहला जो सम्बन्ध होता है वह एफ. आई. आर. की मार्फत होता है। हमारे जिले की पुलिस का यह दस्तूर होता है कि अव्वल तो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करते हैं। एफ. आई. आर. दर्ज तब करते हैं जब कि कोई सीधा-सादा गंवार आदमी हो तो सीधे मुंह पैसा मांग कर एफ०आई०आर० दर्ज करते हैं और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा–लिखा आदमी या दूकानदार आदमी हुआ तो उससे भी जीप के खर्चे के नाम से पैसा लेकर, जीप चाहते हैं वैसे नहीं जायेंगे, फिर अफ० आई० आर० दर्ज करते हैं। इसके लिए मैं ऐसा सुझाव देता हूं कि या तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि हर थाने पर जीप का इन्तजाम हो या फिर इस तरह की आज्ञा जारी कर दें कि कोई थानेदार जीप पर चढ़ कर नहीं जा सकेगा, नहीं तो यह बीमारी नहीं जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : ऊंट के पैसे कौन देगा ?

श्री हरदत्तसिंह : ऊंट पर थानेदार नहीं चढ़ेगा। ऊंट पर तो आप और हम चाहे चढ़ें।

दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि एफ०आई०आर० का पहला सिलसिला तो यह है और दूसरा एक्स्ट्रीम पोइन्ट यह है कि एफ०आई०आर० गलत भी दर्ज होती हैं, झूठे मामले भी बनाये जाते हैं। मिसाल के तौर पर पिछली पंचायतों के चुनावों की बात अर्ज करता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि महराना ग्राम पंचायत है। तो महराना पुलिस में जो कोई भी हो तो महराना के कुछ लोगों ने जो पंचायत के सरपंच और पंचों के उम्मीदवार थे उन्होंने नीचे में चौकी के हैड कॉन्स्टेबल से लेकर पता नहीं कहां तक के मोटे अफसरों से साजिश की और साजिश करके ३०७ की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके लिए अपने पैरों पर बाजरी की रोटी बान्ध कर गोली भी खाई, यह साबित हो चुका है और ३०७ की फर्द जुर्म दर्ज कराई और पुलिस से तय किया कि जिस दिन चुनाव हो उसके पहले दिन ये लोग गिरफ्तार हो जायं ताकि हम लोग सारे चुनाव में जीत जायं और उस दलवाले सारे आदमी रह जायं। होशियारी यह की गई कि एक सरपंच और ७ जो वार्ड थे उनके ७ पंच इस तरह से इन ८ पंचों के द्वारा करिश्मा कर दिया गया। यह मामला किसी तरह से एस०-पी० साहब के ध्यान में आ गया तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि चुनाव तक कोई कार्यवाही नहीं की जाय। तमाशा किस्मत का कि यह आठों आदमी पंच और सरपंच कामयाब हुए। बाद में मुकदमा धरा रह गया। अफसोस यह है

(श्री हरदत्तसिंह)

कि गलत रिपोर्ट देने की १८२ की कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि पुलिस की साजिश से वे कर रहे थे। यह मामला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो-एक मामले और अर्ज करता हूं।

दूसरा मामला बेरानी थाने का पेश करता हूं। बेरानी के थाने में एक खेत में एक आदमी के पास से एक दुनाली बन्दूक बरामद कराई गई। बन्दूक बरामद करानेवाले ने बरामद कराई तो १० मिनट के बाद जब लिखा-पढ़ी कर रहे थे तो दो आदमी आये और पुलिसवालों को पीट कर बन्दूक छीन ले गये। उसके बाद में पुलिसवालों ने मुकदमा किया और मुकदमा चलने के बाद मुल्जिमान को १२–१२ महीने की सजा हुई और वह सजा हाई कोर्ट तक बहाल रही। उसके बाद में मुल्जिम डेढ़ साल तक फरार रहा और खेती करता रहा उसकी गिरदावरी मौजूद है। डेढ़ साल तक पुलिस के थानेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बार बार ध्यान में यह चीज लाने पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। डेढ़ साल बाद वह अपनी मर्जी से हाजिर हुआ, सजा काट आया। लेकिन इससे भी बड़ी बात गृह मन्त्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं जो इससे भी खतरनाक बात है वह यह है कि जो बन्दूक वह छीन कर लाया था और जो उसके नाम पर आज भी दर्ज है उसको वह दिन दहाड़े लेकर घूमता है, लेकिन आपके थानेदार और आपके एस० पी० उसको बरामद नहीं कर पाये या बरामद करने की इच्छा नहीं करते। इस सम्बन्ध में एक खतरे की बात और अर्ज कर दूं। एक चनान गांव है भादरा तहसील में- वहां से दो आदमी उसके पास से गायब हो गये और आज तक इत्तला नहीं है कि वे दोनों आदमी कहां है। इसमें उसके खिलाफ ३०२ का पर्चा दिया तो थाने में उसे दर्ज नहीं किया। एस० पी० के पास ३०२ की इत्तला दी तो कोई कार्यवाही नहीं की। उस पर आई० जी०-पी० के पास दरख्वास्त की ३०२ की वह भी रुलती फिरती है। दोनों के नाजायज हथियार उसके पास मौजूद हैं और वह दिन दहाड़े घूमता है लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती। यह किस्सा गंगानगर का है। एक बात जयपुर के बारे में और अर्ज कर देना चाहता हूं........

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : बहुत समय आप ले चुके हैं।

श्री हरदत्तसिंह : जयपुर की बात कह देता हूं। जयपुर की बात है, आश्चर्य करेंगे होम मिनिस्टर साहब। आपका जौहरी बाजार प्रसिद्ध बाजार है। उसमें ठीक जन-संघ के कार्यालय के सामने बिलमचन्द की जूतों की दूकान के पास मैंने अपनी आंखों से अमेरिकन फीचर का सट्टा होते देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गंगानगर जिले में तो कोई कस्बा और गांव ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिकन फीचर का जूआ नहीं होता हो। इसी प्रकार से युनिवर्सिटी एरिया के पास एक पुलिस अकाउन्टेन्ट का बंगला बनते देखा है। मैंने उसकी जांच की है वह फ्री बन रहा है। वहां पर पुलिस के सिपाही फ्री काम कर रहे हैं, सामान फ्री ढोया जा रहा है। आप इच्छा करें तो मौके पर लेजाकर दिखा सकता हूं। इसके बारे में मैं एक ही बात अर्ज

(श्री हरदत्तसिंह)

करता हूं या तो आपके विभाग को मालूम नहीं है और यदि मालूम है तो उसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते और यदि मालूम है तो मैं यह कहूंगा कि भ्रष्टाचार की अगर कहीं पाठशाला चल रही है तो वह जयपुर में चल रही है और उसकी शाखाएं सब जगह हैं। यदि आपको मालूम नहीं है, आप से मेरा मतलब पुलिस महकमे से है तो आपके महकमे ने अयोग्यता का सर्टिफिकेट हासिल करने में फर्स्ट क्लास फर्स्ट का दर्जा हासिल कर लिया है।

एक बात और अर्ज कर दूं। मेरी जीप गाड़ी गवर्नमेन्ट होस्टल में खड़ी थी उसका हब का कप निकाल कर कोई ले गया। उसकी इत्तला दी........

एक माननीय सदस्य : उसकी इत्तला नहीं दी होगी ?

श्री हरदत्तसिंह : मैंने उसकी पुलिस में इत्तला दी। मैंने समझा शायद किसी थानेदार की गाड़ी का हब का कप गिर गया होगा, उसने उठा लिया होगा। मैं जब भी राजमहल के आगे से निकलता हूं तो वहां पर शान से खड़े सिपाही को देखता हूं। इससे मालूम होता है कि माननीय गृह मन्त्रीजी और सरकारी बैंचों के साथ आज भी राजाओं से चुनाव में हारने के डर से या उनका लिहाज करते हैं इस कारण से आज भी वहां पर सिपाही पहरा देते हैं। लेकिन जहां १७६ जनता के प्रतिनिधि गवर्नमेन्ट होस्टल में रहते हैं वहां पहले पहरा लगता था लेकिन आज नहीं लगता है। मैं आखिरी बात कहता हूं, पार्टीबन्दी का जमाना है, मेरी जीप का हब का कप तो छोटी सी बात है, लेकिन कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाय तो भी ताज्जुब नहीं; क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है। इसलिये होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि कहीं ऐसा हो गया तो आपका और आपके विभाग का चांद सा चेहरा सड़क जैसा काला हो जायगा। मुझे यही अर्ज करना है कि जनतन्त्ररूपी जो पौधा उगा है उसको आपका पुलिसरूपी पशु कहीं चर न जाय, इसका ध्यान रखें।

श्री सभापति : श्री माधोलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री गणपतिलाल वर्मा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरा इस डिमान्ड पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा कर्त्तव्य का पालन न होने के सम्बन्ध में कट मोशन है जो माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये किया है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे माननीय गृह मन्त्रीजी को पुलिस को अच्छा बनाना है, यदि सचमुच में जो बातें सुन रहे हैं उनमें सच्चाई है, यदि राजस्थान में स्वतन्त्रता लानी है तो पुलिस को राजनैतिक पार्टीबाजी से परे रखना पड़ेगा। राजनैतिक पार्टियों के दबाव में आकर पुलिस अधिकारीगण खराब से खराब काम कर बैठते हैं, जिससे हमारे अधिकारी बड़े बड़े काम करते हैं वे बदनाम होते हैं। हम देखते थे कि पहले इतनी चोरियां होती थीं, डकैतियां होती थीं, कोई आदमी इधर से उधर बिना भय के नहीं घूम सकता था, महिलाएं रकम पहिन कर नहीं जाती थीं, लेकिन आज राजस्थान की यह

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

विशेषता है कि इतनी बड़ी भारी दिक्कतें थीं वे दूर हुईं। लेकिन यदि राजनैतिक पार्टियों से उनका पिंड नहीं छुड़ाया गया और उनको निडर नहीं किया गया तो पुलिस अधिकारियों को ऊपर नहीं उठा सकेंगे।

मैं अपने जिले की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि कोटरी तहसील में आमा नाम का एक गांव है। वहां का सरपंच निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया। लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को उससे भय था, वे समझते थे कि यह कांग्रेस का है इसलिये उसको बदनाम करने के लिये उन्होंने पर्चेबाजी की। उसकी जांच कराई गई। रेवेन्यू विभाग के ईमानदार अधिकारियों ने उसकी जांच की और वह गलत साबित हुई। उसके बाद उन्हीं दिनों में आमा गांव में एक मेला लगा। यह मेला हमेशा वर्षों से लगता है और इस मेले में माल लाने वाले दूकानदार आते हैं, वे ४ आना फी दूकान पंचायतों को देते हैं सफाई करने के लिये, रोशनी के लिये और पानी की व्यवस्था करने के लिये। लेकिन कॉम्युनिस्ट पार्टीवालों ने इस चुनाव के मौके का लाभ उठाने के लिये दूकानदार लोगों को बहकाया और कहा कि तुम पंचायत को पैसा मत दो। पैसा लेने गये, सरपंच साहब ने वसूल करने की कोशिश की तो उनको कॉम्युनिस्ट पार्टीवालों ने धक्के दिये। इसकी पुलिस में सूचना दी तो पुलिसवालों तक को धक्के दिये और वे पैसे वसूल नहीं कर सके। उसके बाद ऐलान के जरिये सभी व्यापारियों और दूकानदारों को कहलवाया कि अमुक समय तक पैसे जमा नहीं कराओगे तो पंचायत एक्ट के अन्तर्गत तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके लिये मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं, दो-चार मिनट और अधिक दें....

श्री सभापति : मैं मजबूर हूं अधिक समय देने के लिये।

श्री गणपतिलाल वर्मा : ११ आदमियों ने पैसा नहीं दिये और उनको कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भड़का कर कहा कि पैसा मत देना। पंचायत ने नोटिस देकर उनको बुलाया। पंचायत की बैठक हो रही थी। कॉम्युनिस्ट पार्टीवालों ने वहां भेजने से इन्कार कर दिया और पंचायत पर हमला किया। इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि इस तरह से हम काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भीलवाड़े के पास जाकर कहा कि इस प्रकार की स्थिति है, उन पर हमला बोला है, पुलिस वालों को उन पर केस चलाना चाहिये था लेकिन कॉम्युनिस्ट पार्टी से डर कर कुछ नहीं किया। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि किस कदर पुलिस अत्याचार करती है। मैं सच कहता हूं कि कॉम्युनिस्ट पार्टीवालों से डर कर १०७ की जो कार्यवाही की गई थी वह अब तक पेश नहीं हो पाई है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि कांग्रेस वालों की सहायता करती है, सरकार को और पुलिसवालों को बदनाम करने की दृष्टि से कहते हैं।

एक बात और कह देना चाहता हूं

(३.० म.प.)

वह यह है कि, सभापति महोदय, भीलवाड़ा से

Page No 76

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

जब आप पहुंचते हैं चौराहे पर जो भोपालगंज है, जहां रात दिन ट्रैफ़िक चलता है और जहां एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा रहता है वह चौराहा संकड़ा है कि अगर आप बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखें तो मालूम होगा कि वहां खड़े होनेवाले आदमी को कितना नुकसान हो सकता है। वहां राजनैतिक पार्टियों के बोर्ड लगे हुए हैं। पहले वे लकड़ी के बोर्ड थे। पुलिस उनको वहां से हटा कर ले गई तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के बोर्ड लगा दिये हैं राजनैतिक पार्टियों ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। वे रात-दिन सरकार की गलतियां बताते हैं, अधिकारियों को डराने के लिए झूठी झूठी रिपोर्ट छापते हैं। मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। लेकिन छापने के कई और तरीके हैं, आप पेम्फ़लेट छाप सकते हैं, अखबार में छाप सकते हैं। आप ऑफिसर्स को और बड़े बड़े लोगों को गालियां निकालते हैं, इसका मेरे दिल में रंज नहीं। लेकिन एक बात है कि वह एक ऐसा स्थान है जहां सैकड़ों आदमी आते जाते हैं और उन बोर्ड्स को देखने के लिए सैंकड़ों की भीड़ खड़ी रहती है, जिसके कारण कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं और एक्सीडेंट होने पर आप पुलिस को बदनाम करेंगे।

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि अगर पुलिस को अच्छा बनाना है तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, किसी पार्टी के प्रभाव में आये बिना उसको ईमानदारी से काम करने दें।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : आपने प्रभाव डाला है इनको हटा कर ले जाने के लिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा प्रभाव में हैं!

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सादूलपुर-सु.) : मेरा कटौती का प्रस्ताव है, वह चुरू जिले में पिछले कुछ अरसे से काफी चोरियां एवं डकैतियां हुई हैं, उनको रोकने की व्यवस्था पर बहस करने के लिए है। माननीय सभापति महोदय, हम आज देखते हैं...........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रावतराम : कि पुलिस डिपार्टमेंट की हाउस में माननीय सदस्य चर्चा करते हैं....

श्री श्योपतसिंह : माननीय सभापति, सुनाई नहीं देता है।

श्री सभापति : सुनने की चेष्टा कीजिये।

श्री रावतराम : वे सुनने की चेष्टा करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सुनना चाहते नहीं तो क्या किया जाय?

श्री रावतराम : तो माननीय सभापति महोदय, हम आज हाउस में यह बात नहीं सुन रहे हैं कि आज पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी ज्यादा आलोचना होती है वह क्यों होती है। इसके कुछ कारण हैं यही हालत हाउस के बाहर है। गांवों में जाकर पुलिस के बारे में सुनते हैं, तो

(श्री रावतराम)

आज वहां भी लोग यह बात कहते हुए मिलेंगे कि आज की पुलिस है, वह जनता के हित में अच्छा न्याय नहीं करती है । तो माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस बात को हमें भूल नहीं जाना चाहिए और केवल यह कह कर हमें इस बात की सफाई नहीं देनी चाहिए कि लोग झूंठी शिकायत करते हैं । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं । माननीय सभापति महोदय, आज क्या होता है कि पुलिस थानों में जब कोई गरीब फरियादी जाता है तो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती गरीब आदमियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वे पुलिस के उच्चाधिकारियों को जाकर अपनी बात कह सकें पुलिस की सुस्ती एवं जांच के जो तरीके हैं उनसे अदालत में आगे जाकर न्याय नहीं मिलता है । माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल से लगातार इस तरह की घटनायें प्राय: हो रही हैं, विशेष तौर से गृह मन्त्री का ध्यान दिलाऊंगा कि चुरू जिले के अन्दर इस तरह की वारदातें बहुत हुई हैं । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्राइम्स के के बारे में गंगानगर राजस्थान में पहला जिला है । सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के बाद यदि किसी ज़िले का नम्बर क्राइम्स में आयेगा तो वह चुरू जिले का है । इस जिले की हालत दिन ब दिन खराब ही बनती जा रही है । तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की तरफ गृह मन्त्रीजी ध्यान दें और पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ सुधार करें वर्ना मैं आप से निवेदन करता हूं कि आज जनता का विश्वास है वह पुलिस से उठता जा रहा है । आप किसी गांव में जाइये, वहां लोग चर्चा करते हैं कि यह कैसा राज्य है , कहां जाकर हम पुकारें ? पुलिस के पास जाकर हम पुकारते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं । एक खास बात और है कि गांव के आदमी की हिम्मत नहीं होती है कि पुलिस के पास जाकर दरख्वास्त पेश कर सके, अपनी कहानी कह सके । मैं, माननीय सभापति, आपके द्वारा दो, चार इस तरह के केसेज सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं, चुरू जिले के ।

अभी छः, सात महीने पहले जैसा कि आपको भी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है, माननीय सदस्यों को भी यह जानकारी होगी कि सुजानगढ़ में एक कत्ल हुआ पोस्ट मास्टर का । पोस्ट ऑफिस का मकान बाजार के बीच में है और उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उस पोस्ट मास्टर को कत्ल कर दिया । इस बात की जानकारी जनता ने बार बार पुलिस को दी और कहा कि पोस्ट मास्टर का कत्ल हुआ है, इसमें कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का इसमें हाथ हो सकता है । पोस्ट ऑफिस और थाने की बिल्डिंग बिल्कुल चिपटी हुई है, इसलिये इसमें रहस्य है । लेकिन लोकल पुलिस छः, सात महीने तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी और कभी इधर और कभी उधर तफतीश के बहाने समय पास किया । माननीय सभापति महोदय, वहां पर भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी दौरे पर गये तो लोगों ने कहा कि इस तरह का कत्ल हुआ है । तो उन्होंने कहा—मेरे को पता भी नहीं है । माननीय सभापति, इस तरह का जुल्म होता है, इस तरह का बड़ा कत्ल हुआ, जिससे

(श्री रावतराम)

सुजानगढ़ की जनता में सनसनी फैल गई, इससे इतना आतंक फैल गया । तो इस तरह की वारदात हुई लेकिन उनको इस केस की जानकारी नहीं । सभापति महोदय, वहां आज कातिल गिरफ्तार हुए हैं, उसके लिए खास तौर से धन्यवाद गृह मंत्रीजी को देना चाहूँगा । लोगों ने जब इनसे कहा कि इस तरह की वारदात हुई है और उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है तो गृह मंत्री जी ने कहा - लोकल पुलिस को छोड़ कर मैं सी. आई. डी. को यह मामला सौंपता हूँ । और सी. आइ. डी. के जाते ही वह केस बरामद हुआ और कातिल गिरफ्तार हुए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा । तो उसके बाद एक ताजी घटना सरदारशहर में हुई । सरदारशहर बैंक में दो व्यक्तियों को कत्ल कर दिया गया और कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ । उसमें एक १५ साल का युवक था उसको भी कत्ल कर दिया गया बाजार के बीच में, जहां पुलिस गस्त लगाती है, जहां एक बजे तक लोगों का जमघट रहता है। वहां उस मौके पर उन दोनों का कत्ल किया गया, और आज तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हो सका है । इस तरह की वारदात सरदारशहर में हुई है । इससे सरदारशहर की जनता में आतंक है और भय है । क्योंकि आज पुलिस के बारे में कोई बात कहे तो कोई उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पुलिस में कमजोरियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इस कारण बदनामी का शिकार हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है । मैं एक मिनट में वहां की हालत और अर्ज करूंगा । सरदारशहर में छः बजे पता लगा कि कत्ल किया गया उसी वक्त पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई । लेकिन सुबह छः बजे सूचना देने पर भी थानेदारजी साढ़े नौ बजे मौके पर आते हैं ! सभापति महोदय, आप विचार करें कि साढ़े तीन घंटे जनता वहां खड़ी रहती है और थानेदार मौके पर नहीं आता है । इस तरह थानेदार जनता के हित का ध्यान नहीं रखते और जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं । मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो लोग इस तरह की कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सरदारशहर में एक गांव है अमरासर और दूसरा गांव है बयासर । दो महीने पहले अमरासर में डाका पड़ा और ६-७ हजार रू० का माल डाकू लूट कर ले गये, दिन के एक बजे, उन्होंने औरतों और बच्चों को पीटा और माल लूट कर ले गये । गांव भीयासर में भी डाका पड़ा, उसका भी आज तक पता नहीं है । इसी तरह चोरियों का कोई शुमार ही नहीं है । आप चाहें तो मैं लिस्ट पेश कर सकता हूँ । ऊंट और दूसरे पशुओं को चोर ले जाते हैं । आज वहां के किसान डरते हैं और जा करके थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते । वे कहते हैं

(श्री रावतराम)

कि थानेदार कहता कि पूंची किसी को देकर ले आओ। इसलिए उनके सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सतर्कता से काम लें, क्योंकि राजस्थान की जनता का इससे बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में तब्दीली लायें। अभी पिछले दिनों आपने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उन जिलों में जो कमेटियां बना रहे हैं उनमें आप स्वयं मौकों पर जायें और उनको प्रिसाइड करें और वहां के जन-प्रतिनिधियों से और दूसरे प्रतिष्ठित लोगों से पुलिस के बारे में जानकारी लें कि क्या हो रहा है, तो सही खबरें पुलिस के बारे में आपके पास आयेंगी। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि इस मामले में सतर्क हो कर काम लेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे, और मौकों पर जाकर लोगों का कष्ट सुनेंगे तो आप इस संबंध में ज्यादा कुछ कर सकेंगे। बस, मैं यही निवेदन करना चाहता था।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं। इनमें से पहले मैं पुलिस दल की सेवा-कार्य-नीति पर विचार करने का प्रस्ताव है उसको लेता हूं और मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करता हूँ कि दर असल में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस लगाये हैं उनकी जांच कराना चाहते हैं तो एक आयोग के द्वारा होनी चाहिये, जिसमें इस विधान सभा के सदस्यों को नियुक्त किया जावे, क्योंकि जो हम यहां पर फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, मैं गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे पुलिस विभाग से ही जांच करावेंगे, उसी विभाग से जिसने ये करतूतें की हैं तो मैं यह नहीं समझता कि जो लोग करतूतें करनेवाले हैं वे उनकी सही जानकारी आपको देंगे। चुनावों से पहले राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ दो साल पहले जो घटनाएं हुईं उनका सही हल तभी निकाल सकेंगे जब आप आयोग की नियुक्ति करेंगे। इसलिए दरअसल में हम जो सुझाव रखते हैं उनका हमारे गृह मन्त्रीजी आदर करते हैं और यह चाहते हैं कि जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जो जो घटनाएं हुई वे भविष्य में न हों, तो मैं सबसे पहले यही सुझाव दूंगा कि हमारी पुलिस द्वारा जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच कराने के लिए एक आयोग नियुक्त करें और उसमें विरोधी दल के सदस्य भी रहें तब तो मैं समझूंगा कि हमारे गृह मन्त्री हमारी राय की कदर वाकइ में करते हैं; अन्यथा यही समझूंगा कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को जब वह रोता है तो उसको थपथपाया जाता है उसी प्रकार कह कर टाल देंगे और झूठे आश्वासन देंगे।

इसके बाद मैं नाथद्वारा का किस्सा बताना चाहता हूं। आप और आपको पुलिस जगमाल जैसे डाकू को तो पकड़ नहीं सकती मगर एक सार्वजनिक कार्यकर्ता पर डकैती का केस आसानी से चला सकती है और वह भी उनका विरोध करके काले झंडे बताये गये थे इस कारण से सार्वजनिक कार्यकर्ता पर डकैती का केस लगाया गया। उसने प्रोपर्टी क्या लूटी और ले ली, वह यह है

(श्री विजयसिंह झाला)

कि उसने पुलिसवालों की लाठी ले ली और उसी कारण से उसी पर डकैती का केस लगाया गया। वह लाठी भी उससे बरामद नहीं हुई। लेकिन एक डकैती का केस सार्वजनिक कार्यकर्त्ता पर लगाया जाता है। आप लोग दरअसल डाकुओं का तो विरोध कर नहीं सकते और न उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर आप झूठे केसेज लगा सकते हैं। इस प्रकार कई केसेज़ हैं। अगर मैं नाथद्वारा के पूरे केसेज़ का जिक्र करूं तो मुझे कम से कम पांच घन्टे चाहिये। इसलिये इससे अच्छा यही है कि आप दरअसल जांच कराना चाहते हैं तो एक आयोग मुकर्रर किया जावे जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी हों।

इसके अलावा भ्रष्टाचार की जो पुलिस की नीति रही है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस में इन्वेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन को एक न रख कर इनको अलग अलग किया जावे। इन्वेस्टीगेशन में पुलिसवाले केस को, चाहे वह सच्चा ही हो, पैसे खाकर दबा देते हैं और जो मुकदमा चलने काबिल नहीं होता है उसको भी आगे जाकर प्रोसीक्यूशन में दे देते हैं और चूंकि दोनों एक ही से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए जिन मुकदमों का चालान नहीं होना होता है उनका भी चालान करा कर झूंटा फंसाने की कोशिश करते हैं और सही मुकदमे होते हैं उनको भी बरी कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रोसीक्यूशन शाखा है उसको पुलिस की इन्वेस्टीगेशन शाखा से बिल्कुल अलग कर दिया जावे और इसका संबन्ध जुडिशियल डिपार्टमेंट से रखा जावे और जुडिशियरी की एक शाखा के रूप में रखा जावे और उसको यह भी अधिकार दिया जावे कि जो कोई झूंटा केस पुलिसवाले बनाते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही करके अदालत में कोई केस दायर कर सके।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि पुलिस में भ्रष्टाचार होता है और मैं यह मानता हूँ कि पुलिस में जितना भ्रष्टाचार होता है या बहुत से आदमी बरी होते हैं उसमें डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट हाथ हमारे ट्रेजरी बैंचेज़ के बहुत से लोगों का भी होता है। बहुत से ऑफिसर लोग मजबूर होकर गल्त कार्यवाही करते हैं, जिसका संबन्ध ट्रेजरी बैंच से होता है। इसलिये मैं यह सजेशन दूंगा कि जब कभी हमारे माननीय मंत्री यात्रा करने के लिये जावें तो वे अपने साथ पुलिस गार्ड न ले जावें, क्योंकि जब वे पुलिस गार्ड अपने साथ ले जाते हैं तो उनमें एक गुलामी की वृत्ति रहती है जो झूटा या सच्चा आदेश वे लोग उनको देते हैं उसको पालन करने की प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि राज्य में पुलिस सबसे कम काम में ली जावेगी। मगर आज पुलिस को ज्यादा करते जा रहे हैं। यह एक बड़े शर्म की बात है कि आप लोग जब कभी दौरे पर जाते हैं तो गार्ड साथ में रखते हैं। गार्ड रखने का मतलब यह है कि आप लोकप्रिय नहीं हैं और आपको शक है तभी तो आप पुलिस गार्ड को रखते हैं, अन्यथा अगर आप लोक प्रिय हैं तो आपको किसी प्रकार की गार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे गृह मंत्री राजस्थान में इस

(श्री विजयसिंह झाला)

प्रकार का उदाहरण रखेंगे और जब कभी बाहर जावेंगे तो पुलिस की गार्ड अपने साथ नहीं रखेंगे ।

दूसरा प्रस्ताव मेरा पुलिस के सिपाहियों के वेतन वृद्धि के बारे में है । माननीय सभापति, ग्रेड राजस्थान में इसके लिये पे कमेटी बनी उसके आधार पर हुए । परन्तु मैं मानता हूं कि कमेटी को या तो पूरे साधन उपलब्ध नहीं हो पाये या जांच नहीं की गई । इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो ऑपोर्चु-निटी सर्विसेज को अपनी डिमान्ड उनके सामने पेश करने की थी वह उनको नहीं दी गई । इसलिये मैं मानता हूं कि सिपाहियों को अपनी डिमान्ड उस कमेटी के सामने रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । इसी तरह पटवारियों को भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, केवल उनके डी. ए. को पे में मर्ज कर दिया गया है । इससे मैं यह नहीं मानता कि किसी भी सिपाही का वेतन बढ़ा हो । इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसरों का जितना वेतन बढ़ा है उसमें इस बजट का १० परसेन्ट पुलिस ऑफिसरों के वेतन में चला जाता है । इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि पुलिस ऑफि-सरों का वेतन कम किया जावे और पुलिस के सिपाहियों का वेतन ज्यादा किया जावे । जब डकैतों को पकड़ने का प्रश्न आता है तो सबसे पहले सिपाही जाते हैं । जब जान पर खेलने की बात आती है तो बड़े बड़े ऑफिसर आगे नहीं जाते हैं । उस समय पुलिस के सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं । कमेटी द्वारा कहा यह जाता है कि १७ लाख लो पेड कर्मचारी हैं अगर उनको ५) रु० भी बढ़ावें तो एक करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाता है । मगर मैं यह कहूंगा कि १००) रु० तक के वेतन के आगे बढ़ाने का सोचा जाता है तो मेरी राय में पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड अवश्य बढ़ाये जाने चाहिये । इसलिये मैं यह निवे-दन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जावे ।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है अश्रु गेस के प्रयोग पर । आपने १. ३५ लाख रुपया अश्रु गेस के बारे में लिखा है । आप चाहें तो तीन लाख रु० की भी अश्रु गेस खरीद सकते हैं । मैं यह कहूंगा कि आज के प्रजातन्त्र के युग में अश्रु गेस खरीदना कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती । इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि आप अश्रु गेस खरीदते हैं । अश्रु गेस का प्रयोग आप जनता पर ही तो करेंगे । कोई दुश्मन चढ़ कर नहीं आ रहा है सो उस पर इसका प्रयोग किया जाए और उस समय अश्रु गेस का प्रयोग नहीं होता है । इसलिये इस अश्रु-गेस का प्रयोग या तो गरीब मजदूरों पर या जनता पर ही होगा जो अपनी सही डिमान्ड लेकर आपके पास आते हैं । इसलिये मैं इस अश्रु गेस को जनतन्त्र के खिलाफ समझता हूं । मैं मानता हूं कि अगर आपको अश्रु गेस प्रयोग करने का अवसर आता है तो आप लोकप्रिय नहीं हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अगर आप लोकप्रिय हैं तो आपको अश्रु गेस छोड़ने का अवसर नहीं आएगा ।

तीसरा प्रस्ताव है डकैती निरोधक नीति पर । डकैती निरोधक अभियान पर जो रकम

(श्री विजयसिंह झाला)

खर्च की जा रही है उसके बारे में मैं मानता हूँ कि डकैत डाका डाल कर चले जाते हैं तो पुलिस अफसर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, देखते रहते हैं कि डकैत गये या नहीं। डकैतों के चले जाने के १० घंटे बाद या दो दिन बाद जाते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं कि हम डकैतों को गिरफ्तार नहीं कर सके। गिरफ्तार करने की नौबत आये तो जान जाने की भी नौबत आती है। तो सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये। २ लाख से अधिक रकम डकैती निरोध के लिये खर्च करते हैं फिर भी आपके डकैत पकड़े जा कर नहीं आते हैं तो इसको मैं कोई अच्छा नहीं समझता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा।

एक कटौती प्रस्ताव है, जो राजा-महाराजाओं के यहां गार्ड्स रखी जाती हैं उसके बारे में माननीय सदस्य बोले। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार ३ लाख रुपये की रकम खर्च की जाती है, उसको मैं उपयुक्त नहीं समझता और यह रकम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। ५७-५८ में यह रकम ६१ हजार थी वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि या तो यह सारी की सारी रकम इसमें लगा दी जाय कि जो डकैतों के मुकाबले में सिपाही मारे जाते हैं, उनकी विधवाओं के लिये, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये या सैनिक प्रशिक्षण के लिये या बन्दूकों के लाइसेंस की रकम गरीबों से वसूल की जाती है वह बन्द कर दो जाय और इस घाटे की पूर्ति के लिये यह रकम रखें।

इस तरह ५ कटौती के प्रस्तावों पर मैं अपनी बातें रख कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सम्पतलाल।

श्री सम्पतलाल (मावली) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है भ्रष्टाचार निरोध में पुलिस की असफलता पर विचार करने हेतु। सभापति महोदय, आज हमारे यहां पुलिस में, अन्य कर्मचारियों में और सार्वजनिक जीवन में जहां भी देखें चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। सरकार भी इसे महसूस करती है और इसको रोकने के लिये एक विभाग, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट खोल रखा है। पर वास्तविकता यह है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट भी आज करप्शन डिपार्टमेंट बन गया है और उसकी शिकायतों के बारे में जांच नहीं होती। बहुत जगह देखा जाता है कि पुलिसवालों की शिकायत की जांच एन्टीकरप्शन वाले करते हैं पर आगे जाकर वे केस दबा लिये जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऑफिसर्स के खिलाफ केस लगे थे, अफवाह फैली थी; पर बाद में सब शान्त हो गये। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। छोटे छोटे आदमी हैं, पुलिस वाले छोटे छोटे कर्मचारी हैं, पटवारी हैं या और दूसरे छोटे छोटे कर्मचारी हैं वे एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के चंगुल में फंस जाते हैं या फंसा लिये जाते हैं जाल में, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां इस जाल में नहीं फंसती हैं, इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि बड़े लोगों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऊंचे स्तर के अधिकारियों में, मिनिस्टरों में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको कैसे रोका जाय। यह बड़ा अहम सवाल

(श्री सम्पतलाल)

है । आज एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट इस योग्य नहीं है कि इन लोगों को पकड़े । इसके लिये एन्टीकरप्शन वाले कुछ कार्यवाही करना भी चाहें तो कर नहीं सकते; क्योंकि उन्हें इजाजत केस चलाने की इन्हीं ऑफिसर्स से लेनी पड़ती है । वे चाहें तो इजाजत दें, नहीं चाहें तो इजाजत नहीं दें । ऐसी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि गृहमंत्रीजी स्वयं उपस्थित हों तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री शिक्षा): वे बिज़नेस एड्वाईज़री कमेटी में बैठे हैं, वहां उनका बैठना आवश्यक है । जो सुझाव आपके होंगे उनको मैं नोट कर रहा हूं, वे उनका जवाब दे देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे स्वयं उपस्थित हों तो सदन में ज्यादा संतोष होता है ।

श्री परसराम मदेरणा : I am listening with rapt attention what you say.

श्री सम्पतलाल : तो इसमें धन का और साधनों का दुरुपयोग होता है । इसका सरकार को विचार होना चाहिये ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सभी अधिकारी घरों पर काम करवाते हैं । इसकी शिकायत की जाती है, पर सुनवाई नहीं होती है । ऐसी बहुत सी बातें हैं जो भ्रष्टाचार में आती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

कई मामले पकड़े जाते हैं तो उसमें मंत्री महोदय, उनके रिश्तेदार और जान पहिचान वाले लोग दखल देते हैं और उन मामलों को आगे नहीं बढ़ने देते और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेज़ आगे चले भी जाते हैं तो कोर्ट में कामयाब नहीं होते हैं ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये गैर सरकारी उच्चस्तरीय सदस्यों का एक बोर्ड बनाना चाहिये और इस तरह के सारे केसेज़ को उस बोर्ड को फॉरवर्ड किया जाना चाहिये । वह बोर्ड चाहे तो फाइल कर सकता है । ऐसा बोर्ड कायम करने से एन्टीकरप्शन के अधिकारियों में जो एक तरह का डर सा बना हुआ है वह डर भी नहीं रहेगा और वे बिना किसी प्रकार के डर के कार्यवाही कर सकेंगे । तो बिना डर के अधिकारी कार्य कर सकें, बड़े बड़े लोगों को फंसा सकें, जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ कर सजा दिला सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करना परमावश्यक है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह उच्चस्तरीय गैर सरकारी सदस्यों का बोर्ड बना दिया जाय तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जायेंगी ।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : श्रीमान् सभापति महोदय, मैं अपने चार कटौती प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं । सभापति महोदय, कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद....

श्री सभापति : आपके दो ही कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो आगे हैं दूसरे पन्ने में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये अलग अलग रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बहुत दिनों को प्रतीक्षा के बाद राजस्थान में पहली बार यह अनुभव करने का अवसर आया है कि हमारी सरकार ने आज की पुलिस व्यवस्था को प्रजातान्त्रिक ढंग पर लाने की एक शुरूआत की है। परसों के दिन पुलिस ऑफिसर्स के फैसले की सूचना समाचार पत्रों में मिली कि राजस्थान की सरकार ने निर्णय किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के हथकड़ी नहीं डाली जाय, हर जिला स्तर पर सलाहकार मण्डल बनाये जायं और जिन थानों में उनकी कस्टडी में मृत्यु हो गई हो तो तुरन्त इन्चार्ज को सस्पेन्ड किया जाय। और भी कुछ बातें उन्होंने इस सम्बन्ध में तय की। जो निर्णय समाचारपत्रों में आये उनसे ऐसा लगता है कि कुछ जमाना बदला है। इस जमाने के अनुसार जिन चीजों की आवश्यकता बहुत पहले से थी, उन बातों को महसूस किया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले १०-१२ वर्षों में पुलिस व्यवस्था में जिस प्रकार की गिरावट आई है, उस गिरावट को मद्देनजर रखते हुए यदि इसे दूर रखने की चेष्टा की गई तो इसमें सफलता मिलेगी और यदि यह समझ कर चले कि मैंने या मेरी सरकार ने नये काम शुरू किये और नये काम के नाम से ही सारा पर्पज़ अपने आप सर्व (Serve) हो जायगा, तो इसमें असफलता मिलेगी। यदि काम करने की चेष्टा की गई तो मेरी राय है कि इसमें सफलता मिलेगी।

मेरा ऐसा अनुभव है कि ५४ में जिस समय हमारे राज्य के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी उस समय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों ने शायद अपने से पिछले कार्यकाल को कन्डेम करते हुए कहा था कि अगले वर्षों में सुधार लाकर जन सुरक्षा की पूर्णतया व्यवस्था की जायगी। मैंने उनके इस आश्वासन के बाद जिस वर्ष में उन्होंने गृह विभाग का चार्ज लिया उस समय से अब तक जब भगवान् की कृपा से राजस्थान को उनसे मुक्ति मिली इस समय के सारे आंकड़े इकट्ठे किये और उन आंकड़ों के आधार पर सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में यह ८ वर्ष का पीरियड जन, धन की रक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही ब्लैक चेप्टर था, जिस चेप्टर को धोना कोई मामूली आदमी के हाथ की बात नहीं। यदि सख्ती से काम नहीं लिया गया तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इस ब्लैक चेप्टर की कहानी कोई सफेद होकर नहीं बनेगी, यह ब्लैक चेप्टर इसी तरह आगे बढ़ता जायगा।

इन ८ वर्षों में, मैं गृह मंत्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा कि जिस गृह विभाग का चार्ज उन्होंने लिया उसका उन्हें भूतपूर्व गृह मंत्रीजी ने चार्ज दिया है या नहीं, पर जो क्राइम हुए उनका चार्ज मैं आपको सदन के सामने देना चाहूँगा। आपको शायद यह मालूम होगा, मेरे पास सन् १९६१ के तो आंकड़े नहीं है लेकिन सन् १९६० तक सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

में २८ करोड़ रुपयों की चोरियां हुई । २८ करोड़ की चोरी में केवल ११ करोड़ की चोरियां ही बरामद हुई हैं। उनमें कुछ लाख भी हैं। लाखों की बात नहीं करता। आखिर इतना बड़ा राजस्थान है, लाखों की बात पर विश्वास नहीं करते, करोड़ों पर हमारी सरकार विश्वास करती है। इन वर्षों में ४६६ डकैतियां हुई। हमारी सरकार राजा महाराजों के जमाने की बात करती है और यह कहने में भी कोई संकोच नहीं करती है कि राजाओं, महाराजाओं के जमाने में जो लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति थी उससे अच्छी है। इस राज्य को गृह मन्त्रीजी बार बार राजा महाराजाओं के राज्यों से तुलना करते हैं। तो वे स्वयं यह देख लें कि गत आठ वर्षों में राजस्थान के इस शासन काल में इतनी डकैतियां हुई हैं। राजस्थान के अन्दर इन गत वर्षों में, २,३२४ धाड़े डाले गये हैं। राजस्थान के अन्दर २,५३१ लोगों को कत्ल किया गया है। राजस्थान के अन्दर २६,६७१ चोरियां हुई हैं। राजस्थान के अन्दर ६,१७७ बलवे के मुकदमे दायर हुए हैं, ११,२६४ मवेशियों की चोरियां हुई हैं, २३,०७६ मामूली चोरियां हुई हैं, बाकी मुतफरिक ४४,४५२ अपराध हुए हैं। बाकी आई. पी. सी. के अन्तर्गत टोटल आता है वह है १,१६,६६८।

अब सभापति महोदय, राजस्थान के लिए सबसे बड़ी जो कलंक की चीज है वह भी मैं सुनाना चाहूँगा और वह यह है कि राजस्थान के अन्दर ७०१ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इसी राजस्थान के अन्दर ३,२३६ मनुष्यों को उठाकर ले जाया गया। इसी राजस्थान के अन्दर १०७ अप्राकृतिक अपराध हुए और इसी प्रकार चीटिंग के और एम्बेज़लमेन्ट के कई केसेज़ हुए हैं। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ वे यह भी सुन लें कि १७ आदमियों को पुलिस थानों के अन्दर आपकी पुलिस द्वारा मार दिया गया, सन १९५७ से ६१ तक। आज से पहले जो राजस्थान की स्थिति है उसको कन्ट्रोल में लाकर नहीं चलाया गया और उसको यों ही छोड़ दिया गया और परिवर्तन करने की कोई चेष्टा नहीं की गई तो ये नजीरें और अधिक बढ़ेंगी, कम होंगी नहीं। पिछले दिनों सरकारी ऑफिसर्स का जो एक ट्रेन्ड होना चाहिये वह सरकारी व्यवस्था और ऊपरी नीति के कारण बदल चुका है। आज हर पुलिस अधिकारी यह सोचता है कि आज मिनिस्टर को अपना बनाने से, उसको सेल्यूट मारने से और उसको खुश करने से मामला बन सकता है। मिनिस्टर कहता है मेरी मर्जी है। इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर सुबह—शाम जाकर मिनिस्टर को खुश करते हैं, सेल्यूट करते हैं और इसी कारण से जनता के अन्दर किस प्रकार से आतंक हो, उसके साथ अन्याय किया गया हो तो वह सब दब जाता है। जयपुर शहर को इसी सलामी के कारण से, इन्हीं सलाम करनेवाले अफसरों के कारण तबाह कर दिया गया। जितनी घटनायें यहां आये दिन चोरियों की घटी हैं, जितनी चोरियां यहां हुई हैं और आये दिन जिस प्रकार से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, पूरे और सही आँकड़े तैयार किये जांय तो विदित होगा कि सलामी के भूखे गृह

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्री जी ने ऑफिसर्स के खिलाफ इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया और जनता उनके कारण परेशान होती रही। मुझे चेन्जेज़ नजर आते हैं। लेकिन सलाम करनेवाले अधिकारी जनता को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो सलाम भर नहीं सकते उनमें एक प्रकार से इस ओर प्रवृत्ति बढने की आशंका रहती है। सलाम भरने वाले और येन केन प्रकारेण खुशामद करने वाले करप्शन की ओर मिनिस्टरों को भी ले जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सलाम करने वालों से मिनिस्टर बचें। उनकी ओर माननीय गृह मन्त्रीजी कड़ी निगरानी रखें। जितनी मिनिस्टर की खुशामद करे तो यह मान कर चलें कि उतना ही वह दोषी है। ईमानदारों को धकेल दिया गया और राजस्थान में इन सलाम ठोक ऑफिसरों ने राजस्थान को तबाह कर दिया है। यह भी कहूंगा कि अजमेर में जन संघ के सेक्रेटरी ने अजमेर पुलिस की एक गुप्त डायरी पायी और उसको विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये दी, जिसमें पुलिस का हिसाब किताब लिखा था, कारनामे लिखे थे और बंटवारा किसको और कैसे किया जाता है इस प्रकार की सारी बातें थी। नानकचन्द इसराणी को वहां के डी. आई.जी. पी. और एस. पी. इस बात पर तुले हुए हैं कि यह पुलिस की शिकायत करता है इसलिए इसको किसी न किसी प्रकार से किसी मुकदमे में फंसा कर, झूठा मुकदमा बना कर, गिरफ्तार किया जाय। आज अजमेर में इन लोगों ने जनसाधारण के जीवन को दुष्कर बना दिया है। हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया जाय या कोर्ट के ऑर्डर हों फिर भी किसी न किसी प्रकार से दस, दस हजार, बीस, बीस हजार की जमामतें ये ले जाते हैं। किस प्रकार से एक गरीब आदमी इस प्रकार की जमानतें पेश कर सकता है? केवल इस बात के लिए पुलिस नाराज है कि उनकी गुप्त डायरी पेश कर दी गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आमूर है। मसूदा में एक नर्स के साथ चार चार गज़ेटेड ऑफिसर्स ने बलात्कार किया और एक पार्टी के सेक्रेटरी को तंग करने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्रीज़ी को स्पष्ट रुप से कह देना चाहूंगा कि इस प्रकार की पुलिस की हरकतों को अब जनता बर्दाश्त नहीं करनेवाली है। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां कि चार, चार गज़ेटेड ऑफिसर्स ने एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया हो। यह आपको राजस्थान में ही मिल सकता है और राजस्थान में इस प्रगतिशील सरकार ने यह रेकॉर्ड बनाया है, यह प्रगति की है। यह उसने प्रगतिशील रेकॉर्ड बनाया है और बना रही है। यदि कोई साधारण आदमी इस प्रकार से बलात्कार करता तो वह जेल के सींखचों में मिलता। लेकिन चूंकि वे राजस्थान के गज़ेटेड ऑफिसर्स हैं वे जेल के सींखचों में नहीं जावेंगे। मैं आज कहता हूँ कि उनको बचाने की कोशिश न की जाय।' सरकार ने इस प्रकार के लोगों को फिर से रीइन्स्टेट किया है। राजस्थान की सरकार को, चाहे कोई पुलिस के आतंक से मारा जाय उसकी उसको कोई परवाह नहीं, किसी स्त्री के साथ चार-चार गज़ेटेड ऑफिसर्स बलात्कार करें और वे जेल के सींखचों से बाहर रहें, उसकी भी सरकार को कोई परवाह नहीं। इससे राजस्थान पर एक कलंक का टीका लगता है, उसकी भी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

को कोई परवाह नहीं। लेकिन जिसने शिकायत की है उसको किस प्रकार तंग किया जाय, किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया जाय, उसको इसकी परवाह है। आज आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप इसको दबाना चाहते हैं, जिस प्रकार सेपहले के माननीय गृह मन्त्री-जी ने दबाया है; तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिये कि ये मामले अब दबाने से दबेंगे नहीं।

पिछले दिनों में अजमेर में जिस प्रकार की घटनायें हुई हैं, इस बारे में सदन से इतना ही कहूंगा कि एक एस. पी. साहब के लड़के को मार दिया गया। यह एक बुरी घटना हुई है और मुझे स्वयं को अफसोस है। यह भी मुझे मालूम है कि पुलिस इस बारे में काफी सतर्क है और इसका पता लगाया जायगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अजमेर में कोई यह नई घटना नहीं है। पिछले दिनों अजमेर शहर में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, चाहे इस सम्बन्ध में पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज न हो। जन-मानस अजमेर शहर का इस बात से चिन्तित है कि जीवन को किस प्रकार से बा-इज्जत बिताया जाय। अजमेर में पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की बन गई है कि कोई आदमी यह हिम्मत नहीं कर सकता कि वह सुख से अपनी रोजी रोटी कमा सके और रह सके। जिस पर पुलिस की नाराजगी हो गई, बस उसकी इज्जत और उसकी सुख-शांति चली गई। यह आये दिन का खेल बन गया है। गंगानगर का जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि गंगानगर क्रिमिनल शहर की कैटेगरी में माना जाता है। उस दिशा में यदि कोई राजस्थान का शहर बढ़ रहा है तो वह अजमेर शहर बढ़ रहा है। वहां पर इस प्रकार के नृत्य कराये जावें, इस प्रकार जनता की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाय और जिस प्रकार की घटनायें पुलिस द्वारा आये दिन हो रही हैं और उनको दबाने की चेष्टा पुलिस कर रही है उसको रोकने की हर प्रकार की चेष्टा करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद आप यह समझें कि ये पिछली बातें हैं, उन गृह मन्त्रीजी के वक्त की हैं लेकिन आपके सामने भी कुछ मर्डर्स हुए हैं पब्लिक ने किये हैं, उन मर्डर्स की मैं नहीं कहता लेकिन थानों में ले जाकर जिन व्यक्तियों को मारा गया है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में कह रहा हूं। एक कंजर को भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के थाने में बुलाकर मार दिया गया। पुलिस वालों ने मार दिया, यह कोई नई चीज नहीं है। गत ५ वर्ष में १७ को मार दिया तो एक और उस लिस्ट में आ गया। लेकिन इसके साथ जो मोस्ट डेन्जरस बात है वह यह है कि मजिस्ट्रेट और डॉक्टर मिल कर उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मर्जी चाहे जिसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं जावे और पुलिस को कहे कि इसको जला दिया जाय। इस प्रकार की अभी राजस्थान में ताजा दो घटनायें हुई हैं। मांडल में एक कंजर को मार दिया गया और दूसरा बिजयनगर में मारा गया। दो घटनायें इस प्रकार से हुई हैं। यदि माननीय गृह मन्त्रीजी इसकी जानकारी करना चाहेंगे तो मैं उनको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि जिन ऑफिसर्स

(श्री भैरोंसिंह)

ने मर्डर करनेवालों को शील्ड किया है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय, जो आपके सामने जानकारी लाने में संकोच करते हैं। आज उनको बचाने के लिए पुलिस विभाग सारा एक हो गया है। रायसिंहनगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि सोहनसिंह की हत्या के बाद महावीर को बचाने के लिए पुलिस के सिपाही से लेकर आई. जी.- पी. तक लगे हुए हैं। उन्होंने इस प्रश्न को इसीलिए विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। आज यदि इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी की जाय तो जिन अधिकारियों ने मर्डर किये हैं उन मर्डर्स का चालान ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिन अधिकारियों ने शील्ड किया है उनको भी बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोई हिम्मत करे, हिम्मत करके आगे तो बढ़े। आज गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसको रोकने की कोशिश की जाय। इसके बारे में जल्दी से सख्ती के साथ कदम उठायेंगे तो हम लोगों को कुछ परिवर्तन नजर आयेगा।

पिछले दिनों हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछली विधान सभा में जब हमने यह सवाल उठाया था कि पुलिस में व्याप्त अव्यवस्था को सामने रख कर एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की जाय तो उस समय के गृह मन्त्री महोदय ने और मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस समय चीफ जस्टिस श्री सरजूप्रसाद रिटायर हुए, मुख्य मन्त्री महोदय उनको ऑब्लाइज करना चाहते थे, उनको ऑब्लाइज करने के लिए पुलिस सेरेमनी जो हो रही थी उसमें जिस बात के लिए दो महीने पहले इन्कार कर चुके थे, दो महीने बाद ही....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : It is a direct reflection upon the Judiciary, Sir. This has been agitated more than once by the Hon'ble Member and pronouncement has been given by the Chair from time to time. I do not think any necessity to repeat the same point, specially because it is a reflection on the Judiciary, the Head of Judiciary.

श्री भैरोंसिंह : I am speaking for the Retired Chief Justice of Rajasthan, Sir, and if is my privilege to discuss tho antecedents of that member. There has not been a single ruling but hundreds of rulings for speaking about the retired judges,

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस सेरेमनी में घोषणा कर दी कि पुलिस कमीशन बनाया जाय। जब इस बात का हमें पता लगा कि मुख्य मन्त्री महोदय इससे किसको ऑब्लाइज करना चाहते हैं तो हमने राजस्थान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और उनसे पूछा। राजस्थान के गवर्नर महोदय को पत्र लिखा, लॉ कमीशन को लिखा गया। खुश किस्मत है कि वह चार हजार रुपये खर्च होने से बच गये और उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। बहाना यह लिया गया कि पंजाब में जो पुलिस कमीशन की नियुक्ति की गई है, उसी के आधार पर हमारी पुलिस का काम चल रहा है इसलिये किसी प्रकार की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

पंजाब और राजस्थान में काफी डिफरेन्सेज हैं। हमारा पुलिस का पेटर्न भी पंजाब के पेटर्न पर है। इसके अलावा राजस्थान में कई भिन्नतायें हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सब बातों पर विचार करने के लिये पुलिस आयोग की नियुक्ति की जानी बहुत आवश्यक है। यू० पी० में पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई, मध्य प्रदेश में होने जा रही है, पंजाब ने किया है राजस्थान में भी हो जाय। इसमें खर्च का सवाल नहीं। रात दिन वैसे भी खर्चा बढता जा रहा है। मामूली से खर्चे में हमें असलियत को मालूम करने में सहायता मिलेगी। इसलिये पुलिस आयोग की नियुक्ति करना अच्छा ही होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं कुछ पुलिस कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूँगा। वह मैं इसलिये कहूँगा कि राजस्थान के अन्दर जितना भी बर्डन ऑफ वर्क है वह पुलिस कॉन्स्टेबल पर आता है, उतना शायद अधिकारियों पर नहीं आता है। अधिकारी सिर्फ आदेश देते हैं। बदकिस्मती ऐसी है, आज का पुलिस कान्स्टेबल सुखी नहीं है। हमारा पुलिस पेटर्न मिलिटरी टाइप का है। मिलिटरी टाइप पेटर्न में सिर्फ हुक्म मानने तक की सीमा है। जो भी हुकम दिया सेल्यूट करके उसको अन्जाम देना पड़ता है। वहां पर किसी प्रकार की वह बात कर सके, इसकी सम्भावना नहीं। इस पेटर्नवाले कॉन्स्टेबल को भी आप मिलिटरी में जो तनख्वाह मिलती है वह दीजिये। लेकिन हम इमोल्यूमेन्ट्स को देखते हैं तो पुलिस के सिपाहियों में और मिलिटरी के सिपाहियों में काफी अन्तर मिलेगा। जो इस प्रकार का अन्तर है उससे निश्चित रूप से उनमें असन्तोष है। पिछले दिनों में मेस अलाउन्स में वृद्धि की थी और मेडिकल फेसीलिटीज भी बढायी थी। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे एक काम करें। एस० पी० से इस बात की जानकारी करें कि सिपाहियों के टी० ए०, डी० ए० के कितने बिल्स बाकी हैं और उसी महीने के एस० पी० के कितने बाकी हैं। आपको एस० पी० का एक भी बिल बाकी नहीं मिलेगा, डीवाई. एस.-पी. के नहीं मिलेंगे लेकिन पुलिस के सिपाहियों के एक वर्ष के नहीं, तीन तीन साल पहले के बिल्स बाकी हैं। उसके लिए जब अकाउन्टेन्ट को कहा जाता है तो वह कहता है कि इसका दसवां हिस्सा मुझे दो तो मैं निकालूं। लेकिन सिपाही लोगों का कहना है कि वे दसवां हिस्सा कभी नहीं देंगे, तकदीर में लिखा होगा तो आ जायगा।

इसके अलावा मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वे पुलिस लाइन में चले जावें और देखें कि मेडिकल एड के रूप में जो दवाइयां दी जाती हैं, फ्री दी जाती हैं वे दवाइयां सिपाहियों को न मिल कर अफसरों की बीबियों को मिलेंगी या अफसरों को मिलेंगी। यहां तक देखा गया है कि टी०बी० के मरीज सिपाही की औषधियों के अनुरूप दूसरी औषधियां ऑफिसरों के बंगलों पर पहुंच गई। मेस अलॉउन्स उनको एडवान्स में दिया जाता है। उसके लिये लम्बी चौड़ी लिस्ट मेरे पास है, जिससे साफ मालूम होता है कि इन सिपाहियों के लिये मेस अलाउन्स और टी. ए. एडवान्स

(श्री भैरोंसिंह)

देने की कोई आवश्यकता नहीं । सिपाही अगर वहां कुर्सी पर बैठ जाय तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है लेकिन अफसरों के घर पर कारपेट, दरियां आदि बिछी हुई हैं उनका कुछ नहीं । वर्कशॉप में सिपाही साइकिल खड़ी कर दे तो उनका अपराध और एस. पी., डी-वाई. एस. पी. अपनी मोटरें वर्कशॉप में सुधर-वाते रहें तो कोई अपराध नहीं । एक एस.पी. को तीन साल पहले मैंने रेड हेन्डेड पकड़ा था। पुलिस लाइन की गाड़ी में सामान लेकर जा रहे थे । उनको रेड हेन्डेड थाने के पास मैंने पकड़ा था । गृह मंत्री को अफसोस होना चाहिये कि उस पर तीन वर्ष तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई । पिछले दिनों मेरे पास सम्मन आया तीन वर्ष पहले के मामले का । वाह रे अन्धेर नगरी अणबूज राजा ! आज तीन वर्ष के बाद में सरकार की आंख खुली । उस समय देखा यह गया कि १९६२ के चुनाव में मैं क्या जीत कर आ सकूंगा । लेकिन जीत गया इसलिये नोटिस भी आ गया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं । तीन वर्ष के बाद जो अफसर रिटायर हो चुका, अब आप क्या जांच करेंगे, क्या पनिशमेन्ट देंगे; इस सब पर सरकार विचार करे ।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं किलेजात और तोपखाने के कर्मचारियों के बारे में जिक्र करूंगा । रियासतों के जमाने में तोपखाना नाम की अलग फोर्स थी । उस समय जयपुर हिज हाइनेस उसको रखा करते थे । लेकिन जब राजस्थान की सरविसेज का इन्टीग्रेशन हुआ, कुछ आदमियों को तो सरकार ने ले लिया और कुछ को छोड़ दिया । हो सकता है इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को रखने के बारे में गलतियां-हो सकती हैं-लेकिन इससे हो यह रहा है कि कुछ लोगों के पेन्शन के हक मारे जा रहे हैं । इनके इमोल्यूमेन्ट्स लेन्थ आफ सरविस आदि पर भी इसका असर पड़ रहा है । इस समय तो समय का अभाव है, मैं इस बारे में गृह मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा जो भी किलेजात और तोपखाना के मुलाजिम थे उनको आप कॉन्स्टेबल के तौर पर या अन्य किसी प्रकार से उनको रखें । इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का डिसीजन आप लेने के लिये विचार करें । फोर्स चाहे डिसबेन्ड कर दी गई लेकिन इसे रेगुलर फोर्स मान कर इनके साथ न्याय का दृष्टिकोण अपनायें । युनीफाइड पे स्केल्स के जो एरियर्स हैं वे भी उनको मिलने चाहिये । इसके जो एरियर्स एकुमुलेट हुए हैं वह भी समय पर उनको दिलाये जायं । इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके अलावा मैं इस विभाग में इकोनोमी के लिये भी निवेदन करना चाहता हूं । गृह मंत्री महोदय इस बात के लिये मजबूरी जाहिर करें कि इस डिपार्टमेन्ट में इकोनोमी नहीं की जा सकती । मैं इस बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । आप एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को डिजोल्व कर दीजिये । राजस्थान में जब इस विभाग का क्रिएशन हुआ था तो हम लोग यह समझ रहे थे कि इस विभाग के कायम होने से करप्शन बन्द हो जायगा । यह मानी हुई बात है कि इस विभाग द्वारा करप्शन किसी प्रकार से भी रुका नहीं । अगर आपको इस विभाग का निर्माण ही करना है तो इसे पुलिस से अलग कर दीजिये । यह विभाग अपनी इन्डिपेन्डेन्ट मशीनरी लेकर चले तभी जाकर राजस्थान में करप्शन कम हो सकता है । आपके इस विभाग

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा यह आशा की जा सकती है कि वह डी.-वाई. एस. पी. या होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी जैसे बड़े आदमियों पर हाथ डाले ? यदि हाथ डालते हैं तो खत्म न हो जायं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें जो भी अधिकारी काम करें उनका लिएन पुलिस में न रखा जाय, बल्कि इसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट केडर के रूप में नये अधिकारी रखे जायं; नहीं तो यह करप्शन रुकनेवाला नहीं है।

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि डीवाई०एस०पी० और सरकल इन्सपेक्टर इन दोनों में से एक जोब को खत्म कर दी जाय। अगर डीवाई०एस०पी० को रखना चाहते हैं तो सरकल इन्सपेक्टर बेकार हो जायगा। सब-इन्सपेक्टर और एस० पी० के बीच के ये जो दो केडर हैं इनमें से आप किसी एक को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर सरकल इन्सपेक्टर को खत्म करते हैं तो डीवाई०एस०पी० को वे पावर्स दे दीजिये और डिस्ट्रिक्ट्स इस आधार पर बनाइए जिससे डी०आई०जी० जो आपने चार रखे हैं उनकी जगह तीन कर दीजिये। इससे राजस्थान के पुलिस विभाग में काफी अच्छी इकोनोमी हो सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

एक लाइन प्रोसीक्यूशन विभाग के लिये कहना चाहूंगा कि हमारी यह बदकिस्मती है कि एलएल., बी. पास लोगों को वहां नहीं रखा जाता, वे तो कहीं और असिस्टेंट बन कर जाते हैं और जो मैट्रिक या नॉन मैट्रिक हैं उनको वहां भेजते हैं, जिन्होंने कभी कानून का काम भी नहीं किया। तो आप अपना यह रवैया ठीक करिये और योग्य व्यक्तियों को, एलएल., बी. पास लोगों को इधर लगाइये। उनके लिये लाइब्रेरी की व्यवस्था करिये, अच्छी तनख्वाह दीजिये। जितने लीगल पीरियोडिकल्स हों उनकी व्यवस्था करिये और एलएल०, बी० सब-इन्सपेक्टरों का सब का ट्रान्सफर कर दीजिये इधर। जो अनपढ़ हैं, एल.एल., बी. नहीं हैं–अनपढ तो नहीं कहना चाहिये–उनको वहां से हटाइये, दूसरी जगह भेजिये। इस लाइन को एक इन्डि-पेन्डेन्ट लाइन बनाइये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ये चार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग के बारे में मैं जो कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं उसमें खास तौर से जो थाने हैं उनकी व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

आज जितने भी एस. एच. ओज. रखे जाते हैं थानों में वे कई जगहों से ट्रान्सफर होकर आते हैं और उनके साथ में पहले के इतने मुकदमे लगे रहते हैं कि वे उनकी पैरवी करने के लिये कोर्टों में ही फिरते रहते हैं और इसका नतीजा यह है कि उन थानों में जब कोई भी अपनी शिकायत लेकर जाता है और इन्क्वायरी कराने की जरूरत पड़ती है तो कोई भी थानेदार मौजूद नहीं मिलता। और यही एक मात्र कारण है कि जितने छोटे गांव हैं उनमें जितने पुलिसवालों को उन गांववालों की मदद करनी चाहिये थी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चोरी के मामलों में या और दूसरी तरह के मामलों में, वह वे नहीं कर पाते।

आप लोगों को मालूम होना चाहिये कि जो राजस्थान के आई. जी. पी. साहब हैं उनका गांव मेरे गांव से तीन मील दूर है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा, जो कि मुश्किल से बारह महीने का होगा, पलंग के नीचे आग लगा कर खतम कर दिया गया। उसकी इन्क्वायरी के लिये लोग जब बनेड़ा पुलिस थाने में शिकायत करने गये तो उनकी शिकायत सुनी नहीं गई और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस मामले में आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इसी तरह भीलवाड़ा में पुलिस थाना है। इसके अन्दर आये दिन इतने अत्याचार वहां के लोगों के साथ होते हैं कि जिसकी सीमा नहीं। खास तौर से, मैं कह सकता हूं, कि राजनैतिक आधार पर राजनीति में काम करने वाले लोगों पर, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर इस पुलिस थाने द्वारा जो जो और जिस तरह के अत्याचार आये दिन किये जाते हैं शायद राजस्थान में दूसरा ऐसा थाना नहीं होगा जहां इस तरह से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ, साधारण क्रिमिनल लोगों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है उससे भी बदतर व्यवहार किया जाता हो। मेरा खुद का अनुभव है और मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा नये गृहमन्त्रीजी से कि आज जो आदमी थाने में ले जाया जाकर रखा जाता है और जब तक वह थाने में रहता है उसकी जांच के समय, उसे खाने के लिये वहां सारे दिन में छः आने के पैसे दिये जाते हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार १५) और २५) और ४५) तक डी. ए. देती है और दूसरी तरफ इन थानों में एक आदमी को खाने के लिये छः आने दिये जाते हैं। आज इस मंहगाई के जमाने में छः आने से एक आदमी एक टाइम भी खाना नहीं खा सकता।

इसके अलावा भीलवाड़ा में जितने केस हुए हैं अगर एक एक केस की तरफ सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूं तो बता सकता हूं कि कितने अत्याचार वहां हुए हैं। पर इतना समय नहीं है। मैं सिर्फ एक-आध केस का जिक्र अवश्य करूंगा। १९५५ की २६ जनवरी के दिन जब कि वहां पर पांच हजार आदमियों के सामने आजादी का जलसा और खेलकूद हो रहे थे उस वक्त में वहां के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने वहां के राजनैतिक लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह उस पांच हजार की जनता के सामने उनको मारा पीटा और उनमें के तीन आदमियों को जेल में डाल कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमे लगाये गये और चालान उनका किया गया, उसकी मिसाल और जगह मिलना मुश्किल होगा। इसके बाद भी वह एस. पी. वहां मौजूद रहा ९–१० महीने तक। आई. जी. और होम मिनिस्टर के पास कई शिकायतें करने और सारा मामला रखने के बाद उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया, पर वे एस. पी. आज भी एस. पी. की जगह मौजूद हैं। उनको हटाया नहीं गया। उनके खिलाफ मुकदमे चले और वे मुकदमे वहां से इसलिये खारिज कर दिये गये कि उनका ट्रान्सफर हो गया था

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

और वे मुकदमे अदमपैरवी में खारिज किये गये।

इसके बाद एस. पी. गुप्ता आये। बीस पच्चीस हजार की डकैतियां और चोरियां हुई। पर आज तक एक का भी भीलवाड़ा में पता नहीं लगा। नन्दराय का मामला, वहां पहले डकैती हुई, फिर २५ हजार की चोरी हुई जिसका आज दिन तक पता नहीं।

अभी अभी बनेड़ा खास के पास में ओदासनगर के अन्दर बालक के घर से ८ हजार की चोरी हो गई। उसका आज दिन तक पता नहीं लगा।

इसी तरह इन थानों में न तो कोई भी आने जाने की व्यवस्था है न कोई सवारी उनके पास वहां है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो तीन तीन दिन तक उसकी लाश पड़ी रहती है इसलिये कि न तो थानेदार और न डॉक्टर वहां पहुंच पाते हैं। इसलिये जब तक इन छोटी-छोटी जगह के थानों को अच्छी तरह से विकसित और व्यवस्थित नहीं करेंगे, निगरानी के आदमी अच्छे नहीं रक्खे जायेंगे, आने जाने के लिये अच्छे साधन नहीं दिये जावेंगे तब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता।

आज महात्मा गांधी के अनुयायी कहलाने वाले लोग अगर पुलिस के अन्दर ५,३२,३७,०००) रुपये खर्च करें, जब कि महात्मा गांधी ने तो यह कहा था कि आजादी के बाद पुलिस जैसी कोई व्यवस्था सरकार के अन्दर नहीं होनी चाहिये, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि यह पुलिस नाम इतना बदनाम हो चुका है राजस्थान और देश भर में, कि इस विभाग का नाम पुलिस विभाग न रख कर वास्तव में सेवा विभाग रख दिया जावे तो बुरा नहीं होगा। इससे एक लाभ और होगा, इस विभाग में जितने अफसर लोग हैं उनमें हुकूमत की वही पुरानी नौकरशाही बू बुरी तरह से घुसी हुई है वह हटेगी इसमें परिवर्तन होकर सेवा करने की मनोवृत्ति उनमें पैदा हो जावेगी। इसलिये मैं गृहमन्त्री महोदय से, जिन्होंने अभी अभी काफी अच्छी बातें कही हैं, कुछ इस विभाग में सुधार करने की घोषणाएं भी की हैं, जिनका मैं जरूर स्वागत करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर पूरा ध्यान दें और जिस तरह से इस थोड़े से समय में इस बात का प्रयत्न किया है कि वे अपने विभाग में सुधार करने की कोशिश में हैं, वह कोशिश वे जारी रक्खें। अगर वे इस तरह बराबर आगे बढ़ते रहे तो काफी सुधार इसमें हो सकेगा।

मैं आशा करता हूं कि वे इसी तरह जेल में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज वहां तेल रोटी पर चुपड़ कर खिलाया जाता है। अगर वे इस विभाग में भी सुधार करने का प्रयत्न करेंगे तो इस जेल का भी भला हो सकेगा। यह मेरी आपसे अर्ज है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको भी अब जेल की जरूरत रहेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आज तो सब जगह जेल है, यह जेल नहीं, वह जेल सही।

Page No 94

श्री सभापति : श्री जयकिशन ।

श्री जयकिशन (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने सदन में कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहस सुनी और माननीय सदस्यों ने जहां कांग्रेस की हार का कारण पुलिस को बताया वहां यह भी बताया कि भू-राजस्व भी एक कारण था । तो पुलिस की व्यवस्था भी कारण और भू-राजस्व की व्यवस्था भी कारण और जो भी कटौती प्रस्ताव आये सभी ने हार का कारण इसे बताते हुए अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये ।

(४ म. प.)

परन्तु मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हर एक पार्टी से सम्बन्धित हैं--अशोक मेहता क्यों हारे, आचार्य कृपलानी क्यों हारे, कम्युनिस्ट पार्टी के डांगे क्यों हारे, और आपकी स्वतन्त्र पार्टी के मीनू मसानी खड़े नहीं हो पाये तो क्या यह भी पुलिस की वजह से ही नहीं खड़े हो सके और यह भी पुलिस की वजह से ही हारे होंगे ? पुलिस की व्यवस्था ने हमारे कांग्रेस के भी कई सदस्यों को हराया है और पुलिस की व्यवस्था आपको भी हराती है । यह भी मुझे नजर आता है । दूसरे मेरे अलवर से आने वाले भाई ने कहा कि हमने एक मिनिस्टर साहब को हराया है और उनके हारने का कारण यही है कि हमारी पुलिस ने वहां पर बहुत अत्याचार किये हैं । ऐसा कर शायद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों का खून और शायद वह भी किसी पूंजीपति से सांठगांठ करके यहां बने हुए हैं........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध से आपका कोई कटौती प्रस्ताव है क्या कि आचार्य कृपलानी क्यों हारे ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री जयकिशन : इसका कारण हो सकता है और सब को सोचना पड़ेगा । ठीक है हम सदन में इसलिये आये हैं, कि जो भी कटौती प्रस्ताव हम रखें उन पर हम अपने विचार रखें........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आप जवाब पेश कर रहे हैं–या क्या कर रहे हैं ?

श्री जयकिशन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव में यह रखना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए हमारी ट्रेज़री बेन्चेज के लोगों ने सुझाव रखे हैं और मैं भी रखना चाहता हूँ........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, अभी आपने फरमाया एक सदस्य के बारे में कि वे किसी पूंजीपति के सहारे से आये हैं तो बता दें कि वह कौन से सदस्य हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : अब भ्रम को रहने दो ।

श्री श्योपतसिंह : अलवर से मिनिस्ट्री में इनका ही नम्बर था।

श्री जयकिशन : तो थानों की सीमा निर्धारण के लिए मेरा सुझाव है जो मैं सभापति महोदय की मार्फत गृहमन्त्री महोदय को पेश करना चाहता हूं। जो थानों की सीमा निर्धारण की गयी है वह बहुत पुरानी है। उनमें कहीं कहीं एस. डी. एम. की कोर्ट्स पड़ती हैं और दो दो तहसीलें भी हो जाती हैं और किसी किसी का तो एरिया इतना लम्बा चौड़ा है कि उनके गांवों में चले जायें तो दो दो थाने और आ जाते होंगे। इसलिए थानों की सीमा–निर्धारण फिर से होनी चाहिए और वह कम्पैक्ट एरिया के अन्दर होनी चाहिए। थानों की जो संख्या है वह भी बहुत कम है क्योंकि एक हैडकॉन्सटेबल और सारजेन्ट हमेशा केसेज़ को लेकर कोर्ट्स में चले जाते हैं। थानेदारों को कहीं इन्वेस्टीगेशन के लिए चला जाना पतड़ा है और फिर इनके बाद ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर पुलिस थानों में नहीं रहते। इसलिए पुलिस की स्ट्रेन्थ को ज्यादा करना चाहिए, चाहे थानों की संख्या कम कर दें। तीसरा सुझाव है कि जितनी भी चौकियां हैं जितनी भी रोड्स हैं उनका एक काम है कि वह रात में चैकिंग करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट को। अब वह रातभर चैकिंग करेंगे तो दिन में सोते हैं। तो चौकियों को या तो ट्रान्सपोर्ट चैकिंग चौकियां रख दें ताकि लोग थानों से ही अपनी सहूलियत ले पायें। तो मैं यही सुझाव आपके सामने कटौती प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ........

श्री श्योपतसिंह : शिकायत तो आपको भी है।

श्री सभापति : श्री जगनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जपुयर) : इन सब की जगह श्री निरंजननाथजी आचार्य को बोलने दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : लेते हैं इसलिए मेरी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मौलवी साहब को भी चान्स मिल जायेगा।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापतिजी, मेरे मांग संख्या १२ के संबंध में ४ कटौती क प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है पुलिस में फैले हुए भ्रष्टाचार के संबंध में। तो जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान विधान सभा में १७६ सदस्य हैं जिसमें गृह मंत्रीजी भी शामिल हैं शायद सभी कहेंगे कि पुलिस में भ्रष्टाचार है....

एक माननीय सदस्य : नहीं वे नहीं कहेंगे।

श्री रामकिशन : लोक लाज और मर्यादा के कारण नहीं कहेंगे, बाकी निश्चित तौर पर अगर वे सदन के साधारण मेम्बर होते तो यह बात जरूर कहते कि पुलिस में

(श्री रामकिशन)

भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार भी इस हद तक है कि अब इस बात पर विवाद करना बिल्कुल बेकार है कि राजस्थान में थानेदार रिश्वत लेते हैं। एस० पी० और डी० एस० पी० रिश्वत लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय को ऐसी सूची सदन के सामने रखनी चाहिए कि कौन रिश्वत नहीं लेते हैं। मेरे खयाल में ५ एस० पी० या १५ इन्सपेक्टर भी वह ऐसे नहीं बता सकेंगे जो रिश्वत न लेते हों। तो अब यह जो रोग है यह कोई साधारण रोग नहीं है। इसलिए हम इस सारी जिम्मेवारी को पुलिस थानेदारों के ऊपर डाल दें तो अनुचित होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी कुछ ऐसे ढंग से सोचना पड़ेगा कि इसका कोई अच्छा सा हल निकल सके। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि मैं कुछ मामले सदन के सामने रखूं। नोम के थाने के थानेदार श्री विजयसिंह के खिलाफ मेरे पास ११० रिश्वत के मामले हैं। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी ने कहा था कि कुछ केसेज रखे जायें। इतने केसेज की शिकायत मेरे पास आई। अब पता नहीं इनमें से कितने केसेज सच्चे हैं और कितने नहीं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा लेकिन वहां के लोगों की भेजी हुई फाइल मेरे पास है, जिसमें इन सब मामलों का उल्लेख किया गया है....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मुझे दे दीजियेगा।

श्री रामकिशन : मैं दे रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : ११० की नहीं होगी।

श्री रामकिशन : एक ही बता देता हूं। १०९ बाद में बता दूंगा। इन थानेदार साहब ने फरीदखां नाम के मुजरिम से १,७३४) रुपये की बरामदगी की थी। लेकिन थानेदार साहब ने यह रकम खुद ही हजम कर ली और इसी तरह हर थाने के सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं जैसे आंकड़े जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे थे। उनसे मालूम हो जायेगा कि यह रोग बहुत ही गम्भीर हो गया और इस गम्भीर रोग को रोकने का एक ही उपाय है--एक ही रास्ता है। मैं चाहता हूँ कि जैसा गृह मंत्रीजी का आश्वासन है कि जिला और दूसरे मुकामों पर एक तरह से सलाहकार समितियां बनायेंगे और इससे सम्भव है कि कुछ रिश्वत रुके। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक बोर्ड बनना चाहिए जो डी० एस० पी० से लेकर गृह मंत्रीजी तक उनके पिछले दस साल की आमदनी और खर्चे को देखे। हम देखते हैं कि आज १००) रुपया पाने वाले का लड़का भी देहरादून में शिक्षा पाता है। ऐसे थानेदार जिनको १००) रुपये मिलते हैं उनके जयपुर में, कुम्हेर में, सांवर में बंगले बने हुए हैं। इसके अलावा और अब आप किस तरह के सबूत चाहते हैं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी १००) रुपये से ज्यादा की नहीं है पर उनके मकान ३०-३० और ४०-४० हजार के बने हुए हैं। अगर आप इस तरह का कोई बोर्ड बैठा दें आमदनी--खर्चे की जांच करने का--और फिर मंत्रीजी अपनी ओर से शुरुआत करायें। उससे यह लाभ होगा कि एक तो राजनीति स्पष्ट होगी और दूसरे लोगों को भी भय पैदा हो जायेगा। अगर यह हो जाता तो रिश्वत रुक सकती है वर्ना इसी प्रकार से कट-

(श्री रामकिशन)

मोशन्स आते रहेंगे, विधान सभा भी चलती रहेगी, मंत्रीजी भी जवाब देते रहेंगे और सदस्य भी आरोप लगाते रहेंगे, क्रम यही चलता रहेगा। पर रिश्वत नहीं रुकेगी। तो मेरी मांग यह है कि अगर पुलिस में से भ्रष्टाचार को नष्ट करना है, उसको समाप्त करना है तो एक निष्पक्ष बोर्ड बैठाना चाहिए जो डी० एस० पी० से लेकर मंत्रीजी तक की आमदनी और खर्चे को देखे, उनकी तनख्वाहों को ही नहीं देखे, बल्कि उनके खर्चों को भी देखे। अगर किसी के पास ज्यादा खर्चा है और दो सौ रुपया तनख्वाह मिलती है तो उससे पूछा जाये कि उनके पास आमदनी के जरिये इतने कहां से आ गये? इसी तरह से जहां तक पुलिस की रिश्वत का सवाल है, हम एक पक्ष को नहीं लेंगे उसका दूसरा पक्ष भी है। कुछ थानेदार तो रिश्वत लेने के लिए मजबूर भी हैं क्योंकि तनख्वाह उनको सौ रुपये मिलती है। डी० एस० पी० दौरा करते हैं महीने में दो एक बोतल शराब आ जाती है, एक दो मुर्गा आ जाता है तो तनख्वाह इसमें चली जाती है। तो फिर उनके बच्चों का क्या प्रबन्ध है? इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जहां जांच हो वहां पुलिस के किसी भी कर्मचारी, थानेदार की तनख्वाह कम से कम २००) रुपये माहवार की होनी चाहिये, क्योंकि हम जब आन्दोलन करते हैं तो वह हमें पीटते हैं और उधर जब वह ऑफिसर के पास जाते हैं तो वहां खुद पिटते हैं और फिर तनख्वाह १००) रुपया माहवार मिलती है। जयपुर शहर में किसी कॉन्सटेबल को मजिस्ट्रेट ने पीट दिया। उसका केस रजिस्टर हुआ है। लेकिन मामला अभी तक तय नहीं हुआ क्योंकि मैंने सुना है कि मजिस्ट्रेट साहब की पत्नि हमारे मुख्य मंत्रीजी के बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। पुलिस का सिपाही पिट गया और कोई फैसला नहीं हुआ।

एक मजिस्ट्रेट साहब की पत्नि जाती है माननीय मुख्य मन्त्री के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो दूसरे अफसरों की गृह मन्त्रीजी के घर चली जायगी। उनकी पत्नियां न जायें तो मामले साफ भी हो जाते। इन मामलों पर जरूर एक्शन लेना चाहिये और पुलिस जब तक ध्यान नहीं देगी, गृह मन्त्रालय जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक मामले में सुधार नहीं हो सकता। आज,तो एक्सीडेन्ट हो जाता है और पुलिस केस भी रजिस्टर नहीं करती है। १०—४—६२ का वाकया है कि बयाना-भरतपुर सड़क पर जिलाधीश की मोटर से एक्सीडेन्ट हो गया। मैं समझता हूं कि केस रजिस्टर ही नहीं हुआ। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी दवा-दारू का प्रबन्ध किया गया। लेकिन आज तक पुलिस ने चालान नहीं किया। यह सारी चीजें होती हैं। आज यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कार से कोई मर जायगा और उसका केस रजिस्टर नहीं होगा तो कल फिर कलेक्टर करेंगे, उसके बाद एस० डी० एम० करेंगे और फिर यही चीज करेगा तहसीलदार।

श्री मथुरादास माथुर : एम० एल०- ए० की कार का भी माफ करेंगे।

श्री रामकिशन : एम० एल० ए० के पास गाड़ी नहीं है। जिनके पास होगी उनका सवाल है। इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया जायगा तो स्थिति सुधर नहीं सकती।

(श्री रामकिशन)

इसी प्रकार से सी० आई० डी० का है जिन्होंने पिछले वर्ष तिजारा के किसी थानेदार के बारे में रिपोर्ट दी और मुअत्तिल करने और बर्खास्त करने के बारे में सुझाव दिया लेकिन एक भूतपूर्व मन्त्रीजी जो उस क्षेत्र से आये थे उन्होंने मामले को दबा दिया और कागज खराब हुए और वह वहां शान से कहता है कि फलां मन्त्री का दोस्त हूं और तीन-चार महीने में फलां मन्त्री से और दोस्ती लगाये लेता हूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : यदि ऐसी ताकत रखता है तो बड़ा बुलन्द है वह ।

श्री रामकिशन : आपको पता नहीं लगता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो कहते हैं, हम सुनते हैं ।

श्री रामकिशन : इन मामलों को गम्भीरता से लेना चाहिए ।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, पर समय पर बहुत बड़ी रोक हो चुकी है और गृह मन्त्रीजी भी काफी उत्सुक हैं । खैर, यह एक अच्छी व्यवहारिक चीज है वह उसका ही रूप है । पुलिस को जब तक पंचायतों के हाथों में नहीं देंगे, मैं समझता हूं तब तक मामला सुधर नहीं सकता । इसमें एक खतरा है । माननीय मन्त्रीजी कहेंगे कि सरपंच गड़बड़ करेंगे और थानेदार गड़बड़ करेगा तो मामला सुधरेगा कैसे ? ड़ेढ़ हजार वर्षों से ऊंची जातिवाले करते रहे तो महीना, दो महीना इन्हें प्रगति करने दो । मेरा सुझाव है कि जब तक राज्य-सत्ता विकेन्द्रित नहीं की जायगी और पुलिस पंचायतों और जिला परिषदों के आधीन नहीं की गई तो इस रोग का कोई इलाज नहीं हो सकता । छोटी-मोटी दवा देकर जैसे कि आप कमेटी बना रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार की शिकायत रहेगी । हम लोगों में से एस०-पी० कुछ लोगों को बना लेगा और मामला जहां का तहां रह जायगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसमें विश्वास है क्या ? कमेटी का होगा तो आपको बना देंगे ।

श्री रामकिशन : इसलिए इन मामलों में जब तक पुलिस पंचायतों के अधीन नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता । पुलिस को पंचायतों के आधीन करना चाहिए ।

इसी तरह से पुलिस के छोटे कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के रखने का मौका देना चाहिये । आज की हालत में आई० जी० पी० कैलाश पर बैठता है और सिपाही बैठता है पाताल में । दोनों में अन्तर इतना ज्यादा है । एक को ५०) रु० और दूसरे को १०,०००)रु० की सुविधाएं मिलती हैं । बेचारे पुलिस के कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकते । ऑफिसर यूनियन बना सकते हैं, मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं लेकिन सिपाही आ जायगा तो मंत्रीजी कहेंगे कि विभाग की बगैर मन्जूरी के कैसे आये ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कहेंगे ।

श्री रामकिशन : जब तक पुलिस के छोटे कर्मचारियों को यूनियन बनाने की सुविधा

(श्री रामकिशन)

नहीं दी जायगी तब तक वे अपनी वाजिब बातों को सरकार के सामने नहीं रख सकेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

२–३ मिनट नहीं हुए हैं और भी सुझाव हैं, साहब। उसका ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी, एक रिपोर्ट चलती है, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट। उस पर थानेदारों का प्रमोशन होता है। कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट क्या है? प्रमोशन की स्थिति यह है कि २०–२० साल के थानेदार हैं उनको तरक्की नहीं है और २-२, ३-३ साल के जो थानेदार हैं उनकी कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट के आधार पर तरक्की दी जाती है। कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट वाला मामला मंत्रीजी जरूर देखेंगे और वे उन थानेदारों के साथ में न्याय करने की कोशिश करेंगे। इन छोटे कर्मचारियों को बराबर पीछे की लिस्ट में डाल दिया जाता है।

एक सुझाव यह भी है कि सीधे आर०-पी० एस० की भर्ती करते हैं तो डिपार्टमेन्ट के लोगों को प्रमोशन दिया जाय, ताकि वे काम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। जहां तक कांग्रेसियों के नाते-रिश्तेदारों को भरने भराने का सवाल था वह राजस्थान में काफी फायदा ले चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : अब आपका बाकी है।

श्री रामकिशन : इसमें ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है।

विभाग के लोगों को तरक्की दी जायगी तो विभाग के लोग जो तरक्की पाकर आते हैं अच्छा काम करते हैं। उनका अनुभव ज्यादा होता है।

एक बहुत बड़ी दिक्कत वास्तव में यह है कि कलेक्टर के लिए मंत्रीजी की नीति यह है कि वह अपने हाथ में सारी सत्ता रखता है। उसमें लिखा है कि पुलिस की आम निगरानी कलेक्टर साहब करेंगे। उसका नतीजा यह रहता है कि एस०पी० व कलेक्टर में हमेशा ही चलती रहती है; कौन सीनियर है, कौन जूनियर है और कौन किस के आधीन है। कभी कभी तो ऐसे मामले आते हैं कि कलेक्टर कहता है कि मेरी चलनी चाहिए और एस०-पी० साहब कहते हैं कि मेरी चलनी चाहिए। अभी बिहार पुलिस कमीशन, पंजाब पुलिस कमीशन और उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन ने कहा है कि कलेक्टर के अन्डर में एस० पी० को नहीं रखना चाहिए। उसको स्वयं को निर्णय लेना चाहिए। अगर जानकारी करना है तो मंत्रीजी गृह विभाग के दूसरे हिस्सों से जांच कर सकते हैं। इस तरह के मामले उनके आधीन करने से..........

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस०पी० रिपोर्ट किसको करेगा?

श्री रामकिशन : मेरा काफी टाइम तो आचार्यजी ले लेते हैं।

इस तबके का ध्यान रखना चाहिए।

और इसके अलावा खास तौर से चूंकि यह हमारी समाजवादी सरकार है उससे विशेष असर नहीं पड़नेवाला है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो सुविधाएं

(श्री रामकिशन)

मिलती हैं वे कम कर दी जायं । पुलिस के सिपाही को मिलते हैं ५०) रु० और आई०–जी०पी० को १०,०००) रु० तनख्वाह की मैं बात नहीं करता हूं, कार, कोठी, टेलीफोन वगैरह के मिला कर १०,०००) रु० माहवार इन्सपेक्टर जनरल पर खर्च हो जाते हैं । गृह मंत्रीजी समाजवाद की बातें करते हैं, रात–दिन समाजवाद, समाजवाद चिल्लाते हैं लेकिन आई. जी. और पुलिस के मामूली कर्मचारी में कितना फर्क है ? किसी भी पुलिस के बड़े कर्मचारी पर खर्चा १,०००) रु० से ऊंचा नहीं होना चाहिए। १००)रु० और १,०००) रु० का अन्तर जब तक नहीं बना दिया जायगा तब तक पुलिस के सिपाही का गौरव नहीं बढ़ेगा। इन्सपेक्टर जनरल और गृह मंत्रीजी का गौरव तो वैसे ही कार में निकल जाते हैं तो सारा बाजार सलाम बोलता है । जब सिपाही का गौरव बढ़ेगा तो उसमें नैतिक साहस आयेगा और देश के निर्माण में ज्यादा साहस के साथ भाग ले सकेगा।

इन सब बातों के लिए सुझाव रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी उस पर ध्यान देंगे। एकाध काम जिनको क्रान्तिकारी कहा जा सके करें, कमेटी बनाने से काम नहीं चलने वाला है। उस कमेटी से हम जैसे २–४ लोगों का फायदा हो सकता है, जैसा कि अभी कहा है कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कि हम जैसे लोगों का महत्व उससे बढ़ जाय, लेकिन आम भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं होगी। फिर दूसरा है कि आई०जी०,एस०पी०, डी०एस०पी० के ऊपर खर्चे की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा सु.): माननीयसभापति महोदय, मेरा कटौती–प्रस्ताव है खैरवाड़ा-सराड़ा तहसीलों में कत्ल के मामलों में पूरी जांच नहीं होने की बाबत । चन्द दिनों पहले, साल, दो साल पहले एक कत्ल करावाड़ा में हुआ, कलाल की औरत को तलवार से मार दिया और कलाल पर भी तलवार लगा दी गई। वहां पर उस औरत को काट डाली और उस मामले में पुलिस ने जांच की, सब कुछ किया; लेकिन जब एक थानेदार उस मुल्ज़िम के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा था तो उस थानेदार को वहां से हटा दिया गया । बाद में दूसरा गया तो उसने उस मामले को बिगाड़ दिया, सारे कागज़ात बिगाड़ दिये । वह केस खराब हुआ। जब वह आदमी अदालत में आया तो कुछ असें तक रहा और फिर वह आदमी छूट गया। उसका हौसला और आगे बढ़ गया। वह बहुत कुछ लोगों को डराता रहा, धमकी देता रहा कि हम और भी इस तरह से करते रहेंगे।

इसी प्रकार से एक छानी में भी हुआ। एक राजपूत ने बन्दूक से महाजन को मार डाला। वह केस बना। लेकिन फिर भी वे कामयाब नहीं हुए। या तो पुलिस की अच्छी कार्यवाही नहीं होती है या आगे खामी रह जाती है, जिससे वे इस तरह से छूट जाते हैं। यह सबूत है कि उस आदमी ने महाजन को मारा है, लेकिन जब तक उसकी सही कार्यवाही नहीं हो तब तक उसको सजा नहीं हो सकती है। उस महाजन के मामले को लेकर एक दूसरा आदमी उसकी गवाही देने को तैयार हुआ और जिस वक्त वह गवाही देने के लिये जानेवाला था उसी समय उसके लड़के को मार दिया गया। यह अभी अभी की ताजी

(श्री देवीलाल मीणा)

बात है। जिसने उसके लड़के को मारा उसके लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यह मेरा निवेदन है कि यदि कोई कत्ल करता है और यह साबित हो जाता है कि उसने मारा है तो उसको सजा मिलनी चाहिये।

एक साल पहले सराड़ा तहसील झाडोल में एक पटेल को मार डाला। उसकी जांच की गई। उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था। उस समय मारनेवाले का पता नहीं लगा। बाद में जाकर गांव के लोगों के सहयोग से पता चला। वह आदमी पकड़ा गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ठोस नहीं हुई। इसलिये वह छोड़ दिया गया। दोषी आदमियों को सजा नहीं मिलती है तो लोगों का हौसला बढ़ता है। रिश्वत देकर छूट जाते हैं या और किसी तरह से छूट जाते हैं, यह तो अधिकारी लोग ही जानते हैं जो छोड़ने वाले हैं।

दूसरा एक किस्सा और बताना चाहता हूं। यदि कोई अच्छा आदमी चोरी करता है तो वह छोड़ दिया जाता है लेकिन यदि कोई मामूली आदमी या आदिवासी चोरी करता है या गरीब आदमी चोरी करता है तो जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ केस बना कर उसका चालान किया जाता है और उसको सजा मिल जाती है। दूसरा अच्छा, इज्जतदार आदमी चोरी करता है तो उसका चालान नहीं करके छोड़ दिया जाता है। एक सेमारी के पास का किस्सा है। बामीना थाने में वह एक आदिवासी का एक बैल चोर कर सेमारी लाया। थाने में उसके खिलाफ केस पड़ा है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस तरह के मामलों में माननीय गृह मन्त्रीजी ध्यान देकर ठीक करें। गरीब, अमीर का ध्यान न रखें। अमीर इस तरह से छूट जावें और गरीब मामूली केस में पकड़े जायें और उनको सजा मिले; यह अन्याय नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द (कटूमर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है लक्ष्मणगढ़ सर्किल में पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्तर-दायित्व निभाने में असमर्थ रहने पर बहस करने के लिये।............

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कांग्रेस पार्टी के होकर भी शिकायत करते हो क्या ?

श्री गोकुलचन्द : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यदि अच्छी तरह से ध्यान दें तो पता लगेगा कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें बहुत स्पष्ट कहा है, उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ रहने के प्रश्न पर बहस करना चाहता हूं।

मैं सबसे पहले पुलिस की कुछ कर्त्तव्य परायणता और बहादुरी देखने को मिली है, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के भाषण इस प्रजातंत्र के युग में पुलिस की बड़ी भारी जिम्मेदारी होते हुए यहां पर दिये जायं कि पुलिस विभाग को नहीं रखा जाय। उनके उत्तरदायित्व को न समझ कर उनके पीछे पड़ जांय तो इससे विरोधी लोगों का ही भला हो सकता है, जो मजदूर और किसानों के भले की बात करते हैं या संगठन बनाने की बात

(श्री गोकुलचन्द)

करते हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जो गुंडों को बचाने की बात करते हैं।

श्री गोकुलचन्द : कांग्रेस ही ऐसी संस्था है जो सारे वर्ग को साथ लेकर चलती है। उसने सब को सुविधा दी है। यदि आज विरोधी दल की मंशा पूरी हो जाय तो शासन इस सूरत में नहीं रह सकता, गुंडों का बोलबाला हो जाय, चोरों और डाकुओं की बन जाय। मैं कहता हूं कि पिछली बातें मेरे ध्यान में हैं। अस्पृश्यता निवारण से पूर्व कितने ही प्रहार गांवों में हरिजनों ने सहे हैं। हरिजनों की औरतों को जेवर पहिनने की छूटन हीं थी, हरिजनों को बड़े बड़े मकान बना कर रहने की छूट नहीं थी। उनको अच्छा खाना खाने की छूट नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की छूट नहीं थी उन पर समाज के ठेकेदारों ने और दूसरों ने किस प्रकार के अत्याचार किये हैं? अजमेर जिले की बात मुझे याद है। राजगढ़ तहसील, जिला अलवर की बातें मुझे याद हैं। यदि पुलिस सावधान नहीं रहती तो कितने ही हरिजनों के साथ अत्याचार होते और कितने ही कत्ल होते। आज समाज के ठेकेदारों का कांग्रेस के राज्य में पहले जैसा जोर जबर नहीं है। इसलिये मैं कहता हूँ कि पुलिस के अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिये। आज यदि कहीं डाका पड़ता है या चोरी होती है तो डाकुओं और चोरों को पकड़ कर सजा दी जाती है। वहां पुलिस ही काम आती है, नेतागिरी काम नहीं आती है। वहां तो डंडा और पुलिस दोनों ही काम आते हैं। मैं जानता हूँ कि आज कितने ही आदमी थानेदारों पर प्रभाव डालते हैं। आज पुलिस में यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका बहुत कुछ दोष राजनैतिक पार्टियों पर है।

श्री श्योपतसिंह : सबसे ज्यादा दोषी आप ही की पार्टी है....

श्री गोकुलचन्द : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये।

एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि पुलिस के सिपाहियों को थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, कर्त्तव्यपरायणता नहीं है। यह बात ठीक है कि पुलिस को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। पुलिसवाले गोली खाते हैं, डाकुओं का मुकाबला करते हैं....

एक माननीय सदस्य : चुनाव में मदद करते हैं।

श्री गोकुलचन्द : चुनाव की बात मैं इस प्रकार नहीं मानता हूं कि यदि पुलिस की व्यवस्था नहीं होती तो लोग अपनी संगटन शक्ति से बैलट बक्सों को ही लेकर भाग जाते यह पुलिस के डंडे की ताकत की ही बात है कि चुनाव इतने शान्तिपूर्ण ढंग से हो गये....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order sir. आपने जो शब्द यूज़ किये हैं, "पुलिस के डंडे को ताकत की ही बात है" ये शब्द एक्सपन्ज होने चाहिये, क्योंकि पुलिस के डंडे का वर्णन न तो कानून में ही है, न सदन में ही होना चाहिये। इसलिये सदन की कार्यवाही में से ये शब्द निकाल देने चाहिये।

श्री गोकुलचन्द : 'पुलिस के डंडे' का मतलब व्यवस्था से है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लगता है, कांग्रेस के लोगों को पुलिस के डंडे पर बहुत भरोसा है। लेकिन उस डंडे का स्थान न तो कानून में है, न सदन की कार्यवाही में होना चाहिये।....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): 'पुलिस के डंडे' का मतलब है "Rod of Justice"

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप शायद हिन्दी नहीं समझते या अंग्रेजी नहीं समझते। मुझे तरस आता है आप की बुद्धि पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे भी आपकी बुद्धि पर तरस आती है।

श्री गोकुलचन्द : पुलिस के डंडे....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, इस पर मैं रूलिंग चाहता हूँ, आया डंडे की तारीफ इस तरह से की जा सकती है या नहीं?

श्री सभापति : Order please!

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं, आया आपने ये वर्ड्स एक्सपंज किये हैं या कायम रखे हैं?

श्री गोकुलचन्द : माननीय सदस्य ने आपत्ति की है, लेकिन मेरा जवाब तो सुन लीजिये।....

एक माननीय सदस्य : जवाब तो मिनिस्टर साहब का सुनेंगे लेकिन आप अपनी बात कहिये।

श्री गोकुलचन्द : मैंने यह कहा है, आप धीरे धीरे रीजन सुनते हैं, पुलिस डंडा मारती है, पुलिस के पास कानून का डंडा है। पुलिस हवालात में बैठा सकती है, पुलिस सजा करवा सकती है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह तो हम भी जानते हैं, आपको उसका डर नहीं है।

श्री गोकुलचन्द : आपको भी करवा सकती है, हमको भी करवा सकती है। ज्यादा और मैं विशेष जोर इस बात पर देना चाहता हूँ........

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, आपका कटौती प्रस्ताव है लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व न निभाने के बारे में, लेकिन आप अपने कटौती प्रस्ताव पर न बोल कर उससे बिलकुल दूर जा रहे हैं।

गोकुलचन्द : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : माननीय सदस्य इस बीमारी के मरीज हैं।

श्री गोकुलचन्द : सभापति महोदय, इस प्रजातन्त्र के युग में जो पुलिस अपनी कर्त्तव्य-परायणता के कारण चोरियां और डकैतियां कम कराने में सफल हो रही है उसकी प्रशंसा सभी को करनी चाहिये। अब मैं

(श्री गोकुलचन्द)

आपको जैसा कि पहले कहा है, कुछ राजनैतिक पार्टियां या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति अपने प्रभाव में पुलिस को लाकर कुछ अनुचित कार्य करवा लेते हैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ ....

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गोकुलचन्द : अब मैं उस पर आ रहा हूँ, जिसके लिए प्रस्ताव रखा है। मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका एक गांव समूची है। उस समूची गांव में एक रामसिंह नाम के राजपूत रहते हैं। उनके साथ वहां के कुछ लोग एक गिरोह बना कर जुल्म कर रहे हैं। वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वह यह है कि तारीख ४-५-६१ को यह वाकया हुआ, वह काश्तकार है और उसका चने का खेत खड़ा हुआ था। उसकी जो चने की रास पड़ी हुई थी, उस चने की रास को उसकी मौजूदगी में लूट कर ले गये। उसका केस रजिस्टर किया। आप देखिये, यह ४-५-६१ की बात है लेकिन आज तक चालान पेश नहीं हुआ....

श्री श्योपतसिंह : यह पुलिस करती है, जिसको आप तारीफ कर रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द : मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उसमें किसी विरोधी पार्टी का हाथ होगा। थानेदार साहब प्रभाव में आ गये होंगे। क्योंकि उनकी मुश्किल है। इसलिए मैं उनकी तरफ, सभापति महोदय, यह मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस मामले में देखना चाहिए।

एक घटना और हुई कि पन्द्रह, सौलह जून की रात को, जून का महीना था, १९६१ में, उसके यहां पर गैर कानूनी शराब रख दी गई उन्हीं दुष्टों के द्वारा, जो उसे तंग कर रहे हैं। उसके बाद उसको मरवाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद विरोधी गये, पुलिस में गये और पुलिस में इन्क्वायरी करने के लिए केस चालान कर दिया। आप वहां पर जांच करवा कर देख लें। उस गांव के आदमी जानते हैं कि वहां ऐसे तत्व काम कर रहे हैं जो उसको मरवाना चाहते हैं....

श्री जोधसिंह : विरोधी कौन, पुलिस ?

श्री श्योपतसिंह : xxxx

श्री गोकुलचन्द : मेरी जीभ में पत्थर पड़ जायें, अगर मैं गलत कहता होऊं....

श्री श्योपतसिंह (गिरवा) : किसी ने बहकाया है।

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री गोकुलचन्द : मैं वहां से जीत कर आया हूँ। मैं इस बात का दावा करता हूँ, आप जांच कर लें। मैंने वहां जाकर पुलिस को कह दिया कि मैं तुम्हारे बलबूते पर चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। और अन्त में वही सरपंच वहां जीता, जिसका समर्थन मैंने किया था....

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री श्योपतसिंह : सरपंचों के वोट से जीते हैं।

श्री गोकुलचन्द : मैं अपने बल से जीता हूँ, जनता के बल से जीता हूँ। जनता का बहुमत मेरे साथ है।

तो मैं यह कहूँगा कि इस मामले की सुनवाई की जाय।

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण करें।

श्री गोकुलचन्द : तीसरा केस यह है कि अभी....

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री गोकुलचन्द : एक मिनट में समाप्त कर देता हूँ।

अभी मार्च के महीने में, एक महीने पहले उसकी ४० गाड़ी सरसों खलिहान में पड़ी हुई थी। उसमें आग लगा दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह देखा पुलिस का कारनामा।

श्री गोकुलचन्द : हमें पता है, जो आग लगा गये....

श्री श्योपतसिंह : अभी दो मिनट पहले यह कह रहे थे....

श्री गोकुलचन्द : केस पुलिस में दर्ज कर दिया, उनकी जमानत हुई, लेकिन वह आदमी इसलिए भयभीत है कि पहले जो फसल को उठाकर ले गये थे, उसका चालान अभी तक नहीं हुआ था। ये आप अन्दाज लगाइये चालीस गाड़ी सरसों का मतलब होता है साढ़े तीन हजार की रकम। वह गरीब आदमी है, उसने कहा कि मैं जयपुर आऊं, आई.जी.पी. को कहूँगा, होम मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया है, इन विरोधियों को भी देखेंगे....

श्री श्योपतसिंह : विरोधी कौन है, पुलिस है, कौन है ?

श्री गोकुलचन्द : पार्टी विरोधी है।

श्री जोधसिंह : कौन से विरोधी ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : कांग्रेस में दलबन्दी है। कांग्रेस में आपस की बात कह रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द : मेरा विशेष निवेदन है कि वह बहुत ही दुःखी है। (घंटी) अगर गांव में इस तरह के अन्यायियों पर काबू नहीं पाया जाता है और उनको सजा नहीं होती है, तो गांवों में दिक्कत बढ़ती है और गांव की जनता भयभीत होती है। मैं आप से विशेष निवेदन करूंगा कि गोविन्दगढ में एक कस्बा हरसोली है। वहां का जो सरपंच है उस सरपंच के खेत में आग लगा दी और ५० गाड़ी सरसों जला दी। हरसोली का पंच तीरथमल है, जो शरणार्थी है, उस सरपंच की पचास गाड़ी सरसों किसी ने जला दी। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं उनसे आपको दबना नहीं चाहिये लेकिन साथ ही कर्त्तव्य परायणता में भी कमी नहीं आनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह : माननीय सदस्य निवेदन कर रहे हैं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान न दें।

श्री गोकुलचन्द : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : श्री मथुरेश बिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग पर चल रही बहस के दौरान में अपने इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मैं भी इस विभाग में चल रही रजिस्टर्ड केसेज़ की अनियमितता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विभाग की अव्यवस्थाओं के विषय में, करप्शन के विषय में इस सदन के अन्दर काफी चर्चाएं हुई हैं। इस विभाग की रजिस्टर्ड केसेज़ की अव्यवस्था का यह हाल है कि केसेज़ एक तो रजिस्टर करने में इन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। रिटन रिपोर्ट दी जाती हैं उनको भी दर्ज नहीं किया जाता है और दर्ज किया जाता है तो रजिस्टर करने के बाद, चाहे वह रोजनामचे में रजिस्टर हो जाय, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए और उन अधिकारियों को सक्रिय बनाने के लिए जब तक दूसरे हथियार काम में नहीं लाये जाते तब तक केवल केस रजिस्टर्ड ही रहता है। रजिस्टर हो जाने के बाद भी उसके अन्दर चालान पेश करने के के लिए कोई आज्ञा का सवाल ही नहीं है, वर्षों तक वे रजिस्टर्ड केस पड़े रहते हैं। उनके लिए ध्यान दिलाया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जब कि रजिस्टर्ड केसेज़ के संबंध में जो फीगर्स हैं, जो आंकड़े आपके यहां मौजूद हैं और जो साइन बोर्ड होता है, जो नक्शा-मामलात हर थाने में रखा रहता है वह इस बात का द्योतक है, वह बतलाता है कि आपके यहां के रजिस्टर्ड केसेज़ की और चालान के परसेन्टेज के अन्दर क्या हालत है। इसके लिए आपके यहां अनेक कारण भी हैं रजिस्टर्ड केसेज़ में इनएफिशियेन्सी के। उन केसेज़ के अन्दर, जैसा अभी बतलाया गया, आपके इस विभाग के अन्दर उन क्रिमिनल्स को, उन केसेज़ को डिटेक्ट करने के लिए मीन्स भी आपके यहां उपलब्ध नहीं हैं। केवल पुलिस विभाग में, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, पुलिस का डंडा ही रह जाता है। आज जब कि इतनी प्रगति हो चुकी है, उन केसेज़ को डिटेक्ट करने के लिए, डिक्टेशन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं और न उपलब्ध किये जाते हैं। थाने के अन्दर वायरलेस का इन्तजाम नहीं है, थाने के अन्दर डिटेक्टिव पुलिस के लिए साइन्टिफिक मैथड्स और दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं और इन बहुत से कारणों के कारण ही से डिटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड केसेज़ का जहां तक सवाल है, उसको चालान करने में भी दिक्कत बताई जाती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरे जो आपके यहां, की ट्रांसफर की पॉलिसी है, जो अधिकारियों के ट्रांसफर की पॉलिसी है, वह भी रजिस्टर्ड केसेज़ के अन्दर चालान पेश करने में और इनएफीशियेन्सी का एक बहुत बड़ा कारण मेरे खयाल से है। एक अधिकारी को उस इलाके के अन्दर वाकफियत नहीं हो पाती कि एक-एक साल में, एक-एक महीने के अन्दर तीन–चार जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर किस तरह वह अपने इलाके से वाकफियत करे, क्रिमिनल्स से वाकिफ हो और वह उनके अन्दर वाकफियत करके क्रिमिनलों का इन्तजाम करे? यह पॉलिसी है, यह आज इस हद तक पहुँच गई है कि

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसमें कोई सुधार करने की ओर जब तक आप कोई ध्यान नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलने-वाला है। इसी तरह से मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन भी थाने में होने चाहिये क्योंकि अनेक इलाके इतने बड़े हुए हैं और उनमें कोई मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेश के नहीं हैं। एक तरफ तो जैसे सदन के सामने सवाल आये, उनकी तनख्वाह में कमी और फिर उनके भत्तों में मिलने में देरी और फिर जो रजिस्टर्ड केसेज़ हैं उनकी तफतीश के लिए उनके पास किसी तरह के साधन नहीं हों, जिससे कि वे फौरन मौके पर जाकर कार्यवाही कर सकें। पुलिस की इन दिक्कतों के साथ में आपके सामने यह बतलावें कि आज क्या हालत है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद के टाइम पर एक केस की तरफ, मेरे क्षेत्र के केस की तरफ तवज्जोह दिलाई थी। उस रोज मैंने बताया था कि चांदीकुई के अन्दर जीप से उतार कर कुछ बच्चों के छुरा मारा गया। उसका केस रजिस्टर हुआ, उसमें तफतीश हुई। जो एस० एच० ओ० था उसको मुलजिम मय छुरे के पकड़ाया गया। उस एस.-एच.ओ. से मुलजिम को छोड़ देनेके आरोप पर तफतीश छुड़वाई गई, लेकिन आज इस सदन में मेरे कहने के बाद और उसके फैक्ट्स मंगाने का आश्वासन देने के बाद नतीजा यह हुआ कि वापिस वह केस उसी एस.एच.ओ. के पास पहुंच गया और अब वह अपनी फाइल में कम्प्लीट इन्क्वायरी होने के बाद प्राइवेट पत्रों के साथ में लिये फिरते हैं और चालान देने की कोशिश नहीं करते। अगर वे इस केस को गलत समझते हैं और इसको गलत मान लिया है तो इसका फाइनल क्यों नहीं देते हैं ? यह हालत है आपके एस. एच. ओ. की, आपके आदेशों की अवहेलना करने की। यह मैंने एक दृष्टांत के रूप में आपके सामने रखा है और मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय मन्त्री के फैक्ट्स मंगाने के बाद और आश्वासन देने के बाद में भी कोई उसका चालान नहीं होता है या रिपोर्ट नहीं होती है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इसी तरह से चोरियों की रिपोर्ट भी आपके यहां दर्ज नहीं होती हैं और अगर दर्ज होती है तो उसकी तफतीश उसी वक्त चालू होती है अब तक उनको सक्रिय बनाने के साधन नहीं बनाये जाते। इसलिये मैं माननीय गृह मन्त्री से आपकी ओर से अर्ज करूंगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दें और पता लगावें कि कितने केसेज़ रजिस्टर होते हैं और उनमें से कितनों का चालान पेश होता है और कितनी अवधि में। तो आपको मालूम होगा कि बहुत कम परसन्टेज केसेज़ का रजिस्टर्ड होता है और बहुत कम केसेज़ में चालान किया जाता है। यद्यपि यह बात सही है कि उनको कुछ डिफिकल्टी होती है लेकिन उन केसेज़ को छोड़ दीजिये जिनमें उनको जिनाइन डिफिकल्टी होती है; मगर इसके साथ साथ यह भी देखा जावे कि जो नकबजनी के केसेज़ हों उनमें पूरी कार्यवाही होनी चाहिये। इन केसेज़ को सालों तक पड़ा रखना और सालों तक इनका फाइनल नहीं देना कहां तक वाजिब है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड केसेज़ के बारे में मैंने कहा। मैं यह भी गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि प्रोसीक्यूशन और इन्वेस्टीगेशन को अलग अलग रखा जावे। इनको अलग

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

अलग करने से इसमें काफी सुधार हो सकता है। आज एक ही एस. एच. ओ. जो थोड़े दिन पहले इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर का काम करता था दूसरे दिन पैरोकार बन कर चला जाता है और वही उस मामले की पैरोकारी अदालत में करता है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि इन्वेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन पुलिस के अन्दर में होने के कारण कोई पैरोकार उसकी जांच नहीं करता; बल्कि जो इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर ने कर दिया उसको सपोर्ट करता है और एक दूसरे को एकोमोडेट करने की चेष्टा करते हैं। इसलिये यह प्रोसीक्यूशन की शाखा इन्डिपेन्डेन्ट शाखा रखनी चाहिये और इन्सपेक्टर प्रोसीक्यूशन को कोर्ट के अधीन रखना चाहिये।

इसलिये मैंने यह सुझाव रखे हैं और मेरे इन सुझावों की ओर ध्यान देते हुए इसको भलीभांति चलाने के लिए सक्रिय कदम उठायेंगे।

(४. ३६ म. प.)

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (सीमान्त प्रदेश में कार्य करने वाले सिपाहियों को अतिरिक्त भत्ता देने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने हेतु) है।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आवाज सुनाई नहीं देती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा ठीक तरह से बोलें, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री फतेहसिंह : सीमान्त प्रदेश में कार्य करने वाली पुलिस को डकैतों और दूसरे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है और जो लोग डकैती करते हैं और दूसरे लोग जो सीमा पर इधर उधर आते हैं और चोरियें करते हैं उनके पास हर तरह के साधन होते हैं। उनके स्पेशल सवार रहते हैं। हमारे यहां सिपाहियों के पास सिवाय बन्दूकों के कोई दूसरा साधन नहीं है वे भी अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा उनके पास ५० या ६० कारतूस रहते हैं। अपोजिट पार्टीवालों के पास अच्छी बन्दूकें और बहुत से कारतूस होते हैं। इसलिए हमारे बोर्डर की रखवाली करनेवालों के पास पूरे साधन होने चाहिये। आपको पक्की चौकियें बनानी चाहिये उनमें सुतर सवार रखे जावें और जितने सुतर सवार हैं उससे दूने रखे जाने चाहिये। अफसर लोग आराम से बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, इसलिये उन लोगों का डबल भत्ता करना चाहिये। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बात मामूली बात नहीं है। बोर्डर पर रहते हैं वे इस बात को जानते हैं कि किस तरह से उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है और बोर्डर पर हरकतें दिनों दिन बढ़ती जाती हैं और यह कोई शांति नहीं कह सकते। यह खतरनाक चीज है। इसलिये सरकार हमेशा बोर्डर पर जवान और होशियार सिपाहियों को डबल भत्ता देकर रखे ताकि राज्य और पब्लिक दोनों की सेफ साइड रहे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष

(श्री कुमारानन्द)

महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं और दोनों कटौती के प्रस्ताव एक दूसरे से भिन्न हैं। पहला मेरा प्रस्ताव यह है कि मजदूरों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से अन्याय हो रहा है। करप्शन, हम अंग्रेजों के राज में कहते थे, करप्टेड गवर्नमेंट थी और आज भी हम कहते हैं करप्टेड गवर्नमेंट है। अब हम को यह देखना चाहिये कि एक गवर्नमेंट करप्टेड गवर्नमेंट कैसे है और क्यों है। किसी भी गवर्नमेंट को समझने से पहले हमको गवर्नमेंट का क्लास करेक्टर क्या है, वह जानना बहुत जरूरी है। जब तक उस गवर्नमेंट का क्लास करेक्टर नहीं समझेंगे तो हम अच्छी तरह से गवर्नमेंट का करप्शन के लिये मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सोशियलिस्ट गवर्नमेंट, समाजवादी सरकार। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हमारे बहुत से प्रगतिशील साथी भी कहते हैं हमारी सरकार समाजवादी सरकार है, वह समाजवाद की तरफ जा रही है और समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। हमें यह बात देखनी है। नेहरू कहते हैं कि हम समाजवाद चाहते हैं, बहुत से कांग्रेसी नेता भी कहते हैं कि हम समाजवाद चाहते हैं लेकिन क्या गवर्नमेंट समाजवाद की तरफ जा रही है, यह बात देखनी है। इसलिये मैंने कहा कि किसी गवर्नमेंट को समझने से पहले उस गवर्नमेंट का क्लास करेक्टर जानना चाहिये। आज यह सरकार है क्या? क्या यह समाजवाद की तरफ जा रही है? जो गवर्नमेंट टाटा, बिड़ला, डालमियां बड़े बड़े राजा महाराजा, इनके हाथों में बिकी हुई है, वे चाहे हमारे दाहिनी हाथ की तरफ हों, चाहे हमारे बायें हाथ की तरफ हों। हमने पहले भी कई बार कहा कि हमारे दाहिनी तरफ भी राजा, महाराजा, सेठ साहूकार हैं हमारे बायें तरफ भी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार हैं....

एक माननीय सदस्य : पीछे भी हैं।

श्री कुमारानन्द : पीछे भी होंगे।

एक माननीय सदस्य : बीच में भी हैं।

श्री कुमारानन्द : बीच में हैं सो हम जानते हैं। आप सुनना चाहते हैं तो बता सकता हूँ। हमारे एक भाई कहते थे कि अगर कांग्रेस नहीं होगी तो देश का उद्धार नहीं हो सकता, कांग्रेस के बिना देश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। मैंने पिछले १० साल से चुनौती दी है, छोड़ दो गद्दी, हम संभालने को तैयार हैं और अच्छी तरह संभालने को तैयार हैं, भुखमरी और बेकारी को दूर करने के लिये तैयार हैं। देश में बेकारी, है लिखे-पढ़े शिक्षित नौजवान आज लाखों की तादाद में बेकार हैं, उनकी प्रोब्लम को दूर करने को हम तैयार हैं, भुखमरी को दूर करने को तैयार हैं, पर अन्डर दी प्रेजेन्ट कॉन्स्टीट्यूशन नहीं, मौजूदा विधान है उसके मातहत नहीं। इसीलिये मैंने कहा कि किसी गवर्नमेंट को जानने से पहले, उस गवर्नमेंट का क्लास करेक्टर क्या है, यह जानना चाहिये।

आज का हमारा विषय है मजदूरों का, मजदूरों के बारे में विषय है। पिछले वक्त सरकारी कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी तो नेहरू कहते थे, देश में इन्कलाब आ गया है, हमारी सरकार नहीं टिकेगी। और जब कि हमारी कांग्रेस के वालेन्टियर जो समाजवाद का दम भरते हैं, हमारी कांग्रेस के सिपाही,

(श्री कुमारानन्द)

सिपाही माने पल्टन नहीं, कांग्रेस वॉलेन्टियर्स, भारत सेवक समाज, कांग्रेस का पूरा संगठन इस आन्दोलन को क्रश करने के लिये, दबाने के लिये लगा हुआ है तो इससे हमको जानना चाहिये कि यह गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है और कैसी गवर्नमेंट है।

ब्यावर में जहां मैं रहता हूँ वहां १९६० की ६ अगस्त को जबरदस्ती तीनों मिलों में वर्क लोड लादा। वर्क लोड मजदूरों में लागू हुआ। कई लोगों को मालूम नहीं कि वर्क लोड क्या है। मिनिमम वेजेज कमेटी का फैसला था, जो बिल्कुल हमारे खिलाफ था। हिन्दुस्तान में कभी किसी जगह ऐसा फैसला नहीं था। उनके मन के मुताबिक वर्क लोड लादा गया और जबर–दस्तीपुलिस के जोर से लादा गया। पुलिस ने मजदूरों को बाल पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर, हड़ताल करते थे उनको भीतर ले जा ले जा कर पीटा। तीनों मिलों में पुलिस ने जुल्म किया। मोहन, पूनमियां, केसरीमल को गिरफ्तार किया। मैं कोतवाली में गया और मैंने पूछा कि इनको क्यों गिरफ्तार किया है ? तो क्या बोले, आप भी भीतर चलो, भीतर पहुंचो। मैं आप से कहना चाहता हूं, शायद इस सदन में मैंने एक बार कहा भी कि उसी ब्यावर में हिन्दुस्तान आजाद होने के साल भर बाद जब पुलिस ने हमको गिरफ्तार करना चाहा आम सभा में–भरी सभा में, १५० पुलिस थे, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एस. पी. थे, मजदूरों ने हमको गिरफ्तार नहीं होने दिया और पुलिस के हाथ से छुड़ा लिया। मैं चाहता तो मैं भी एक झगड़ा खड़ा कर सकता था। पर मैंने समझा कि हमको ऐसा झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहिये।

एडवर्ड मिल में थोड़े दिन हुए, अच्छी बात है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने डिक्लेयर किया, अध्यादेश ऑर्डिनेन्स वापिस लिया है, पर यह अध्यादेश बहुत दिनों तक जारी था और आज भी एडवर्ड मिल में कितनों को ही नौकरी नहीं मिल रही है। महालक्ष्मी मिल में फॉरेन रिटर्न्ड एक्सपर्ट लोग आते हैं, उनको रखते नहीं। किनको रखते हैं ? जो पुराने दकियानूसी हैं, सेठों के प्रिय–पात्र हैं, जिनको काम आता नहीं, उनको रखते हैं। हमने कई बार कहा मिल मालिकों को कि हमारे साथ मिल कर चलो, समझौता करके चलोगे तो हम दिखाने को तैयार हैं, लेबर डिपार्टमेंट को कहा कि तीनों मिलों की आमदनी ब्यावर में बहुत बढ़ा सकते हैं। पर सेठ लोग जो पुराने नौकर "हुजूर-हुजूर" करते हैं, सेठ लोग इसमें खुश हो जाते हैं और उनका एडवर्ड मिल फिर चौपट होनेवाला है। पहले गवर्नमेंट ने लिया था अब फिर चौपट होने जा रहा है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में सभी जगह, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली सभी जगह मजदूरों पर पुलिस की गोली से पुलिस के जोर से हुकूमत करते हैं, हुकूमत चलाते हैं।

मैं आप से–सदन में जितने तबके के लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या जब मजदूर भूखों मरते हैं या बेकार रहते हैं तो कोई पूछता है उन्हें कि क्या तुम भूखों

(श्री कुमारानन्द)

मर रहे हो ? कोई नहीं पूछता । पर जब मजदूर अपने हकों के लिये हड़ताल करता है तो पुलिस के डंडे और गोली उन पर बरसाये जाते हैं और उनको जेलखानों के सींखचों में बन्द किया जाता है । आज मैं कहता हूं दिल्ली जैसे शहर में, जहां बड़े बड़े आलीशान महल हैं वहां ५ लाख लोग रास्तों पर पड़े रहते हैं, बाहर सोते हैं। आज तक गवर्नमेंट ने पूछा कि तुम्हारी यह हालत क्यों है ? इसलिये हमने कहा कि किसी गवर्नमेंट को जानने से पहले उस गवर्नमेंट का क्लास करेक्टर है monopolist's and capitlist charactaer connected with feudal lords.

हम से कोई मतभेद रख सकता है, पर बात बिल्कुल सच्ची है। जब तक गवर्नमेंट का क्लास कलेक्टर ऐसा रहेगा तब तक मैं भी ट्रेजरी बैंचेज में बैठ जाऊं तो कोई फायदा नहीं कर सकता। तो आज एक ऐसे आन्दोलन की जरूरत है जिसमें गवर्नमेंट का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाय, तभी फायदा हो सकता है वर्ना कोई फायदा नहीं हो सकता। हमको याद है कि हम बचपन में क्या कहते थे। हम बचपन में कहते थे, जब क्रांतिकारी पार्टी में थे, लोग हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि तुम बम्ब, पिस्तोल से खून-खराबी क्यों करते हो, शांति से स्वराज्य क्यों नहीं लेते । तो हम कहते थे : 'Dance at Vriandavan was not complete without the death dance of Kurukshetra. Shanti Parva was told after Bhagwad Gita was read. Suffering is a living death but suffering for a higher cause is life.'

यह हमने बचपन में सीखा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से अध्यक्ष महोदय, कि कहीं ऐसा समय नहीं आवे, मुझे तो भय है जो सरकार चल रही है उस सरकार को देख कर हमें तो यह भय है कि देश में-हिन्दुस्तान में कोई फिर क्रांतिकारी पार्टी पैदा न हो। हम हमेशा कहते हैं कि देश में क्रांति की जरूरत है। वे लोग क्रांति के माने नहीं समझते हैं। वे तो टेरेरिज्म को क्रांति समझते हैं। हम उनको समझाते हैं। टेररिज्म मेरे जमाने में था। इस वक्त उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देश में नौजवान इस ओर बढ सकते हैं। बड़े दुख की बात होगी, जब हिन्दुस्तान में कोई गुप्त पार्टी होगी कोई टेररिस्ट पार्टी पैदा होगी और ऐसा हुआ तो बड़ा दुर्भाग्य होगा हिन्दुस्तान का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, इस पर उनको विचार करना होगा। जब तक मौजूदा स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, जब तक अहिंसक आन्दोलन के जरिये सरकार का मौजूदा रवैये का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, कितने ही आन्दोलन करें, कितने ही चिल्लायें कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई अहिंसक क्रान्ति नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी बज रही है। मैं एक बात और कह देता हूँ। मुझे कहना तो बहुत था। तैयार होकर भी आया था।

हमारे पुलिस में साधारण लोग जो दिन-रात पहरा देते हैं, जो पुलिस जरूरत

(श्री कुमारानन्द)

होने पर गोली भी खाती है, जो पुलिस बीमार पड़े तो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती है उसको ४०), ५०) रु. तनख्वाह देते हैं। ऐसी पुलिस के संगठन के लिए छूट होनी चाहिये, उनकी यूनियन बननी चाहिये, यूनियन बनाने के लिए सरकार को छूट देनी चाहिये। उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले हैं, जैसा कि कांग्रेस ने सन् १६२६-३० में करांची प्रोग्राम में उनकी तनख्वाह उस समय में ५००) रु० रखी थी आज ७००), ८००) रुपया ज्यादा से ज्यादा उनकी तनख्वाह हो। लेकिन यदि आप फोर्थ क्लास कॉन्स्टेबल्स, और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं उनको भूखों मारेंगे तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि जमाना बदल रहा है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नेहरू सरकार ने पिछले वक्त एम्प्लॉईज की स्ट्राइक को गलत करार कर दिया, गवर्नमेन्ट एम्पलॉईज को कुचल दिया लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लाईज की, कोई ताज्जुब की बात नहीं, फिर ऐसी स्ट्राइक हो जिसमें गवर्नमेंट का तख्ता ही उलट जाय। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम भी हिन्दुस्तानी हैं आप भी हिन्दुस्तानी हैं, इस देश में हम पैदा हुए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : तख्ता क्या शक्ति से बदल देंगे ?

श्री कुमारानन्द : अहिंसक शक्ति से। नॉन कोऑपरेशन से। सब तरह की शक्ति है, सब तरह की ताकत है। बिना ताकत क्या बदल सकेंगे ?

इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, फिर यह कहना चाहता हूं, टाइम भी नहीं है, कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स जो हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं उनका आपको खयाल करना चाहिये और खास कर हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे गृह मन्त्रीजी अच्छी तरह से मैं उनको जानता हूँ और जब रशिया से मदद आयी तो रूस की काफी तारीफ की और अमेरिका ने कहा कि तुम क्या करते हो तो मुंह बन्द कर लिया।

मैं कहना तो चाहता था बहुत कुछ, नोट कर लाया था, लेकिन समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो आधे घन्टे के लिये समय और बढ़ा दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : आज ही इसका प्रोग्राम था।

कई माननीय सदस्य : और भी प्रोग्राम है।

श्री अध्यक्ष : यहां से सीधे चले जाइये।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास कार थोड़े ही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : परसों मिसलेनियस डिमान्ड है। उस पर कम समय ले लिया जाय तो भी कोई बात नहीं होगी। यह चूंकि इम्पोर्टेन्ट डिमान्ड है इस—

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लिए इसको अन्य प्रोग्राम के कारण आज स्थगित कर दिया जाय और परसों फिर बहस चालू रहे।

श्री अध्यक्ष : डिमान्ड्स तो सब ही इम्पोर्टेन्ट हैं, कोई अनइम्पोर्टेन्ट नहीं है। पी. ए. सी. ने सोच विचार कर ही रखा था कि किन किन मांगों को पहले लिया जाये। अब इस पर काफी बहस हो चुकी है। विभिन्न दृष्टिकोण सामने आये हैं। माननीय सदस्य चाहें तो आधा घण्टा बढ़ा दिया जाय। परसों सरकारी पक्ष की ओर से जवाब हो जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सौ में से पचास भी नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो बैठ जाइये। वहां तो छः बजे पहुँचना है।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : हाथ मुंह भी धोना है। टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें नहीं होगी। आप चाहें तो बैठ सकते हैं। परसों इस मांग को और आगे नहीं बढाया जायगा और मन्त्री महोदय अपना जवाब देंगे।

श्री मानसिंह महार : पुलिस की तो बहुत इम्पोर्टेन्ट मांग है। समय तो बढाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हर एक विषय अपनी अहमियत रखता है। इस तरह से बढायेंगे तो बहस पूरी नहीं होगी।

श्री मानसिंह महार : पुलिस पर तो होना ही चाहिये। सुरक्षा का विषय खास कर है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा मानलूं कि आप समय बढाना नहीं चाहते ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : परसों कन्टीन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो फिर समय बढा दीजिये।

श्री मानसिंह महार : तो फिर आज ६ बजे तक चलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मोशन कर दीजिये। हाउस यदि एग्री करता है तो ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : ५॥ बजे तक बढाया जाय और उसके बाद गवर्नर साहब के यहां प्रोग्राम है। हमारे नये गवर्नर साहब आये हैं। ५॥ बजे तक समय बढाने में कोई एतराज नहीं है।

श्री मानसिंह महार : फिर ६ बजे तक बढा दिया जाय, हमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नर साहब के यहां जाना चाहते हैं तो वहां से आकर वापिस यहां बैठ जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन के रेकॉर्ड में वे सारी बातें आनी चाहिये जो कि हम कटौती प्रस्तावों के द्वारा रखना चाहते हैं। इसलिए समय तो चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि परसों सारे दिन इस पर बहस करें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन कटौती प्रस्तावों पर उत्तर न हो तो माननीय मन्त्रीजी ऐसी व्यवस्था करदें कि उन कटौती प्रस्तावों का व्यक्तिगत तौर पर उन सदस्यों के पास उत्तर पहुंच जाय, विशेष तौर से जो उत्तर चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : तो क्या यह आधा घन्टा ले लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सदस्यों की यही इच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : समय की सीमा बढ़ादें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि गृह मन्त्रीजी ने जन-सहयोग और जन-सम्पर्क की ओर अपने कदम उठाये हैं और मेरी मान्यता में यह पहला प्रयास है। इसको मैं प्रयत्न इसलिये कहता हूँ कि गृह मन्त्रीजी जनता का सहयोग लेकर पुलिस की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से मैंने भी कटौती प्रस्ताव सदन में रखे हैं, इस आशय से कि उन कटौती प्रस्तावों से गृह मन्त्रीजी कुछ सहायता अवश्य लेंगे। मैं यह समझता हूं कि इस पंचायती राज की पृष्टभूमि में पुलिस की जो स्थिति है और पुलिस का जन-मानस बदलना आवश्यक है और यदि हम इस ओर सक्रिय कदम नहीं उठाते हैं तो इस पंचायती राज्य में यह पुलिस विभाग एक अलग विभाग, अलग तरीके का विभाग और अलग विचारधारा का विभाग रह जायगा।

ऐसी स्थिति में मैं कुछ सुझाव गृह मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज सदन में जो वाद--विवाद हुआ उसके दौरान में कई स्थितियां अपराधों के सम्बन्ध में रखी गई और मेरी मान्यता में जो प्रश्न यहां पर रखे गये-वह मैं समझता हूं जब गृह मन्त्री महोदय उत्तर देंगे-उनमें से मेरा विश्वास है तीन-चौथाई प्रश्न उनके उत्तर से हल हो जायेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है। जो प्रश्न उठाये गये, जो प्रश्नों का प्रभाव पड़ा है वह प्रभाव इस पुलिस विभाग के लिये हितकर नहीं और न माननीय मन्त्री महोदय के लिये ही हितकर है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई उपाय हो जिससे इस प्रकार के प्रश्न सदन में आने से पूर्व ही हल हो सकें और उनका स्पष्टीकरण भी हो सके; इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनका मन्त्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण किया जा सके। मेरा सुझाव है कि गृह विभाग में जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने जिला स्तर पर समितियां बनाने का सुझाव दिया है वह स्वागत योग्य रहा है, उसी प्रकार के एक इनफॉर्मेशन ब्यूरो विभागीय स्तर पर कायम कर दिया जाय। मेरी मान्यता में यह बड़ा कदम होगा। उस इनफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जो जनमत बनता है, भ्रान्तियां फैलती हैं उनका निराकरण किया जा सकता है। यह कदम पत्रकारिता के आधार पर होगा। जैसा कि मैंने कहा जो भ्रान्तियां, जो तथ्य सदन में रखे गये हैं वे तथ्य पत्रों में यदा कदा छपते रहे हैं। अगर इस प्रकार से इनफॉर्मेशन ब्यूरो कायम होता है तो वास्तविक सूचनाओं के आधार को उन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तथ्यों के आधार पर जनमत को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यह ऐसा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और पत्रकारों के लिए भी यह उपाय हितकर हो सकता है क्योंकि इस वक्त यदि कोई प्रश्न पत्रों में छपता है तो पत्रकारों को इधर उधर चल करके उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है। कोई ऐसा मीडियम नहीं जिससे पत्रकारों को सही स्थिति का पता चल सके। इसलिये मेरा यह सुझाव गृह मन्त्री महोदय को है कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से पत्रकार और पुलिस विभाग के बीच माध्यम होगा जो सही तथ्यों को जनता के बीच रखेगा और भी जो भ्रान्तियां पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जनता में हैं उन भ्रान्तियों को दूर करने में सहायक होगा।

दूसरा सुझाव और रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, गृह मन्त्री महोदय की इच्छा और उनकी मान्यता जन-सहयोग प्राप्त करने की है। उस आधार पर मैं चाहता हूं कि गृह विभाग में और पुलिस में जो डिस्पेरिटी है वह दूर हो। मैं जहां तक डिसपेरिटी का प्रश्न है, तनख्वाह को नहीं लेता हूँ, इमोशन्स से मेरा मतलब है, आपसी संबंध एवं व्यवहार के भेद से है। आपसी व्यवहार जैसा कि, मैं आपको उदाहरण की तौर पर बताऊं, हमारे विकास विभाग में है। इसमें ऊपर एक कमिश्नर होता है और नीचे विलेज लेवल वर्कर। इनके बीच में भावनात्मक एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना है। यह विभाग एक मत से, एक उद्देश्य से चलता है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसी तरह से मेरी मान्यता में गृह विभाग का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी आई. जी. पी. और सबसे नीचे से नीचे का कर्मचारी कॉन्स्टेबल इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो पाये और उनमें कर्त्तव्य को निभाने की क्षमता को जागृत कर सकें तो मेरी मान्यता है और मेरा विश्वास है कि इस विभाग में कर्त्तव्यपरायणता में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को सजग और सबल बनाने का माध्यम किसी और स्थिति को बनाया जा सकता है तो वह पुलिस की पत्रिका है। अध्यक्ष महोदय, यू. पी., बिहार और अन्य कई प्रान्तों में पुलिस की एक पत्रिका निकाली जाती है। उसमें पत्रकारिता के माध्यम से पुलिस की कठिनाइयां, पुलिस के अभाव-अभियोग आदि जितनी भी समस्यायें होती हैं, डिसिप्लिन में रहते हुए उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है और की जाती रही है। मेरी मान्यता है कि अगर एक पत्रिका पुलिस की समस्याओं को, उनकी दिक्कतों को और पुलिस के जो रोजमर्रा के प्रश्न है, रोजमर्रा के अपराधों का उसमें दर्शन हो तो यह पत्रिका बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। मुझे जो सूचना है उसके अनुसार पहले भूतपूर्व अजमेर स्टेट में एक पत्रिका निकाली जाती थी। अभी तक उसका उदाहरण किशनगढ़ ट्रेनिंग स्कूल में है। अगर उसी उदाहरण के अनुकूल सारे प्रान्त के लिये एक पत्रिका निकाली जाय तो भावना का माध्यम जनता और पुलिस के बीच हो सकता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, पुलिस हैड क्वार्टर में सांस्कृतिक संगठन है। अगर यह सही है तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह जनता और पुलिस के बीच की खाई को काफी अंश में कम कर सकता है । मंच के माध्यम से जनता को बताया जाय कि पुलिस उनसे क्या चाहती है और कर्त्तव्य के आधार पर जनता पुलिस से क्या चाहती है । पुलिस के कर्त्तव्य के आधार पर एक तरह से विचार-विमर्श का माध्यम रंगमंच हो सकता है । इस माध्यम से ऊंचे अफसर और नीचे के अफसरों में भी आपस में मिलने का मौका मिलेगा। इससे भावात्मक एकता-इमोशनल इन्टीग्रेशन-होने की सम्भावना रहती है ।

इसी तरह से इस आधार पर जिले के स्तर पर ऐसे संगठन बनाये जायं जिससे जनता के समीप पहुंचा जा सकता है । इन सुझावों के साथ मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हुआ निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कुछ सुझाव और भी हैं जिनसे जन--सम्पर्क, जन-सहयोग अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है । जिला स्तरीय सलाहकार कमेटियों का निर्माण आपने किया है । इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा है । कुछ अंशों में वह ठीक है । इसलिये हमें यह भय है कि जिला स्तर पर बनायी जाने वाली कमेटियां ऐसी हों जिनमें नेताओं का समावेश अधिक न हो पाये । यह इसलिये उचित मालूम होता है कि अगर दृष्टिकोण समस्या को निष्पक्षता के आधार पर हल करना चाहते हैं तो इसमें जो भी कार्यकर्ता लिये जाने वाले हैं उनका सम्बन्ध किसी भी राजनैतिक दल से न हो । मेरे विचार में समाज सेवी काम करने वाले व्यक्ति हर क्षेत्र के मिल सकते हैं । उनमें से समिति में लिये जायं । उससे निष्पक्षता के साथ निर्णय हो सकेंगे । बाकी यह भय जरूर है कि किसी का सम्पर्क किसी पुलिस डिपार्टमेंट के डी. आई. जी. से हो तो वैसी हालत में सुझाव और निर्णय कारगर नहीं हो सकते, जो कि होने चाहिये । इसी तरह से इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव और है । जिला स्तर पर जो समितियां बनाई गई हैं उनको सब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर लागू कर दी जायं ताकि वहां की जनता को भी मौका मिलेगा, अपने प्रश्नों को और सुझावों को रखने का और पुलिस उन सुझावों के आधार पर सहयोग दे सकेगी । इसी चीज को मैं पंचायत राज्य के कॉन्टेक्स्ट में भी निवेदन कर देना चाहता हूं । पुलिस का जन-मानस हमें बदलना है तो उस हालत में हमें यह भी देखना होगा कि पंचायत राज में उनका एडजस्टमेन्ट किस प्रकार से हो सकता है । यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । मेरी मान्यता में अगर ट्रेनिंग सेन्टर्स पंचायत राज की समस्या के बारे में, पंचायतों के कोऑर्डिनेशन के बारे में पंचायत राज के साथ किस तरह से कन्धे से कन्धा मिला कर चल सकते हैं, इन समस्याओं की ट्रेनिंग कॉलेज में ही शुरू कर दी जाय तो अधिक से अधिक इनका जनता के साथ सम्पर्क पैदा करने की भावना उत्पन्न हो सकती है । जनता में जो भय है, जनता का जो रोष है वह मेरे खयाल से इस प्रकार की ट्रेनिंग से काफी अंश तक मिट सकता है । सुझाव की तौर पर किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पंचायती राज के मूलभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित केरीकुलम रखा जाय । पंचायत राज की शिक्षा दीक्षा वहीं से मिले । ट्रेनीज को वहीं से शिक्षण मिले तो वे जब ट्रेनिंग समाप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो पंचायत राज के प्रशासन में जुड़ सकेंगे । किन्तु अभी तो यह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्थिति है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट पंचायत राज से परे है । आज उनका सहयोग और सद्भावना पंचायत राज के साथ नहीं । अगर हम पंचायत राज को सफल बनाना चाहते हैं तो पुलिस के जन मानस को बदलना होगा और उनका सहयोग विकास कार्यों में लेना होगा । मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि पुलिस विभाग ने कुर्बानियां की हैं । डाकुओं को नेश्तनाबूद किया है । लेकिन पुलिस को आगे आने वाले जमाने से अपने कदम मिला कर चलना होगा । इस पंचायत राज में वे किस प्रकार से एडजस्ट हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी विचार करना आवश्यक होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं ।

भूतपूर्व गृह मन्त्री महोदय जो नाम मात्र के थे और जहां तक मेरा खयाल है उनका शायद अनुभव भी कम था, उनसे इस विभाग में सुधार की उम्मीद करना नामुमकिन बात थी । परन्तु आज नव निर्वाचित गृह मन्त्री महोदय से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे सुझावों पर विचार करके इस पुलिस विभाग में वाजिब परिवर्तन कर सकेंगे ।

पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सीधा जनता से सम्बन्ध है । जनता की जान-माल की रक्षा का भार इस विभाग पर है और इसलिये इस विभाग की यह स्थिति बन जाना, इस विभाग का निष्क्रिय और भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाना हमारे इस प्रान्त और देश दोनों के लिये खतरनाक बात है । जिस देश की जनता की अथवा प्रदेश की जनता की जान और माल की रक्षा की गारन्टी नहीं हो उसकी और अन्य दिशाओं में प्रगति हो, यह असंभव है । मैं उदाहरण के तौर पर कुछ निवाई थाने की बातें आपके सामने रखूंगा जहां से मैं चुन कर आया हूं ।

वहां के थानेदार साहब रिपुहरणसिंहजी जो अपने आपको किसी एस. पी. से कम नहीं समझते, वहां...........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir, whether name of the officer who is not present in the House to reply can be mentioatined in the discussion ? The officer is not here and cannot reply to the allegations. They can say to the Government of course. थानेदार कह सकते हैं, but they cannot name him. इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

श्री जयनारायण सालोदिया: तो उनके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । वहां के थानेदार साहब ने कुछ ही दिनों पहले एक गूजर को, उसका नाम मैंने नोट कर रखा है दयाराम गूजर, वह निवाई का रहने वाला है । बाजार में गल्ला बेचने वह आया हुआ था तो उसे सिपाही के द्वारा थाने में बुलवा लिया और दो-तीन दिन तक वहां बैठाये रखा । उसने किसी मामले में एक सौ रुपये रिश्वत दिलाने की हां भरी थी, पर वह रिश्वत थानेदार साहब के पास नहीं पहुंचा सका था । इस बिना पर उस थानेदार ने उस जामीन को थाने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

में दो दिन तक बैठाये रखा और उसे बुरी तरह से गालियां दीं।

दूसरा किस्सा है राहोली के सरपंच का। उक्त थानेदार ने उनके खिलाफ एक भूठा मुकदमा बना कर दो साल से उनको हैरान कर रखा है। एक गबन का केस कायम कर रखा है। न वह उस केस को अदालत में पेश करता है, न उठाता है। बार बार थाने में बुला कर उनको नाहक में परेशान करता है, उनकी तोहीन करता है।

दूसरा मामला है चोरियों का। अन्धाधुन्ध चोरियां हो रही हैं। पहले ऐसा होता था कि जिस थाने में पचास परसेन्ट तक या एक सीमा परसेन्ट की बन्धी होती थी उस सीमा तक चोरियों का माल अगर थानेदार बरामद नहीं करता था तो उसकी तनख्वाह रुक जाती थी और जवाब तलब हुआ करता था। पर इस स्वतन्त्रता के युग में थानेदार को इतनी स्वतन्त्रता मिल गई है कि कितनी ही चोरियां हों उस पर कोई आंच नहीं आने की। बहुत सी चोरियां तो वह रिपोर्ट में ही दर्ज नहीं करते, बहुत सी फाइल नहीं करते कोर्ट में और बहुत सी की तफतीश ही नहीं करते हैं। इस तरह का आज मामला है।

राहोली गांव में चोर ने चोरी की। वहां के लोगों ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और रात भर तक बांधे रखा। सुबह होते ही उसे थाने के सुपुर्द कर दिया। पर थानेदार ने पांच सात, दस दिन तक उसे थाने में रोके रखा पर फिर न मालूम एक बड़ी रकम लेकर उसे छोड़ दिया। आज तक कोई मुकदमा नहीं बनाया उस पर। यह भी किस्सा इसी निवाई थाने का है।

जब एस. पी. साहब राहोली गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने यह बात उनके सामने रखी। इस पर एस. पी. साहब ने दूसरे थानेदार को इस मामले को जांच करने को दिया है। पर इसका भी नतीजा अभी सामने नहीं आया।

सिरसा में नटनियों के चोरी हुई। रिपोर्ट कराने गई वे, तो थानेदार ने बुरी तरह से डांट कर और फटकार कर कहा कि ये ये बातें मत लिखाओ। इतना माल गया, यह मत लिखाओ। इन बातों को एस. पी., टोंक ने सुना तो उस केस को भी तफतीश के लिए दूसरे थानेदार को दिया है।

इसी तरह से छुआछूत का कानून बना है राजस्थान में और सारे देश में। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि इस कानून के द्वारा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पर मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं जानता हूँ कितना परिवर्तन हुआ है? आपकी सरकार ने क्या किया है। यह मुझे मालूम है, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन केन्डीडेट हूं। मुझे सब बातें मालूम हैं।

छुआछूत का जो भी कुछ परिवर्तन हुआ है, जो कि बिल्कुल नगण्य सा है वह एक हवा से हुआ है, जमाने के परिवर्तन से हुआ है, लोगों के जन–मानस के बदलने से हुआ है। आपके कानून से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपके कानून के द्वारा कितने केस छुआछूत के इस कानून के तोड़ने के बने हैं और उनमें कितनी कामयाबी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आपको मिली है ? एक केस आप मुझे बता दीजिये ? एक केस आज तक नहीं बना है । मैं अपने जिले की बात कहता हूँ वहां आज दिन तक एक छुआछूत विरोधी केस ही नहीं बनाया गया है ।

इस पर माननीय सदस्य डींग हांकते हैं कि छूआछूत विरोधी कानून के द्वारा हरिजनों की हालत में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों में अगर किसी का जुल्म और आतंक है तो इस पुलिस का है । गरीब कंजर, सांसी, बावरी और मीणे लोगों को इस पुलिस ने बुरी तरह से अपने चंगुल में ले रखा है । उनकी आजादी को पकड़ रखा है । यह सब पुलिस से पूछा जावे कि आपने छुआछूत के कितने मामले पकड़े हैं ।

मैं मालपुरा तहसील में पुलिस के द्वारा जो हुआ है उसके बारे में अर्ज करूंगा । जो जो कार्यवाहियां वहां पुलिस ने की हैं, काले कारनामे उसने किये हैं वे सब सदन में बजट की बहस या राज्यपाल महोदय के भाषण पर हुई बहस के सिलसिले में आ गई । पर फिर भी मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मालपुरा में इस पुलिस ने लोगों पर झूठे मुकदमे बनाये और आज भी बनाये जा रहे हैं और लोगों की जमानत तक नहीं ली है उन को देखें । और भी मैं निवेदन कर दूं कि वहां विशेष आतंक की परिस्थिति है; पुलिस का ही आतंक नहीं, वहां के जो मंत्री महोदय थे पहले उनका और पुलिस का दोनों का मिला कर बहुत आतंक है । इसलिए वहां की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां थोड़ी आप कोशिश करें तो कुछ हो सकता है ।

इसके बाद निवाई का एक उदाहरण और पेश करूं । ग्राम निवाई में रामकिशोरी पर पुलिस ने एक झूठा मुकद्मा बनाया, जब कि उस दिन उनका जयपुर में होना जाहिर होता है और उनको बार बार परेशान करती है, इसलिये कि वे हैसियतवाले आदमी हैं, उनसे अच्छी रकम ली जा सकती है, उनको दबा कर अच्छी रिश्वत का पैसा लिया जा सकता है ।

कहने की मंशा यह है कि यह जो महकमा है इसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि इससे जनता की जान-माल की हिफाजत हो, पर आज उल्टा हो रहा है । जनता की जान-माल को अगर आज किसी से खतरा है तो इस पुलिस से है । लोग थाने में जाने से हिचकते है । लोगों के दिलों में आज पुलिस का डर है, थानेदार साहब का डर है । इस डर को निकालने के लिये आज पुलिस में परिवर्तन की आवश्यकता है, पुलिस में जो कर्मचारी और अफसर हैं उनके मानस में परिवर्तन की आवश्यकता है । यह करने के लिये मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करके अपना आसन ग्रहण करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : अब समय समाप्त हुआ ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सदन के समय में परिवर्तन करने के बारे में आपसे निवेदन करने के लिये मुझ से आग्रह किया

(श्री हरिदेव जोशी)

था। अगर आप उचित समझें और सदन की अनुमति हो तो सदन का समय आगे से सुबह आठ बजे से एक बजे तक का कर दिया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि इस डिबेट को परसों जरूर कन्टीन्यू रखा जावे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम नये गृह मन्त्रीजी पर बहुत आशाएं लगाये हुए हैं कि आगे हमारी मुश्किलातें नहीं रहेंगी। जैसे मेरा कटौती का प्रस्ताव है, विभाग में भ्रष्टाचार और मेल (mal) एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो मैं इस पर काफी कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

श्री मानसिंह महार : पर मैं निवेदन करूं कि आगे की डिमान्ड कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनको जल्दी निपटाया जा सकता है, पर यह........

श्री अध्यक्ष : जैसे मिसलेनियस डिमांड हैं तो मिसलेनियम होने के नाते न ली जावें या उन पर बहस में बोलनेवाले न बोलें। इसमें भी बहुत जरूरी विभाग हैं, जिला परिषद् या स्लम्प क्लियरेन्स सम्बन्धी मामले हैं और इसलिये माननीय सदस्य इन पर भी बोलना चाहेंगे। इसलिये इस बहस को आज ही समाप्त करते हुए परसों उत्तर देंगे और सदन की आज की कार्यवाही........

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, यह तो मान लिया; यह मिसलेनियस डिमान्ड महत्वपूर्ण है और इस डिमान्ड पर भी सदस्य बोलना चाहेंगे। इसके लिये दो-तीन दिन रहेंगे। इसमें एक-दो डिमान्ड्स आयेंगी, इससे अधिक तो आयेंगी नहीं। पर पुलिस विभाग इतना महत्वपूर्ण है........

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण कौनसा विषय नहीं है ? हरएक चीज अपना महत्व रखती है।

श्री मानसिंह महार : पुलिस पर तो नये गृह मन्त्रीजी आये हैं इसलिये उनसे बहुत अधिक आशाएं हैं। अगर समय नहीं है तो आज रात को बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं। पर दूसरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर बोलेंगे। उनको वंचित रखना उचित नहीं होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आज रात को कन्टीन्यू किया जावे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही परसों प्रात: आठ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर ३१ मिनट पर बुधवार दिनांक १८ अप्रैल १९६२ के प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई।]

——

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, १६ अप्रेल, १६६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	३६८८
सरकारी दूकानों का विक्रय–बांदीकुई ।	
हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी ।	
आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज ।	
वृक्षों की कटाई ।	
पलाना कोयले की खान ।	
वन विभाग, बांरा में गबन ।	
राजऋषि कॉलेज, अलवर ।	
भूमि–वितरण ।	
हनुमानगढ़ मंडी का विस्तार ।	
प्राथमिक शाला–गुमानपुरा (कोटा)	
तहसील देवली एस. डी. ओ., मालपुरा के अन्तर्गत ।	
जगर बांध–हिन्डौन ।	
माध्यमिक शालाओं की स्थापना–सांचोर ।	
बरसाती पानी में डूबी हुई भूमि और पीड़ित किसानों को दी जाने वाली सहायता ।	
चम्बल बेराज की नहरों से होने-वाला वाटर लोगिंग ।	
गन्ना–विक्रय ।	

आयव्ययक १६६२–६३

	स्कम्भ
द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान	
(१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व	४०३०

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री राजस्व ने आज अपना भाषण समाप्त किया । श्री मोहन-लाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् उपरोक्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस	४०६४

उपरोक्त मांग श्री मथुरादास माथुर, गृहमंत्री, द्वारा प्रस्तुत की गई । इस मांग पर ५१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

सदन की बैठक ५ बज कर ३१ मिनट पर बुधवार, दिनांक १८ अप्रेल, १६६२ के प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

बुधवार, दिनांक १८ अप्रेल, १६६२ की कार्य-सूची

१. मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस (पूर्वक्रम से)

२. जोधपुर युनिवर्सिटी विधेयक, १६६२ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

३. मांग संख्या ३५–विविध

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२० का उत्तर देखिए)

फहरिस्त जिनमें लकड़ी काटने की इजाजत दी गई

क्र० स० १	नं०मि २	नाम प्रार्थी ३	ग्राम ४	बाबत ५	ता० पेड़ मय वजन ६	ऑर्डर इजाजत ७	कैफियत ८
१	५०३।५७	केशरसिंह	मानपुर टीला	घरू काम के लिये	१० पेड़, १०० मन वजन	इजाजत नाम जारी किया गया १२:११:५७.	
२	५०६।५७	हरिजन मां मंगला	कुंदनपुरा	तैयारी मकान चूना पकाने हेतु।	२ पेड़, वजन दरज नहीं	२८:१०:५७.	
३	५१६।५७	हणवतसिंह	हरगुन की नागल	खेती के लिये, जमीन साफ करने	३०० पेड़, वजन दरज नहीं	२७:१२:५७.	
४	६५३।५६	नाथु	वालावाला	रसोई खर्च के लिये	२ पेड़, १२ मन	६–३–५६	
५	६६२।५६	धारानन्द	दुर्गापुरा	श्री माताजी (ठाकुरजी) के	२ पेड़, ७ मन	१४–४–५६.	
६	६६८।५६	गनेश	मानपुर	लड़की की शादी के लिये	९ पेड़, ५० मन		टीनेन्सी एक्ट की धारा ८४ के तहत लकड़ी काम में ले सकता है।

१	२	३	४	५	६	७	८
७	६६२	लक्ष्मीनारायण	मनोरथावास	दर्ज नहीं है	दरज नहीं है	२–५–५६	
८	६६	ओंकार	महाना	कोठी निर्माण हेतु ढाणा पाट मसला के लिए	१६ पेड़, १२५ मन	२–५–५६.	
९	१०१२	सूरजमल	कपूरावाला	खेल. ढाणां के लिये चूना पकानेके लिये	२४ पेड़, २२५ मन्	१७–५–५६.	
१०	१११४	भौंरीलाल	बालावाला	घर खर्च के लिये	४ पेड़, ६० मन	--	टै० एक्ट के तहत काट सकता है।
११	१११९	भंवरलाल	कपूरावाला	मकान के किंवाड़ हेतु	६ पेड़, वजन दर्ज नहीं	१:६:५६.	
१२	११२६	मालियाम, सांगानेर	सांगानेर	मरम्मत तलाई के लिये	१५ पेड़, १५ मन	२–६–५६.	
१३	११२६	गोपी	मु-ड	मकान के सोट लगाने	२ पेड़, १८ मन	—	टै० एक्ट के तहत काट सकता है।
१४	११५७	रामसिंह	मनोहरपुरा	जमीन काश्त बनाने हेतु	४५० पेड़ जिनमें ३५० का वजन ७०० मन (१०० का नहीं)	१४:६:५६.	
१५	१०८५	गंगाराम	छीतोली	घरों की छावन सोठों के लिये	२ पेड़, २० मन		खातेदारी में से काट सकता है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर देखिये)

CONFIDENTIAL AND IMMEDIATE.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FOREST DEPARTMENT.

From

The Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.

To

The Secretary to Government, Revenue 'A' Department, Rajasthan Jaipur.

No. F. VIII-61-62 Acctts. 10842-45 Dated the 27-2-1962.

On receipt of information from a private source I deputed the Accounts Officer and his Party to Baran to look into the complaint and to ascertain as to whether the information received is correct. They proceeded to Baran and tried to contact the complainant, but he was not available. There after the party went to the Range Office next day on the arrival of the Divisional Forest Officer from Kota.

The cutting of the newspaper which was supplied to the party give them the clue and they atonce laid hands on the Grazing Ravannas. It was thought expedient that the ravannas available in the range might be tallied with those issued to Vyoparies. Therefore, they took the counter foils of the ravannas and proceeded to the villages with the Divisional Forest Officer. After obtaining the Vyoparies' ravannas they compared them with the three foils and found different entries.

The ravannas are issued in four foils, three are meant for the Department and one for the Vyopari. In the three they made one entry and in the 4th they made different entry there by embezzled the difference. Such 400 ravannas were issued in Kishanganj range. The checking of 34 ravannas only has revealed an embezzlement of Rs. 392. 60 N. P.

The persons involved are Sarvashri Shiv Narain, Forest Guard and Nand Lal, Head Guard who were entrusted with the realisation of the grazing dues departmentally.

Normally the contract for goat and sheep grazing is auctioned annually; but that year it was not put to auction inspite of the clear Government Orders

to do so. The Departmental collection was arranged on the report of the Conservator of Forests, Eastern Circle, Kota who made a plea that the Government Orders for auction were received late and that the period of contract had commenced from Ist July. Moreover, departmental permits for grazing had already been issued at his instance. Generally the contract period is from 1st of October to 30th September each year and the same was prevalent then. The contract commences from the date of possession. Therefore, it is not understood as to how the Conservator of Forests, Eastern Circle made such statement and took action as he liked against the Government Orders. This is an outright mis-represantation of facts so as to tie down the hands of the Chief Conservator of Forests to accede to his request.

This year the contract of Baran division for sheep and goat grazing has been auctioned in respect of Forest areas, excluding those of Panchayats in December '61.

The delinquents have been placed under suspension by the Divisional Forest Officer, Baran as would be evident from the copy of the report and the letter of the Conservator of Forests, Eastern Circle, Kota No. 745C dated 16. 2. 62. The Range Officer, Kishanganj has been transferred to Kota and attached with the Conservator of Forests, Eastern Circle, to facilitate the enquiry.

It is worth mention here that no step was taken by the Divisional Forest Officer, Baran and the Conservator of Forests, Eastern Circle, Kota till the Departmental Accounts Party had reached there.

The Divisional Forest Officer, Baran has been directed to continue the checking of ravannas and verification and intimate the progress fortnightly to this office and Conservator of Forests, Eastern Circle, Kota.

Meanwhile, the Conservator of Forests has been directed to conduct a departmental enquiry against the delinquent officials in accordance with the rules and fix liability for the loss of the Government money.

The S. P. Anti-corruption has also been apprised of the facts in the case and requested to depute a Senior Officer to detect the amount of embezzlement and assess the liability.

CHIEF COSERVATOR OF FORESTS,
RAJASTHAN, JAIPUR.

४२३४] परिशिष्ट

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

From

The Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.

To

The Secretary to Government, Revenue 'A' Department, Rajasthan, Jaipur.

No. Jaipur, the 26th March, 1962.

Sub: Embezzlement in Baran Division.

Ref: This office No. F. VIII (5) 61-62/ Acctts. 10842-45 dated 27. 2. 62.

Sir,

In continuation of the above I have to inform you that the enquiry in the case is going on and the amount embezzled comes to Rs. 810. 80 N. P. till 9. 3. 1962 including Rs. 392. 60 N. P. already reported.

Yours faithfully,

CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS,
RAJASTHAN, JAIPUR.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३९९०	१६	विद्यर्थी	विद्यार्थी
३९९४	६	१९६० ६१	१९६०-६१
४००१	अन्तिम पंक्ति	नातकोत्तर	स्नातकोत्तर
४००६	२	अर्कोशन	ऑक्शन
,,	२५	अग्रवाल	अग्रवाल
,,	अन्तिम पंक्ति	लडट्टा	लड्ढा
४००७	२४	रखीं जाय	रखा जाय
४००८	५	अकेलेर	अकलेरा
४००९	१५	पूछा गया	पूछा गया] :
४०१०	२५	हैडक्वाटर्स	हैडक्वार्टर्स
४०१९	१७	बेन्कस	(बेन्कस
४०२०	१२	घेच	बेच
४०२३	६	कर्शिग	क्रशिंग
,,	११	सुखाडिय।	सुखाड़िया
४०२६	७	श्री उमरावांसह	श्री उमरावसिंह
४०३०	अन्तिम से २	भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
४०३४	७	लैंड़ रेवेन्यू	लैंड रेवेन्यू
,,	२२	गया हैं	गया है
४०३८	१८	म्युचअल	म्युचुअल
४०५०	अंतिम से ५वीं पंक्ति	(सुख्य मंत्री	(मुख्य मंत्री)
४०५२	२६	कार्की	काफी
४०५६	१६	ऑलटमैन्ट	अलॉटमेन्ट

१	२	३	४
४०५८	२५	प्रिलिमिनिरी	प्रिलिमिनरी
४०६२	१५	के बारे	के बारे में
४०६३	२०	सकता हैं	सकता है
४०६६	२५	uoıʇeƃıʇsǝʌuı	investigation
४०७२	३	Re./-	Re. 1/-
,,	अन्तिम से ४	therefor	therefore
४०८८	१८	बैठें	बैठें
,,	१६	मौजूद्	मौजूद
४०८९	५	अनूलचूल	आमूलचूल
४११४	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
४१४९	१५	शर्म	शर्म
४१५८	७	आशका	आशंका
४१६८	१५	सब-इन्सपेन्टर	सब-इन्सपेक्टर
४१८९	१३	(हनूमानगड़)	(हनुमानगढ़)
४१९३	२२	गोकुलचन्द	श्री गोकुलचन्द
४२०५, ४२०७, ४२०९ व ४२१९	शीर्षक	पलिस	पुलिस
४२०५	१७	बेकारी, हैं	बेकारी है,
४२०८	१३	capitlist charactaer	capitalist character
४२१३	५-६	पी. ए. सी.	बी. ए. सी.